खण्ड-226, अंक-4
सोमवार, 6 भाद्रपद, शक संवत् 1883
(28 अगस्त, 1961 ई0)

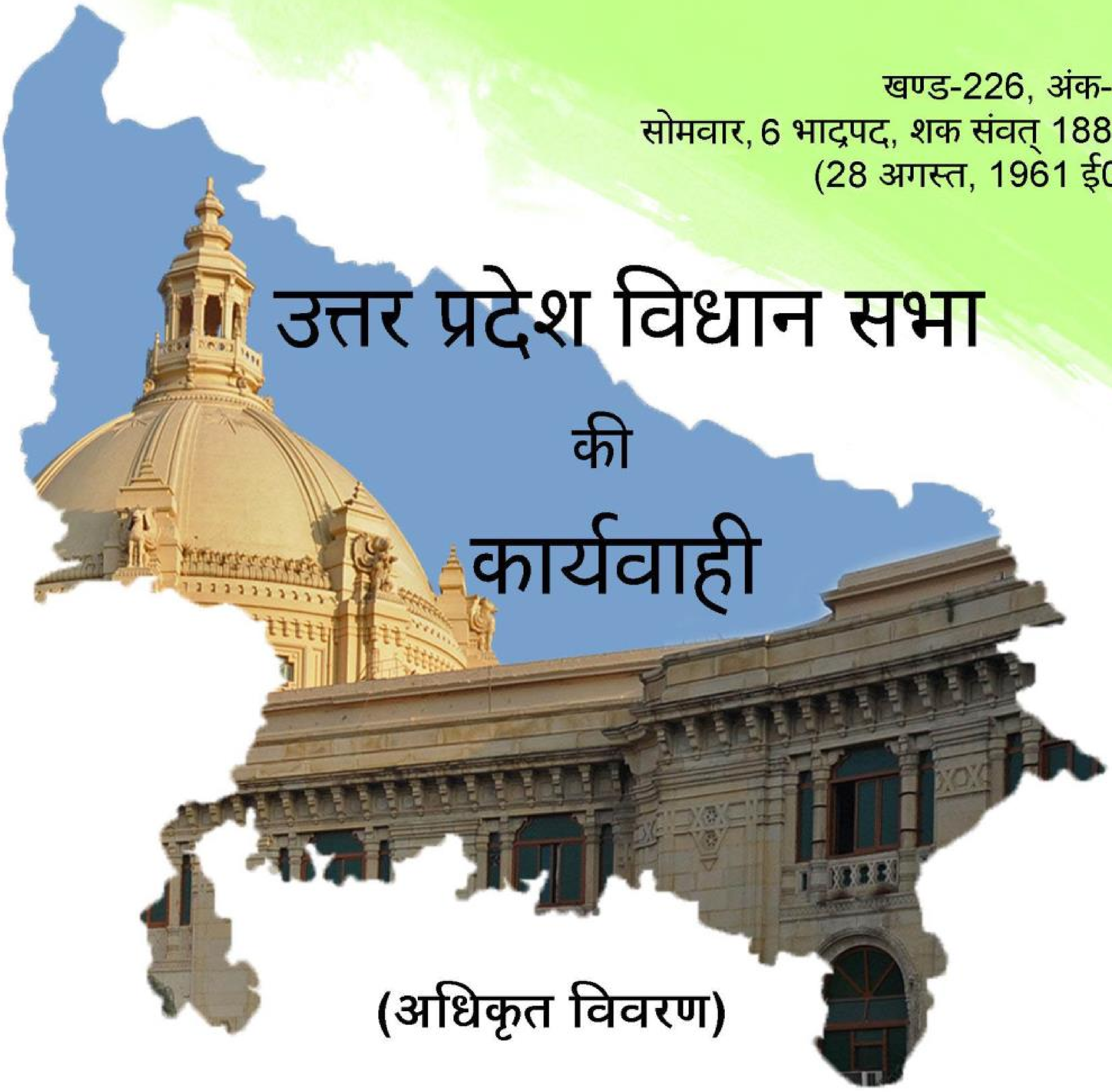

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 226 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २८ अगस्त, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३२९

अक्षयवरसिंह, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उलफ़तसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आज़ाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती

बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री

रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (शाजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी, वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री, वित्त मंत्री श्री हरगोविन्दसिंह तथा स्वशासन मंत्री, श्री चतुर्भुज शर्मा भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २८ अगस्त, १९६१

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

लोकनाथ, इलाहाबाद में उखाड़े गये कांग्रेसी झण्डे को फिर लगाने पर जांच

*१—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद शहर के लोकनाथ मुहल्ले में अनधिकृत स्थान पर कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा हुआ था जिसे हाल ही में कारपोरेशन के अधिकारियों ने हटवा दिया ?

स्वशासन मन्त्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—जी हां।

*२—**श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के कांग्रेसजनों द्वारा उक्त झंडा पुनः उसी अनधिकृत स्थान पर स्थापित कर दिया गया है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—झंडा उसी स्थान पर फिर लगा दिया गया है। महापालिका की ओर से इस बात की जांच की जा रही है कि वह किसने लगाया है।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)—क्या सरकार के पास पुलिस की ऐसी रिपोर्ट आयी है कि इस झंडे से ट्रैफिक को कोई रुकावट नहीं होती ?

स्वशासन राज्य मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—अभी तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। यहां पर कोई सूचना इस बात की नहीं है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस स्थान पर झंडा किस हैसियत से लगाया गया था ?

श्री अध्यक्ष—इसमें यह है कि उक्त क्षेत्र में कांग्रेसजनों द्वारा उक्त झंडा पुनः उसी अनधिकृत स्थान पर स्थापित कर दिया गया है और वह यह कह रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटी तहकीकात कर रही है। इसके बाद अब आप सवाल पूछिए।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि लोकनाथ की गली जो है वह इलाहाबाद में सबसे तंग गली है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस दृष्टि से कभी देखा तो है नहीं कि तंग है या कैसी है ? जैसी और हैं वैसी ही वह भी होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब महापालिका ने पहले उसको अनधिकृत समझकर के हटा दिया था तो अब जांच किस बात की कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नगर महापालिका यह जांच कर रही है कि किसने लगाया।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—सरकार बतायेगी कि यह अनधिकृत स्थान पर जो झंडा लगा था, क्या वह सड़क के बीचोबीच लगा था ?

नोट—तारांकित प्रश्न १ व २ श्री लक्ष्मीनारायण बंसल ने पूछे।

श्री चतुर्भुज शर्मा—जैसा, अभी बतलाया गया कि एक तिराहा है, उसके बीच ही में वह लगा है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—महापालिका को जब मालूम है कि कोई अनधिकृत रूप से झंडा लगा था, तो क्या यह सूचना सरकार के पास है कि वह झंडा वहां पर है या हटवा दिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां । झंडा लगा हुआ है ।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास कोई ऐसी सूचना है कि जिससे जाना जा सके कि यह झंडा कितने दिनों से वहां लगा आ रहा है और अब कारपोरेशन ने उसे हटाया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—असल में कुछ ऐसा कहा जाता है कि यह स्थान एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर १८५७ में भी कुछ शहीद इस गली में हुए थे और सन् ४२ में भी इस मुहल्ले के कुछ लोग शहीद हुए, तो उनकी यादगार में इस जगह पर १५ अगस्त और २६ जनवरी को पहले भी वरिष्ठ नेताओं के हाथ से झंडे फहराये जाते थे, लेकिन बराबर झंडे नहीं लगे रहते थे ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि शहीदों की स्मृति में उस जगह पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता था या किसी खास पार्टी का झंडा फहराया जाता था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जैसा मैंने अर्ज किया कि जो पुराना झंडा था वह १८५७ व १९४२ के शहीदों की स्मृति का झंडा था और सभी पार्टियां इसका आदर करती थीं । इत्तफाक से अब वह कांग्रेस का झंडा हो गया है, लेकिन जनता उसको अपना झंडा मानती है और जनता द्वारा यह झंडा फहराया जाता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १८५७ तथा १९४२ के स्वतन्त्रता संग्राम के जो सैनिक वहां पर शहीद हो गये, उन पर जो झंडा लहराया था उसे जनता अपना झंडा मानती थी ? तो क्या सरकार ऐसा आदेश जारी करने का विचार करेगी कि जिस झंडे में सारे झंडों का समावेश हो गया है वही नेशनल फ्लैग वहां पर फहराया जाय ?

श्री अध्यक्ष—सरकार स्वशासन संस्थाओं को बाध्य नहीं कर सकती । यह थोड़ी-सी मैंने इसलिये इजाजत दे दी कि ऐसा यह प्रश्न था, लेकिन गवर्नमेंट उनको बाध्य नहीं कर सकती । वह इन्क्वायरी कर रहे हैं । उनको पूरा अधिकार है । वह जांच कर रहे हैं शायद मुकदमा चलाना चाहें या और कुछ करना चाहें । उसके लिये गवर्नमेंन्ट को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते । नगरपालिका के बारे में आप पूछ सकते हैं । सो उन्होंने बतला दिया कि वह जांच कर रहे हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि जनता इस झंडे को अपना झंडा समझती है और इत्तफाक से यह कांग्रेस पार्टी का झंडा हो गया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जनता का झंडा, कांग्रेस पार्टी का झंडा और राष्ट्रीय झंडे में कोई अन्तर है या नहीं या राष्ट्रीय झंडा और कांग्रेस पार्टी का झंडा एक ही झंडा माना जाता है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप उनकी राय पूछ रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और इस बात पर आपत्ति करता हूं कि यदि कोई पार्टी अपने झंडे को राष्ट्रीय झंडे की तरह से तसलीम करती है तो वह बड़ा गलत काम करती है। वह राष्ट्र का अपमान करती है और राष्ट्रीय झंडे का अपमान करती है यदि सरकार यह कहती है कि वह पार्टी का झंडा जनता का झंडा है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनका जनता के झंडे से मतलब राष्ट्रीय झंडे से था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद वह राष्ट्र का झंडा राष्ट्रीय झंडा हो गया। जहां तक कांग्रेस के झंडे का प्रश्न है मैंने यह कहा था कि जनता उस झंडे को अपना झंडा मानती रही है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पहले और बाद में भी जनता का बहुत बड़ा अंश उस झंडे को अपना झंडा मानती है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के झंडे को माननीय मंत्री महोदय राष्ट्रीय झंडा मानते हैं या जनता का झंडा मानते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कांग्रेस के झंडे में और जनता के झंडे में कोई अन्तर नहीं होता।

[२८ अगस्त, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—३—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[४ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—[४ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

सहकारी सुपरवाइजरों का वेतन-क्रम

*५—श्री राम सुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सम्प्रति प्रदेश में सहकारी सुपरवाइजरों का वेतनक्रम किन-किन आधारों पर और क्या-क्या नियत है ? क्या ५ रु० वार्षिक महंगाई भत्ता उनके वेतन क्रम में शामिल है या नहीं ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री मंगला प्रसाद)—सहकारी सुपरवाइजरों के लिये दो वेतन क्रम हैं :—

१—४०—२—६०—४—८० रु०।

२—सेलेक्शन ग्रेड ७५—५—१२० रु०।

सुपरवाइजरों के पद के लिये निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं उसमें सफल होने के उपरान्त किसी उम्मीदवार को ४०—२—६०—४—८० के वेतन-क्रम में नियमित सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त किया जाता है।

वरिष्ठता, अनुभव तथा कार्यक्षमता के आधार पर पुराने योग्य सुपरवाइजरों को स्थान रिक्त होने पर ४०—२—६०—४—८० के वेतन क्रम से ७५—५—१२० के वेतन क्रम में पदोन्नत किया जाता है।

५ रु० मासिक भत्ता वेतन क्रम में सम्मिलित नहीं है।

कोआपरेटिव एवं केन सोसाइटियों के एकीकरण पर विचार

*६—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री ४ अगस्त, १९५८ के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव एवं केन सोसाइटियों के एकीकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन कब तक रहेगा ?

श्री मंगलाप्रसाद—यह प्रश्न उत्तर प्रदेश सहकारिता समिति विधेयक पर विधान सभा द्वारा नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के विचाराधीन है ।

मार्टिन पुरवा, लखनऊ में मकानों की मरम्मत के लिये ऋण

*७—**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)—सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत बाढ़ में शहर लखनऊ के गिरे हुये मकानों की मरम्मत के लिये जो कर्ज सरकार की ओर से दिया गया था, क्या वह मार्टिन पुरवा शहर, लखनऊ के मकानों की मरम्मत के लिये नहीं दिया गया ? यदि नहीं दिया गया तो इसका क्या कारण है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—गत् वर्ष की बाढ़ में गिरे हुये मकानों की मरम्मत हेतु लखनऊ शहर में जो ऋण वितरित किया गया उसमें मार्टिन पुरवा के एक मकान के लिये भी ऋण दिया गया था ।

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मार्टिन पुरवा के रहने वालों में से कितनों ने कर्ज की दरख्वास्त दी थी और केवल एक को ही कर्ज मंजूर करने का क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—दरख्वास्त केवल एक आदमी ने दी थी और वही मंजूर कर दी गई ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी को मालूम है कि इस पुरवे में कितने मकान गिरे थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सूचना तो मेरे पास नहीं है ।

*८—**श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)—[४ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

मेहतरों को मैले का मुआवजा देने तथा सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने का सुझाव

*९—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शहरों में नगरपालिकायें जनता की टट्टियों को साफ करने वाले प्राइवेट मेहतरों से मैले को अपने खाद के गड्ढों में डलवा लेती हैं ? यदि हां, तो क्या वह उनको उसका कुछ मुआविजा देती हैं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जी हां, परन्तु मेहतरों को उसका कोई मुआविजा नहीं दिया जाता है ।

*१०—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार को पता है कि उक्त मेहतरों को वह मैला अपने-अपने सिरों पर ढोना पड़ता है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—सरों पर मैला ढोने की कोई सूचना सरकार के पास नहीं है परन्तु प्राइवेट मेहतरों को हाथ की गाड़ियां देने की कोई योजना कार्यान्वित नहीं की गई है । अतएव यह मैला मेहतर बर्तनों में हाथ से ढोते होंगे ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि नगरपालिकाएं खाद के गड्ढों को हजारों रुपये में बेचती हैं ? यदि हां, तो मेहतरों को नगरपालिकाओं से मुआवजा दिलाने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जरूर बेचा जाता है और कितने रुपये में बेचा जाता है यह तो अलग-अलग म्युनिसिपैलिटी में दर्ज होगा लेकिन यह जरूर है कि म्यूनिसिपैलिटीज इन्हें बेचती हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इस मैले को ढोने के लिये मेहतरों को कोई एपरेटस नहीं दिया जाता है, वह सिर पर ढोते हैं, तो क्यों इस मैले पर कब्जा कर लिया जाता है और उनका हक उन्हें नहीं दिया जाता ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—असल में रूल्स के मुताबिक, म्यूनिसिपैलिटीज चूंकि इसके डिपाजिट के लिये स्थान नियुक्त करती हैं, उसमें कुछ और कार्यवाही करती हैं, तो म्युनिसिपैलिटीज रूल्स के अनुसार यह सम्पत्ति म्युनिसिपैलिटी की मानी जाती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, सरकार ने कहा कि हाथों से ढोते होंगे। तो क्या सरकार बताएगी कि इस मैले को हाथों से न ढुलवा कर गाड़ियों आदि से इसकी ढुवाई करा सकने में सरकार कब तक सक्षम हो सकेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तृतीय पंचवर्षीय योजना में ऐसी पूरी कोशिश की जायगी कि यह प्रथा खत्म हो जाय। सब जगह ऐसा नहीं है, बहुत-सी जगह म्यूनिसिपैलिटीज ने इसका इंतजाम किया है—हाथ की गाड़ी सप्लाई करने का और कमिश्नर्स को यह आदेश है कि वह हर म्युनिसिपैलिटी में इसका प्रबन्ध कराएं कि किसी तरह से भी नई प्रथा चालू होनी चाहिये और पुरानी प्रथा खत्म होनी चाहिये।

श्री शिवप्रसाद नागर—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि स्वीपर कहीं घर कमाते हैं तो कहा जाता है कि १० घर, २० घर या ५ घर कमाते हैं और यह भी कहा जाता है कि आज तुम कमाने क्यों नहीं आये। तो इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह मेहतरों की कमाई है और उस कमाई को म्युनिसिपैलिटी बेच लेती है—हमारे संविधान में यह अधिकार किसी को नहीं है कि किसी की कमाई को कोई ले ले—तो मेहतरों की निजी कमाई का कोई हिस्सा उनको दिया जाय, ऐसा कोई आदेश जारी करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय सदस्य सोच सकते हैं कि ऐसे मामलों में कोई खास नियम बनाना और हिस्सा बांटना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। कूड़ा कचड़ा एक जगह इकट्ठा हो और सही तरीके से उसका डिस्पोजल हो, ऐसा होना चाहिये और यही व्यवस्था म्युनिसिपैलिटीज अपने आप करती हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रथा को बन्द करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने सवा २५ लाख रुपया प्रदेशीय सरकार को दिया है ? यदि हां, तो उन्होंने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तृतीय आयोजना में कुछ अनुदान दिया है जो पहले सदन में बताया जा चुका है। इस रुपये में से म्युनिसिपैलिटीज को जरूरत के अनुसार दिया जायगा।

सहकारी विभाग में पिछड़े वर्ग का गजटेड अफसर न होना

*११—**श्री भजनलाल** (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सहकारी विभाग में कुल कितने गजटेड अफसर कार्य कर रहे हैं ? उनमें कितने हरिजन और कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं ?

नोट—तारांकित प्रश्न ११ श्री मोतीलाल अवस्थी ने पूछा।

उद्योग उपमन्त्री (श्री मलखानसिंह)—सहकारी विभाग में कुल १०३ गजेटेड आफिसर कार्य कर रहे हैं। इनमें से ३ हरिजन हैं। कोई आफिसर पिछड़े वर्ग का नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे कि इन तीन गजटेड अफसरों में पिछड़ी जाति का एक भी क्यों नहीं ह ?

श्री मलखानसिंह—यहां रिजर्वेशन का सवाल नहीं है। जो लोग चुनाव में आ गये वह आ गये। पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति के न आने का कारण अयोग्यता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो सहकारिता विभाग में १०३ गजटेड अफसर हैं उनमें क्या ऐसे पिछड़े वर्ग के अफसर नहीं हैं कि जिनकी लम्बे अरसे तक सेवायें हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह इससे किस प्रकार उत्पन्न होता है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—लम्बे अरसे तक जिनकी सेवायें होती हैं वे ही चुनाव में आ पाते हैं।

श्री अध्यक्ष—यह उन्होंने कहा नहीं, आप उनसे यह पूछिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जिन अफसरों में से चुनाव किया गया, उनमें क्या पिछड़े वर्ग के अफसर नहीं थे ?

श्री मंगलाप्रसाद—उन १०३ में से सिर्फ १७ आदमी चुने गये जिनमें ७ हरिजन थे, बैकवर्ड कोई नहीं था। आपने बैकवर्ड के बारे में सवाल किया है। वहां के अधिकारियों में बैकवर्ड बहुत से हैं, लेकिन वे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर आफिशियेटिंग रूप में काम कर रहे हैं। अभी उनका कन्फर्मेशन नहीं हुआ। थोड़े दिनों बाद जब आप सवाल करेंगे तो उस समय तक उनका कंफर्मेशन हो जायगा। हमारे यहां से तय हो गया है, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास बैठ कर आखिरी सेलेक्शन होने वाला है और उसमें जो पुराने काम करने वाले हैं वे भी गजेटेड अफसरों में आ जायंगे।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि चुनाव किस आधार पर हुआ और उसमें पिछड़े वर्ग की और हरिजनों की कितनी दरख्वास्तें थीं ?

श्री मंगलाप्रसाद—इसके लिये नोटिस चाहिये। चुनाव पब्लिक सर्विस कमीशन से हुआ है, इसलिये इसकी सूचना यहां नहीं है।

फूलपुर टाउन एरिया में अव्यवस्था की शिकायत

*१२—**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत टाउन एरिया फूलपुर में व्याप्त अव्यवस्था व गड़बड़ी के विषय में वहां के नागरिकों का कोई पत्र उन्हें मार्च, १९६१ के प्रथम पक्ष में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही सरकार ने की ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जी नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस फूलपुर टाउन एरिया में किसी किस्म की गड़बड़ी की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी जवाब दिया गया कि इस तरह की कोई सूचना नहीं आयी और न कोई शिकायत ही प्राप्त हुई है।

नोट—तारांकित प्रश्न १२ श्री मोतीलाल अवस्थी ने पूछा।

वाराणसी नगरमहापालिका द्वारा अनियमित कर लगाने का श्री दुर्गादास भट्टाचार्य का आरोप

*१३—श्री रामलखन (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर महापालिका, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १७२ (१) के अनुसार कर दाताओं से कर वसूल करने के लिये बिना किसी संकल्प को पारित किये ही १५ प्रतिशत संपत्ति कर अप्रैल, सन् १९६० से वसूल कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो नगरमहापालिका में उक्त कर लगाने के लिये किस तारीख को संकल्प पारित किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं । वाराणसी नगरमहापालिका ने उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १७२ (१) के अन्तर्गत अपने प्रस्ताव संख्या १३, दिनांक १८-३-६० के अनुसार १५ प्रतिशत संपत्ति कर १ अप्रैल, १९६० से लगाने का निश्चय किया । और इस निश्चय के हो जाने के उपरान्त ही तदनुसार कर १ अप्रैल, १९६० से लगाया गया ।

*१४—श्री रामलखन (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका वाराणसी के एक सभासद श्री दुर्गादास भट्टाचार्य ने उक्त अनियमित संपत्ति कर के विरुद्ध कोई शिकायत सरकार के पास भेजी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई तथा क्या उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां । श्री दुर्गादास भट्टाचार्य, सभासद नगरमहापालिका, वाराणसी की शिकायत दिनांक ५-११-६० शासन को प्राप्त हुई थी । उस पर विचार किया गया और कर अनियमित रूप से लगाने का आरोप गलत पाया गया । श्रीभट्टाचार्य को यही सूचित कर दिया गया था । श्री भट्टाचार्य के पत्र की †प्रतिलिपि और उसका जवाब सदन की मेज पर रख दिये गये हैं ।

*१५—श्री रामलखन (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि वाराणसी नगरमहापालिका ने उक्त अनियमित कर के विरुद्ध अपने कई अधिवशनों में कार्यस्थगन प्रस्ताव पारित किये हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं । श्री भट्टाचार्य ने दो कार्य स्थगन प्रस्ताव नगर महापालिका वाराणसी की बैठकों में रखे थे जो अस्वीकृत हो गय थे । वे प्रस्ताव पारित नहीं हुए । उनकी †प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी है।

वाराणसी अन्तरिम जिला परिषद् की कुछ सड़कों को पक्की करन के लिये प्रार्थना

*१६—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार कर रही है कि प्रदेश की अन्तरिम जिला परिषद जिन कच्ची सड़कों को कंकड़ से पक्की या तारकोल से बनवाना चाहती है उनके लिये सरकार मांग करने पर सहायता (अनुदान) देगी ? यदि हां, तो क्या वाराणसी की अन्तरिम जिला परिषद् ने भोजूबीर, सिंधोरा, मोराशाह, कठिरांव, बसनी, ताड़ी नेवादा व बड़ागांव, अनेई होते हुए तमाचाबाद की कच्ची सड़कों के लिये कोई सहायता मांगी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं ।

---

†प्रतिलिपि छापी नहीं गई ।

*१७—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बड़ागांव–अनेई–तमाचाबाद वाली कच्ची सड़क जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की है इसको बनवाने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही अब तक की है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बड़ागांव–अनेई–तमाचाबाद वाली सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग की नहीं है ।

*१८—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[४ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

गोरखपुर जिला सहकारी फेडरेशन तथा बैंक में गबन

*१९—श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि जिला सहकारी (Federation), गोरखपुर के गबन के सिलसिले में जो बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की कमेटी स्थायी रूप से निलम्बित (suspend) कर दी गई थी उसे पुनः पूर्ववत् स्थापित (reinstate) कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उसे पुनः स्थापित करने का क्या कारण है ?

*२०—क्या सहकारी बैंक लि०, गोरखपुर के मैनेजिंग डाइरेक्टर ने १–६–६० को गोरखपुर शहर के कैन्टोनमेन्ट थाना में उक्त बैंक में हुए गबन के बारे में कोई F. I. R. दर्ज कराया था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त गबन के केस के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

*२१—क्या यह सत्य है कि जिला सहकारी बैंक, गोरखपुर के मैनेजिंग डाइरेक्टर ने गत ८ मई, १९६१ को उक्त पद से इस्तीफा दे दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त इस्तीफे का क्या कारण है ?

श्री मलखानसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—यह सूचना कब तक एकत्रित हो जायगी और क्या उसके पश्चात् माननीय मंत्री जी वह सूचना सदन में देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह उत्तर तो सदन में अवश्य ही दिया जायगा । मंत्री जी प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दे दें ।

श्री मलखानसिंह—जल्द से जल्द सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—इसी संबंध में एक प्रश्न का उत्तर पिछले सदन (सत्र) में दिया गया था और उस संबंध में एक माननीय सदस्य ने अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि यह गोलमाल मैनेजिंग डाइरेक्टर के समय का नहीं है, पहले का है । तो क्या सरकार बतलायेगी कि १९५१–५२ और १९५३ में यदि यह गोलमाल हुआ है तो उस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उस संबंध में कितना गबन हुआ है?

श्री मलखानसिंह—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस समय कौन कौन लोग मैनेजिंग डाइरेक्टर थे ?

श्री अध्यक्ष—जब उनके पास सूचना नहीं है तो वह कैसे बता सकते हैं ।

नोट—तारांकित प्रश्न १९—२१ श्री अमरनाथ ने पूछा ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--जैसा कि प्रश्न संख्या २१ में पूछा गया है, क्या सरकार को यह भी पता है कि नहीं कि गोरखपुर के मैनेजिंग डाइरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है ?

श्री मंगलाप्रसाद--जहां तक इस्तीफे का प्रश्न है यह तो जानकारी है, किन्तु चूंकि तीनों सवाल एक साथ पूछे गये हैं और उन सबकी जानकारी अभी नहीं मिली है, इसलिये यह कहा गया कि सूचना एकत्र की जा रही है। ८ मई को जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उनकी जगह दूसरा आ गया ।

श्री गोविन्द सिंहविष्ट--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स था उसमें इस आदरणीय सदन के भी दो सदस्य थे और उसको खत्म करने के बाद उन लोगों को फिर नियुक्त किया गया ?

श्री अध्यक्ष--यह किस प्रश्न से संबंधित है ?

श्री गोविन्द सिंह विष्ट--श्रीमन्, जिला सहकारी बैंक के संबंध में प्रश्न पूछे गये हैं और प्रश्न संख्या २०, २१ जो है उन्हीं से संबंधित यह प्रश्न भी है ।

श्री अध्यक्ष--वह तो एक कमेटी के बारे में है। कमेटी के बारे में आप पूछ सकते हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या यह सही है कि डाक्टर संपूर्णानन्द जी की सरकार ने इस आदरणीय सदन में आश्वासन दिये थे कि इसके ऊपर शीघ्र कार्यवाही की जायेंगी और जो भी उचित कदम होंगे, वे उठाये जायंगे, यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मंगलाप्रसाद--इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

मनीआर्डर फार्म के अभाव में कानपुर जिला परिषद् के अध्यापकों को वेतन विलम्ब से मिलना

*२२--**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार के पास अन्तरिम जिला परिषद् कानपुर की ओर से अभी हाल में शिकायतें आई हैं कि मनीआर्डर फार्म के अभाव के कारण जिले के अध्यापकों का वेतन नहीं भेजा जा रहा है ? यदि हां, तो इस संबंध में उसने क्या कार्यवाही की ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--जी नहीं ।

*२३--**श्री राम दुलारे मिश्र** (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि कानपुर जिले के उक्त अध्यापकों के वेतन कई महीने से रुके हुए हैं ?

श्री गनेशी लाल चौधरी--मनीआर्डर फार्म न प्राप्त होने तक अध्यापकों का वेतन माह फरवरी व मार्च, १९६१ का शेष था जिसका वितरण १ मई, १९६१ को मनीआर्डर फार्म के प्राप्त होने पर तुरन्त किया गया ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न २२ के उत्तर में कहा गया है कि मनीआर्डर फार्म का अभाव नहीं है और अगले प्रश्न में कहा गया है कि मई के महीने में मनीआर्डर गये और वेतन कुछ बाकी हैं तो दोनों उत्तरों में कौन सा सही है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--सरकार के पास फार्मों की कमी की कोई सूचना नहीं है ।

नोट--तारांकित प्रश्न २२-२३ श्री ब्रज नारायण तिवारी ने पूछे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो वेतन फरवरी, मार्च के भेजे जा रहे हैं तो इतने विलम्ब से भेजे जाने का क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह बताया गया कि मनी आर्डर फार्म नहीं मिले थे, लेकिन उसकी सूचना सरकार को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से नहीं आयी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि अंतरिम जिला परिषद् के पास जो मनी आर्डर फार्म का अभाव था तो उन्होंने इस संबंध में पोस्ट आफिस को लिखा था या सरकार को लिखा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--उन्होंने केवल पोस्ट मास्टर जनरल को लिखा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या सरकार प्रबन्ध करेगी कि मनीआर्डर फार्म की कमी या सरकार के पास इत्तला न आने की दृष्टि में अध्यापकों का वेतन समय से मिल जाया करे?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह जिला परिषदों का काम है, मेरे खयाल से वह जरूर प्रबन्ध करेंगे कि समय से वेतन मिले ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--ऐसी स्थिति में जब जिला अध्यापकों का वेतन सिर्फ मनीआर्डर फाम की वजह से न मिला तो एस० डी० आई० जो रहते हैं उनके जरिये से बटवाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह जिला परिषद् का काम है, जैसा वह उचित समझते हैं, करते हैं। यह उनसे कहा गया है कि समय से वेतन मिला करे, लेकिन व्यवस्था करना जिला परिषदों का काम है ।

*२४-२६--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**--[४ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

लखनऊ नगर महापालिका के पेय जल में गन्दे नालों का पानी मिल जाने की शिकायत

*२७--**कुंवर श्रीपाल सिंह** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जून, १९६१ में जब लखनऊ नगरमहापालिका के स्वास्थ्य अधिकारी के कतिपय गन्दे नालों की सफाई कराई तो इस रहस्य का उद्घाटन हुआ कि उन नालों की तह से गुजरने वाले पेय जल पाइपों में मोर्चा लग कर छोटे-छोटे सूराख हो गये हैं जिसके फलस्वरूप गन्दा पानी पेय जल में निरन्तर मिलता रहा है ? यदि हां, तो कुछ अनुमान है कि यह प्रक्रिया कब से चलती आ रही है और किसकी गलती से ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--जिन नालों की सफाई की गई उनकी तह में या उनके बहते हुए गन्दे पानी के अन्दर पेय जल के कोई भी पाइप नहीं थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या मंत्री जी के पास इस बात की कोई सूचना है कि स्वास्थ्य अधिकारी ने १३ जून को मुख्य नगराधिकारी को कुछ ऐसे पाइप के टुकड़े दिखाये थे जिनमें सूराख थे और जो नाले के नीचे से निकले थे और पीने वाले पानी के पाइप के टुकड़े थे ?

श्री गनेशीलालचौधरी--ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह--मंत्री जी बतायेंगे कि जिन नालों को उन्होंने कहा कि उनके नीचे से पीने वाले पाइप नहीं जाते हैं, तो क्या वे पाइप उन नालों के ऊपर से गये हुए हैं ? यदि हां, तो वह दिखलाई क्यों नहीं पड़ते ?

श्री गनेशी लाल चौधरी--ऊपर से गये हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मंत्री जी बतायेंगे कि शहर में जो बहुत से पाइप लगे हुए ह जो बहुत पुराने हो गये हैं और उनके ऊपर का कवरेज गल गया है जिसकी वजह से गंदे नाले का पानी आता रहता है ? तो क्या मंत्री जी इस बात को मालूम कराकर उनको बदलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अब इसकी सूचना तो नहीं है कि कौन पुराने हैं और कौन नये हैं । अगर माननीय सदस्य दूसरा सवाल करेंगे तो सूचना मंगा ली जायगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--मंत्री जी ने कहा ऊपर से गये हैं पाइप । तो उनके सुराख क्यों नहीं दिखलाई देते ?

श्री चतुर्भुजशर्मा--असल में समझा यह गया कि जमीन के ऊपर से गये हुए हैं । ऊपर गये होने के माने हैं, आप कहें तो मैं पूरी सूचना दे दूं ।

"सरकटे नाले के पास मोतीलाल पुल से अब्दुल अजीज रोड से आने वाला ६०० फुट नाला पटा हुआ था जो रास्ते का काम देता था । इस पटे हुए रास्ते पर पक्की पुलिया (मोतीलाल पुल) के ऊपर १०।१२ पेय जल के कनेक्शन थे । नाले के बहाव को ठीक करने के लिये यह पूरा रास्ता खोद दिया गया और पक्की तंग पुलिया भी खोद दी गई । जब यह रास्ता खोदा गया तो पता चला कि मकानों के अन्दर जाने वाले जो कनेक्शन थे उनमें छोटे-छोटे सूराख हो गये थे । यह कनेक्शन नाले की न तह में थे और न बहते हुए पानी में थे ।"

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनका पहले वाला उत्तर सही है या यह उत्तर सही है जो अभी दिया है, क्योंकि पहले यह कहा कि इस किस्म का कोई पाइप नहीं मिला और अब कहते हैं कि जो घर में जाने वाले पाइप थे उनके सूराख मिले। इसके माने यह है कि जो पानी पीने वाला जाता था उसमें नाले का पानी मिल कर जाया करता था । तो दोनों में से कौन सा उत्तर सही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--दोनों सही हैं क्योंकि गन्दे नाले की बाबत सवाल था और गन्दे नाले की बाबत उत्तर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--यह जरा साफ हो जाना चाहिये । प्रश्न यह था कि "क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जून, १९६१ में जब लखनऊ नगरमहापालिका के स्वास्थ्य अधिकारी ने लखनऊ नगर के कतिपय गन्दे नालों की सफाई कराई तो इस रहस्य का उद्घाटन हुआ कि उन नालों की तह से गुजरने वाले पेय जल पाइपों में मोर्चा लग कर छोटे-छोटे सूराख हो गये हैं जिसके फलस्वरूप गन्दा पानी पेय जल में निरन्तर मिलता रहा है ।" इसका यह जबाब दिया--

"जिन नालों की सफाई की गई उनकी तह में या उनके बहते हुये गन्दे पानी के अन्दर पेयजल के कोई भी पाइप नहीं थे ।"

मैंने यह पढ़ कर इसलिये सुनाया कि पहले यह चीज स्पष्ट हो । आपने दूसरा उत्तर जो दिया उसमें यह कहा कि कोई सरकटा नाला या कौन-सा नाला था वह सरकटा नाला जिन नालों की सफाई की गई उनमें नहीं था । तो क्या यह सही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सरकटा नाले का जो सवाल था उसकी बाबत जो मैंने उत्तर दिया वह सरकटा नाले के सम्बन्ध में था और जो पहला सवाल था वह आम सवाल था ।

श्री अध्यक्ष—तो क्या उसमें सरकटा नाला नहीं आता ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सरकटा नाला तो उससे अलग चीज है।

कुंवर श्रीपाल सिंह—मुझे यह पूछना है कि जिन तीन नालों में सफाई कराई स्वास्थ्य अधिकारी ने, उनमें से एक सरकटा नाला भी है। एक डालीगंज का नाला था, एक सरकटा नाला था और एक और था। तो क्या मंत्री जी को पता है कि यह सरकटा नाला भी उस सफाई के अन्दर था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जैसा मैंने अभी अर्ज किया, जो छेद वगैरह थे वह तह में नहीं थे। अब और बाकी डिटेल की बात अगर आप चाहेंगे तो उसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री अध्यक्ष—इसका अगर आप कल उत्तर दें तो ज्यादा उचित होगा। तब तक आप इसको अच्छी तरह से देख लें और फिर मैं समझता हूं कि कल उत्तर दें।

कोआपरेटिव यूनियन भवन, लखनऊ को गिराने का ठेका देने के सम्बन्ध में वाधवा कम्पनी की शिकायत

*२८—**श्री त्रिलोकीसिंह**—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन भवन को गिराने तथा उसके मलवा उठाने के सिलसिले में क्या व्यवस्था की गयी थी ?

श्री मलखानसिंह—भवन को गिराने और मलवा उठाने के लिये समाचार-पत्रों में टेण्डर आमंत्रित करने का विज्ञापन दिया गया था।

*२९—**श्री त्रिलोकीसिंह**—क्या सहकारिता मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस सिलसिले में रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग के पास कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मलखान सिंह—केवल वाधवा कम्पनी की यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि वे टेंण्डर खुलने के दिन यूनियन कार्यालय में केवल दो मिनट ही देर से पहुंचे थे परन्तु उनका अर्नेस्ट मनी जमा नहीं किया गया। जांच करने पर शिकायत निराधार पाई गई जिसकी सूचना शिकायतकर्ता को दे दी गई।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वाधवा कम्पनी का टेंडर, जो टेंडर स्वीकृत हुआ है, उससे कम था ?

श्री मलखानसिंह—वह टेंडर मिला ही नहीं। उन्होंने कोई टेंडर दिया ही नहीं।

श्री सुरथबहादुरशाह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दो मिनट बाद कौन चीज दी गई ?

श्री मलखानसिंह—कोई चीज नहीं दी गई, जो शिकायतें थीं वह निराधार थीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कोआपरेटिव यूनियन भवन के गिराये जाने के कारण क्या थे और वह किस उपयोग में लाई जायगी ?

श्री मलखानसिंह—कोआपरेटिव यूनियन की प्रबन्धकारिणी समिति ने, यह देख कर कि यह बिल्डिंग जीर्ण हो गई है और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भी घोषित कर दिया था कि यह असुरक्षित है, यह तय किया कि इसको गिरवा दिया जाय।

श्री सुरथबहादुरशाह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अगर टेंडर नहीं था तो सरकार ने जमानत की रकम का जिक्र क्यों किया ?

श्री मलखानसिंह—यह जो कहा गया है कि उन्होंने कोई टेंडर जमा नहीं किया था, इससे स्पष्ट है कि उन्होंने कोई टेंडर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि यह स्पष्ट होना चाहिये। वाधवा ऐण्ड कम्पनी की शिकायत प्राप्त हुई थी कि वह टेंडर खोलने के दिन यूनियन के कार्यालय में दो मिनट देर से पहुंचे थे। लेकिन उनका अर्नेस्ट मनी जमा नहीं किया गया। जांच करने पर यह शिकायत निराधार पाई गई, जिसकी सूचना शिकायतकर्ता को दे दी गई। यानी उन्होंने शिकायत की थी कि हमारा रुपया जमा नहीं किया गया। वह कहते हैं कि टेंडर नहीं दिया गया, इसलिये यह उत्पन्न नहीं होता है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सदा की परम्परा के अनुसार उत्तर मिला कि शिकायत निराधार पाई गई तो निराधार सरकार ने किस से जांच कराई....

श्री अध्यक्ष—सरकार निराधार नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, सरकार को नहीं कहता हूं। जो उत्तर मिला है कि शिकायत निराधार पाई गई, तो क्या सरकार बतायेगी कि किससे जांच कराई गई जिससे शिकायत निराधार मिली ?

श्री मलखानसिंह—यह २७-४-६१ को टेंडर खोला गया था।

श्री अध्यक्ष—वह जानना चाहते हैं कि जांच किससे कराई गई ?

श्री मलखानसिंह—उप-निबन्धक द्वारा।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस स्थान को किस उपयोग में लाया जायगा ?

श्री मलखानसिंह—इस पर बिल्डिंग बनेगी।

श्री अध्यक्ष—किस डिपार्टमेंट की ?

श्री मलखानसिंह—गवर्नमेंट विचार करेगी।

नैनीताल व अल्मोड़ा जिलों में पेय जल योजना

*३०—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २ मार्च, १९६० को श्री ताराचन्द माहेश्वरी के प्रश्न संख्या ५४ के उत्तर व अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में जो बताया गया कि नैनीताल व अल्मोड़े जिले के ३३ गांवों व २१ गांवों (कुल ५४ गांवों) में जल वितरण योजनाएं चल रही थीं, वे कौन-कौन सी थीं व उनमें से कितनी बन चुकी हैं और जो नहीं बन सकीं उनका क्या कारण है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३१—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या स्वायत्त शासन मंत्री ने जो बताया था कि श्रमदान की धनराशि घटा कर १० परसेंट किये जाने की बात सरकार के विचाराधीन है, उसमें सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जनता के अंशदान को सामान्यरूप से २५ प्रतिशत से घटा कर १० प्रतिशत नहीं किया जा सकता, लेकिन अभावग्रस्त तथा पिछड़े प्रदेशों में जहां की जनता अति निर्धन है तथा अपना अंशदान देने के लिये सर्वथा असमर्थ है, वहां अंशदान को परिस्थिति के अनुसार कम किया जा सकता है अथवा बिलकुल माफ किया जा सकता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि बुन्देलखंड और उत्तर के पहाड़ी जिले ऐसे हैं जो अभावग्रस्त हैं, वहां से मांगें आई हैं कि वे दस प्रतिशत भी नहीं दे सकते हैं, तो क्या मंत्री जी ऐसी आज्ञा देंगे कि वह दस प्रतिशत भी माफ किया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह अलहदा-अलहदा केसेज हैं। जो इस लायक होंगे कि माफ किये जायं, उन पर विचार किया जायगा और माफ किये जायंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी के पास अल्मोड़े से स्कीम आई है जिनमें अन्तरिम जिला परिषद् ने सिफारिश की है कि यहां लोग दस प्रतिशत भी जमा नहीं कर सकते हैं ? यदि हां, तो मंत्री जी उस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—योजना तो आई है, लेकिन यह कि फलां-फलां लोग नहीं दे सकते हैं, ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी ने उस प्रस्ताव को पढ़ा भी है या यों ही कह रहे हैं, उस प्रस्ताव में साफ-साफ लिखा है कि यह १० परसेंट भी माफ किया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आपने क्या प्रस्ताव पास किया, वह नहीं आया है, जो योजनाएं पास हुईं वह आयी हैं। किन शर्तों पर, आपने प्रस्ताव पास किया है, यह चीज जैसा कि मैंने अर्ज किया अभी नहीं आयी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय मंत्री जी ने बताया कि सूचना एकत्र की जा रही है। इसी विषय में २ मार्च, १९६१ को श्री ताराचन्द माहेश्वरी के प्रश्न का उत्तर दिया गया था। तो क्या वजह है कि उस दिन से आज तक सूचना एकत्र नहीं हुई, जबकि उसी दिन जवाब दिया गया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कई जगहों से इसका सम्बन्ध है। इसलिए देर लगती है।

श्री जगन्नाथ पांडेय, भूतपूर्व पंचायत मन्त्री, माझा नगर का बकाया वेतन

*३२—**श्री रामायणराय** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगन्नाथ पांडेय, भूतपूर्व पंचायत मंत्री, माझा नगर, जिला देवरिया को बकाया वेतन, जीवन निर्वाह भत्ता तथा जमानत की रकम १८५ रुपये अब तक उन्हें भुगतान न देने का क्या कारण है ?

*३३—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि विगत सात वर्षों में कितनी बार उक्त व्यक्ति ने उपर्युक्त रकम की वापसी का प्रार्थना-पत्र मंत्री जी तथा सम्बन्धित अधिकारियों की सेवा में प्रेषित किया ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—सूचनायें एकत्र की जा रही हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह सूचना कब तक एकत्रित हो जायगी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—शीघ्र ही एकत्र हो जायगी।

नोट—तारांकित प्रश्न ३२–३३ श्री ब्रजनारायण तिवारी ने पूछे।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या मंत्री जी के पास इसकी सूचना है कि उक्त पंचायत मंत्री ने कब इस्तीफा दिया; कब से काम पर नहीं हैं?

श्री गनेशीलाल चौधरी—कोई सूचना नहीं है।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या यह सही है कि ये मंत्री जी ७ वर्ष पूर्व से निलंबित हैं और वेतन नहीं पा रहे हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिए सूचना मांगी गयी है। आने पर बतलाया जा सकता है कि क्या मामला है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार बतायेगी कि पहले प्रश्न में लिखा कि १८५ रुपया वेतन का बकाया है और दूसरे में लिखा है कि कितने आवेदन-पत्र दिये हैं, तो कितने आवेदन-पत्र सरकार के पास आ चुके हैं, इसकी सूचना सरकार के पास है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिए भी नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सवाला यह था कि उसके बारे में क्या बात हो रही है। चूंकि सूचना नहीं आयी तो यह नहीं बताया ज सकता कि कितने प्रार्थना-पत्र दिये गये।

श्री बलदेवसिंह—इसे कल के लिए मुल्तवी कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, कल कैसे आ सकता है?

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, प्रत्येक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि "नोटिस की जरूरत है", तो जो सूचना मंत्री जी के पास इस समय हो वही दे दी जाय, जो वह बिना नोटिस के दे सकें।

श्री अध्यक्ष—यह तो प्रश्न कर्ता ही कह सकते हैं कि वह कैसी इन्फार्मेशन चाहते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—वह तो गैरहाजिर हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—आप जरा इस प्रश्न को गौर से देखें—जो ३३ है। इसमें ७ वर्ष का सवाल है, ७ वर्ष हो गये उनको अपने पद से अलग हुए, वेतन अभी तक बकाया है, सरकार के पास आवेदन-पत्र भी दिये, लेकिन ७ साल तक किसी किस्म की सूचना नहीं, इसका क्या कारण है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कोई डाइरेक्ट रिप्रेजेन्टेशन क़ायदे से नहीं किया।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार इस प्रश्न को सूचना मान कर बतायेगी कि अगर यह सिद्ध हो जाय कि उनका वेतन बाक़ी है तो उसका सूद भी देगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं देख लूंगा।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी बतायेंगे कि जो दिक्कतें संचालक, पंचायत राज और नीचे के स्तर पर पंचायत के कार्यालयों में होती हैं उन्हें वह दूर करने का विचार कर रहे हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कोशिश की जायगी कि कोई दिक्क़त न रहे।

श्री शिवप्रसाद नागर—जब से यह महोदय निलम्बित हैं तब से यह तीसरी सरकार स्थानापन्न हुई है, तो क्या इसके समय में इसका निर्णय हो जायगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पूरी कोशिश की जायगी कि इसका फैसला हो जाय।

गहमर को टाउन एरिया न बनाना

*३४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कस्बा गहमर (गाजीपुर) की निर्धारित से भी अधिक आबादी होने के बावजूद, वहां पर अभी तक टाउन एरिया कमेटी की स्थापना न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—गहमर कस्बा नहीं है बल्कि एक खेतिहर गांव (Agricultural village) है इसलिये उसे यू० पी० टाउन एरिया ऐक्ट, १९१४ की धारा ३ की उपधारा (१) के प्रतिबन्ध (proviso) के अन्तर्गत टाउन एरिया नहीं घोषित किया जा सकता। इसके अतिरिक्त यह गांव जिले के एक कोने में बसा है और यहां पर व्यापार तथा उद्योग के भी कोई साधन नहीं हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी उस गांव की आबादी बतलायेंगे ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—सूचना की आवश्यकता है।

वाराणसी स्टेडियम निर्माण पर व्यय

*३५—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी शहर में जो स्टेडियम बन रहा है वह कितने दिन में बन कर तैयार हो जायेगा, उस पर कितना रुपया अब तक खर्च हो चुका है और कितना खर्च करना बाकी है ?

श्री मंगलाप्रसाद—आशा की जाती है कि वह स्टेडियम मार्च, १९६२ तक बन कर तैयार हो जायगा। ३१ जुलाई, १९६१ तक इसके निर्माण-कार्य में २,२३,६८० रुपये ६४ नये पैसे व्यय किये जा चुके हैं। इसकी पूर्ति में लगभग १ लाख रुपया और व्यय किये जाने की सम्भावना है।

खालिसपुर-भरौली सहकारी समिति में गबन

*३६—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद जनपद की धवरुवा सर्किल की खालिसपुर-भरौली सहकारी समिति में १,७६४ रुपये का गबन इसी वर्ष पकड़ा गया है ? यदि हां, तो उसकी पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री मलखानसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न १२-७-६१ को मैंने दिया था, इतने दिनों में इसकी सूचना एकत्र क्यों नहीं हो सकी, इसमें क्या अड़चन पड़ गयी, जिसकी वजह से इतना समय लगा ?

श्री मंगलाप्रसाद—जवाब वहां से नहीं आया। कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जवाब आ जाय। उनसे यह भी दरियाफ्त कर लिया जायगा कि क्यों सूचना नहीं भेजी।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में भी हो चुकी है ?

श्री मंगलाप्रसाद—यह नहीं मालूम है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या यह सही है कि इस सहकारी समिति में गबन का मामला है ?

श्री मंगलाप्रसाद—जब सूचना नहीं है तो बताना मुश्किल है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने महीने से सूचना एकत्र की जा रही है और कितना समय लगेगा ?

श्री मंगलाप्रसाद—मेरा खयाल है कि बहुत जल्दी आ जायगी।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सूचना रुपये के गबन के सम्बन्ध में एकत्र की जायगी या जिसके द्वारा गबन हुआ है उसके बारे में ?

श्री मंगलाप्रसाद—सभी बातों के बारे में जब जवाब आ जायगा तो पता लग जायगा।

उत्तर प्रदेश पंचायतराज रूल्स के अधीन प्रख्यापित संशोधन†

स्व शासन मन्त्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० पंचायतराज रूल्स, में पंचायतराज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३५२१—प/३३अ—५०७—५५, दिनांक ४ अगस्त, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—कहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह—३—८—६१ को मैंने एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 'ग्राम्या' अखबार के एक लेख के बारे में दिया था। उसके बारे में दफा.....

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कई प्रश्न नियम ५२ में आये। मैंने उनसे कहा था कि आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर दें। अगर माननीय मंत्री जी स्वीकार नहीं करते हैं और मैं उन्हें महत्व का समझूंगा तो दफा ५२ में ले लूंगा और फिर बाध्य होकर उन्हें कुछ न कुछ वक्तव्य देना होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—मुझे मालूम हुआ है कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न तारांकित कर दिया गया है। इस सत्र में.....

श्री अध्यक्ष—आप मेरे कमरे में मेरे पास सूचना भेज दें। आपको मुझे बताना होगा कि कैसे महत्व का है ?

कुंवर श्रीपालसिंह—बहुत अच्छा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, ३५ नम्बर पर माननीय ऊदल जी का प्रश्न रह गया है जो बहुत ही महत्व का है।

श्री अध्यक्ष—मैंने उनका नाम लिया मगर कोई उठा नहीं। अब यह नहीं लिया जा सकता है।

---

† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सदन को सूचना देता हूं कि सन् १९६१ का उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, जो विधान सभा द्वारा ७ अगस्त १९६१ को पारित किया गया था, विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के २४ अगस्त, १९६१ को प्राप्त हो गया है ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--नियम ५२ के अनुसार या कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव मैंने आज स्वीकार नहीं किया है । चूंकि आज अनुपूरक अनुदानों पर बहस होगी, जनरल बहस भी होगी, उसमें माननीय सदस्य महत्वपूर्ण विषयों का जिक्र कर सकते हैं । अगर मंत्रिमंडल की ओर से उनको उत्तर नहीं मिला तो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न द्वारा या नियम ५२ में जानकारी हासिल करने के लिये कल दे सकेंगे ।

गन्ने तथा चीनी की अधिक उत्पत्ति के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा की मांग

श्री अध्यक्ष--नियम ५३ में गन्ना ज्यादा होने से जो समस्यायें उत्पन्न हुई हैं, उन पर बहस के लिये और कुछ सुझाव देने के लिये माननीय गेंदासिंह जी कुछ चर्चा या बहस करना चाहते हैं । मैंने ३० तारीख को इसके लिये २ घंटे का समय नियत किया है । गवर्नमेंट के पास अभी नोटिस नहीं भेजा है, लेकिन गवर्नमेंट ने दूसरे के बारे में कहा है कि हम थोड़ा-सा समय देंगे । तो मैंने उसके लिये १।। घंटा रख दिया है और इस प्रकार ३० तारीख के दिन ३।। घंटे इन दो प्रश्नों की बहस में खप जावेंगे ।

बाढ़ पर विवाद के सम्बन्ध में जानकारी

श्री भुवनेशभूषणशर्मा (जिला इटावा)--माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि वह १० साल से ऊपर वाले सेक्रेटेरियेट के अफसरों को घटा रहे हैं....।

श्री अध्यक्ष--आज आप उसे भी बहस में ला सकते हैं ।

फ्लड्स के बारे में जो बहस अब चल रही है, उसमें चूंकि कल एक्सेस ग्रान्ट्स के बारे में साधारण बहस होती है, उसके बाद जो समय रह जायगा उसमें कल बहस होगी ।

श्री टीकाराम पुजारी द्वारा कमरा खाली कराने की शिकायत

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--श्रीमन्, आज हमारे पास एक चपरासी गया था कि कमरा खाली कर दो, क्या अध्यक्ष जी का आर्डर हुआ है ?

श्री अध्यक्ष--कोई ऐसा आर्डर नहीं है ।

श्री टीकाराम पुजारी--तो, श्रीमन्, इसकी जांच भी करा लीजिये कि वह चपरासी मेरे पास क्यों गया था, किसने भेजा था और वह कौन था ?

श्री अध्यक्ष--मैं आपको बता दूंगा ।

जमुना तथा हिण्डन के बांध टूटने के सम्बन्ध में सूचना की मांग

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—मैं दफा ५२ में हिण्डन और जमुना के बांध टूटने का प्रश्न उठाना चाहता हूं, जिससे बुलन्दशहर जिले की सिकन्दराबाद तहसील के सैकड़ों गांवों में पानी आ गया है, मैं मौके पर गया हूं ।

श्री अध्यक्ष—कल आप इसे ले आइये ।

श्री रामचन्द्र विकल—सूचना यह है कि दिल्ली को बचाने के लिये उसे काटा गया है । इससे हमारे सैकड़ों गांव बरबाद होंगे । मैं समझता हूं कि यह इतने महत्व का प्रश्न है कि इसे जनरल विवाद से अलग लेना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—विवाद से अलाहिदा कैसे होगा । उसकी बहस के समय ही आप उसके बारे में कह सकते हैं ।

कानपुर के लारी पार्क में राष्ट्रीय झंडा फाड़ने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—श्री गोविन्द सिंह जी ने नियम ५२ के अन्तर्गत जो प्रश्न उठाया था, कानपुर के एक पार्क में राष्ट्रीय झंडा फाड़ने के बारे में, उसके संबंध में माननीय गृह मंत्री अपना वक्तव्य देंगे ।

गृह मन्त्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूं कि वह बयान अभी तक मेरे पास नहीं आया है । मुझे १० मिनट का वक्त दे दिया जाय वरना उसको कल के लिये रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—१० मिनट के लिये हाउस बेकार तो बैठेगा नहीं । इसलिये उसको कल के ही लिये रखा जायगा ।

श्री गोविन्दसहाय के अभिकथित लाभप्रद पद पर रहने के सम्बन्ध में सूचना की मांग

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान की धारा १९१ (१) (क) के आधार पर कोई भी इस सभा का सदस्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है । उसी के आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गोविन्द सहाय जी जो इस विधान सभा के सदस्य हैं और मंत्रि मंडल के सदस्य भी हैं, वे 'नया भारत' नाम के एक अखबार के प्रधान संपादक हैं । अब यह पद एक लाभ का पद है, यह माना ही जायगा क्योंकि अगर वह लाभ का पद न होता तो उसमें अवैतनिक लिखा हुआ होता ।

श्री अध्यक्ष—अनुच्छेद १९१ (१) (क) में यह लिखा हुआ है—

"यदि वह भारत सरकार के अथवा प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना उस राज्य के विधान मंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए है ।"

इसमें है "सरकार के अधीन कोई अन्य लाभ का पद" चाहे वह भारत सरकार का पद हो अथवा राज्य सरकार का ?

कुंवर श्रीपालसिंह—जी नहीं, कोई भी अन्य पद हो ।

श्री अध्यक्ष—देखिये अंग्रेजी में वह इस प्रकार है :—

"191 (1) (*a*) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder ;"

यानी वह पद सरकार के अधीन नहीं होना चाहिये और अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन भी कोई पद है और अगर उसके बारे में किसी सदन ने कोई कानून बना दिया है कि सदन के सदस्य उसको स्वीकार कर सकते हैं, तो उसको भी स्वीकार करके सदन के सदस्य रह सकते हैं। कानून इस तरह बनने पर दोनों पदों पर सदस्य रह सकते हैं। यानी गवर्नमेंट के पदों पर भी रह सकते हैं, जिन पदों को उन्होंने कहा है कि वे डिसक्वालिफिकेशन में नहीं आते। गवर्नमेंट के अन्तर्गत लाभप्रद पद होने पर ही वह डिसक्वालिफिकेशन होता है।

कुंवर श्रीपालसिंह—मैं समझता हूं कि .....

श्री अध्यक्ष—आप क्या समझते हैं, मैंने उस पर अपना फैसला दे दिया। आप कृपया बैठें।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)—श्रीमन्, आइटम ८ के बारे में मैं आज जो माननीय मंत्री जी वक्तव्य देने वाले थे, क्या वे आज वक्तव्य नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा है कि व कल वक्तव्य देंगे।

१९६१-६२ के प्रथम पूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के प्रथम पूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद तथा मतदान जारी होगा।

श्री बिहारीलाल (जिला पीलीभीत)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज साढ़े ४ बजे तक सामान्य विवाद हो और उसके बाद तमाम अनुदानों पर बिना विवाद के राय ले ली जाय। यानी हर अनुदान पर बहस न हो।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। यह हो सकता है कि साढ़े ४ बजे तक आम बहस हो और उसके बाद बिना बहस के जितने भी अनुदान हैं, उनके ऊपर मैं सदन की राय ले लूंगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—कल क्या होगा, श्रीमन् ?

श्री अध्यक्ष—कल एक्सेस ग्रांट है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि आज तो दिन भर जनरल डिबेट हो और कल आधा दिन आइटम वाइज के लिये रखा जाय और एक्सेस ग्रांट के लिये बाकी आधा दिन रहे।

श्री अध्यक्ष—कल एक्सेस ग्रांट के बाद मैं चाहता हूं कि बाकी समय फ्लड पर विवाद के लिये दिया जाय।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, बजट के विवाद में तो फ्लड, फायर सब आ ही जायगा।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि इस वक्त प्रदेश में भयंकर स्थिति फ्लड के कारण है इसके लिये अलग से मौका देना चाहिये।

श्री बिहारीलाल—श्रीमन्, समय के संबंध में मेरा प्रस्ताव यह है कि मंत्रियों तथा नेताओं के लिये दस-दस मिनट तथा अन्य माननीय सदस्यों के लिये सात-सात मिनट का समय दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं, पहले नेता विरोधी दल बोलेंगे और मंत्री जी चार्ज में होंगे इस आम बहस के यानी मुख्य मंत्री, उनके उत्तर के लिये मैं समय निश्चित करूंगा उनके बोलने के अनुसार और आपकी टीका-टिप्पणी के अनुसार ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जिन लोगों ने कट-मोशंस पेश किये हैं, थोड़ी बहुत मेहनत की है, उनका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—उनको जनरल बहस में बोलने का चांस मिलेगा ।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है ।

श्री अध्यक्ष—माननीय नेता विरोधी दल के लिये आप आभार प्रदर्शित करें ।

श्री अमरनाथ—अध्यक्ष महोदय, यह जो २,४३,९९,५०० रुपये की मांग हम लोगों से की गयी है, यह तो हर वर्ष ऐसी मांग होती रहती है, लेकिन जो इस वर्ष अनुदान संख्या १३ के अन्तर्गत मोटर-गाड़ियों की खरीद के संबंध में माननीय मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों के लिये ८५,५०० रुपये की मांग की गयी है, उसमें ७ कारों की खरीद होगी, जिनमें से ६ तो मध्यम वर्ग की और एक छोटे वर्ग की कार होगी ।

हम ऐसा देखते आ रहे हैं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय तथा उनके सहयोगी मंत्री सदन में व सदन के बाहर भी इस बात की घोषणा करते आये हैं कि वह कम खर्ची करेंगे । जो बड़ी बड़ी कारें थीं उनका नीलाम किया गया और उनकी जगह पर गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि छोटी कारें रखी जायेंगी, लेकिन इस अनुदान के जरिये जो व्यवस्था की गई है उसमें हम देखते हैं कि बजाय छोटी कारों के मध्यम वर्ग की कारें रखी जा रही हैं । यह कोई फजूल-खर्ची को कम करने की बात नहीं है और इससे जाहिर होता है कि जो कम खर्ची की बात कही गई है, वह पूरी नहीं हुई है, न उसे पूरा करने का इरादा ही जान पड़ता है ।

साथ ही साथ कहा जाता है कि हम हर क्षेत्र में कमखर्ची करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हम यह देखते हैं कि सब तरफ खर्चा और बढ़ाया जा रहा है और मुझे यह भी कहना है कि इस कमखर्ची के अन्तर्गत मंत्रियों के ऊपर खर्च बढ़ता जाता है और छोटे कर्म-चारियों पर खर्च कम किया जा रहा है । एक तरफ छोटे कर्मचारियों की छटनी होती जाती है और दूसरी तरफ मंत्रियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, जिससे उनके वेतन तथा भत्तों में बाढ़ आ गई । इसी कारण उनके कारों के और टेलीफोनों के खर्च बढ़ते जाते हैं । इस सबको देखकर ऐसा मालूम होता है कि सरकार जो कहती है उस पर दृढ़ नहीं रहती है ।

पेज ३९ में एक ग्रान्ट में हरिजनों के पानी-पीने की व्यवस्था की बात है । इसके लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में ५० लाख रुपये के खर्च की बात कही गई है । यह कांग्रेस हुकूमत अपने १५ साल के कार्यकाल में आज तक हरिजनों के लिये पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं कर सकी । इसमें ८ लाख की व्यवस्था इस वर्ष के लिये की गई है कि इससे उनके लिये पेय जल की व्यवस्था होगी और उसके लिये इसमें १०० रुपये की धनराशि प्रतीक रूप में रखी गई है, यह बहुत ही कम है । यदि १६ लाख या २० लाख की व्यवस्था होती तो हरिजनों के लिये कुछ पीने के पानी की व्यवस्था हो सकती थी । हरिजनों की पीने के पानी की व्यवस्था को देखते हुये हमारी मांग है कि कम से कम इस वर्ष २० लाख की व्यवस्था इस काम के लिये की जाय । साथ ही साथ हमारी यह भी मांग है कि हरिजनों से ५० प्रतिशत कन्ट्री-

[श्री अमरनाथ]

कंट्रिब्यूशन न लिया जाय और उनके लिये बिलकुल मुफ्त, सरकार की तरफ से, पीने के पानी की व्यवस्था की जाय, क्योंकि उनकी ऐसी कोई आय नहीं होती जिससे वह अपना कंट्रिब्यशन दे सकें । वह तो केवल राज्य सहायता पर ही निर्भर करते हैं ।

इसके अलावा आप देखेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के लिये बाढ़ व उससे गिरे भवनों व सड़कों के निर्माण के लिये १ लाख ९६ हजार रुपये सहायता के रूप में रखे गये हैं । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह समस्या केवल लखनऊ विश्वविद्यालय की ही नहीं है, बल्कि प्रदेश में और जगहों पर भी तमाम भवन व सड़कें ध्वस्त हुई हैं, लेकिन उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है । मैं इसका विरोध नहीं करता, बल्कि इसकी मांग करता हूं कि यह व्यवस्था केवल लखनऊ विश्वविद्यालय के लिये ही नहीं बल्कि दूसरे स्थानों के लिये भी की जानी चाहिये ।

सरकार के पास बाढ़ों को रोकने के लिये कोई ठोस योजना नहीं है । बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया आदि में बाढ़ की विभीषिका अपने प्रलयकारी रूप में विद्यमान है और राप्ती, छोटी गंडक व बड़ी गंडक तथा रोहिन नदी के मिलने से नारायणी कैनाल भी ध्वस्त हो गई है । जहां कभी पानी नहीं आता था वहां भी पानी भरा हुआ है । माननीय मुख्य मंत्री जी वहां हवाई जहाज से अपने दौरे में गये होंगे, वह अपने निरीक्षण का अनुभव कृपा कर सदन को बतावें । आपने अखबारों में पढ़ा होगा और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी मालूम होगा कि सिसवा बाजार चीनी मिल की तमाम चीनी बह गई । लाखों का नुकसान हुआ होगा । हमारी पार्टी की ओर से श्री शिब्बन लाल सक्सेना की सन् १९३७ से ही यह मांग रही है कि उधर के लिये बाढ़ की कोई ठोस योजना होनी चाहिये और सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जाना चाहिये कि जिससे कोई स्थायी व्यवस्था हो सके । परन्तु खेद है कि सरकार के पास आज तक कोई ठोस योजना नहीं है । जब केन्द्रीय सरकार से वहां के सदस्य इस बात को कहते हैं तो केन्द्रीय सरकार कहती है कि यू० पी० की सरकार इस बात के लिये मांग नहीं करती । प्रदेशीय सरकार कोई भी ऐसी योजना नहीं रखती कि हम कोई ठीक से व्यवस्था कर सकें ।

राप्ती और घाघरा के कंट्रोल की बात हम लोगों तथा श्री शिब्बनलाल सक्सेना की तरफ से कितनी बार कही गई थी कि स्थायी तौर से उनका कंट्रोल होना चाहिये । जब कि पंजाब की सरकार और सेन्ट्रल गवर्नमेंट काफी रुपया खर्च करके बड़ी-बड़ी योजनायें भाखरा नंगल जैसी बनाती है तब क्या इस प्रदेश की सरकार केन्द्रीय सरकार से मांग नहीं कर सकती और कोई योजना उनके सामने इसके लिये पेश नहीं कर सकती जिससे हमेशा हमेशा के लिये इस प्रकोप से बचा जा सक ? हमने सोचा था कि प्रदेश सुखी होगा, सम्पन्न होगा, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी है कि बाढ़ की विपत्ति हमारे ऊपर आयी और ऐसी बाढ़ है जो इतिहास में कभी नहीं आयी, जिन गांवों में आज तक बाढ़ नहीं आयी है वहां हम देखते हैं कि नाव चल रही है ।

इसके अलावा, चकबन्दी के लिये इसमें खर्च करने की बात कही गयी है । गोरखपुर जिले की सदर तहसील के बारे में बहुत सी लिखित शिकायतें चकबन्दी के संबंध में आयी थीं कि वहां पर चक लगाने में धांधली की गई है व भ्रष्टाचार का बोल बाला रहा है । उसे माल मंत्री को दिया गया है, आशा है वह उस पर ध्यान दिये होंगे । एक बात मुझे और भी कहनी है कि प्रदेश में जहां भी चकबन्दी हो रही है वहां चकबन्दी व्यय उन किसानों से वसूल किया जा रहा है जिनके खेत चकबन्दी के अन्तर्गत नहीं आते हैं । मैं सरकार से मांग करता हूं कि चकबन्दी का व्यय उनसे नहीं लेना चाहिये । सरकार की यह स्कीम किसानों को सुविधा देने के लिये है । किसानों के पास इतना धन नहीं है कि वे चकबन्दी का टैक्स इस तरह से पे करें और दूसरे प्रकार के भी टैक्स दें । इसलिये किसानों को चकबन्दी व्यय से बिलकुल मुक्त रखना चाहिये, विशेषकर गोरखपुर की सदर तहसील के बारे में और भी कहना है कि श्री शिब्बन लाल सक्सेना, मदन पांडेय, अमरनाथ मिश्र, दुर्योधन प्रसाद और नरसिंह नारायण पांडेय का जो डेपुटेशन न्याय मंत्री

जी से मिला था, जिसमें काफी दरख्वास्तें भी हम दे चुके हैं, तो वे कृपा करके उनकी जांच करके चकबन्दी की धांधलियों को रोकेंगे और जहां पर इस तरह से गड़बड़ी की गयी है वहां उसे दूर करेंगे तथा जवाब देते वक्त में उसका जिक्र भी करेंगे कि उन्होंने क्या किया ।

इसी तहसील में बुढ़ाडीह एक गांव है । वहां झन्डा जलाया गया। उसके बारे में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । सदन में यहां सुनने को मिला कि जो रिपोर्ट लिखायी गयी थी वह फाल्स थी । जिन दारोगा ने जांच की थी उनकी यह रिपोर्ट है कि वह रिपोर्ट गलत थी । मैं तो कहता हूं यदि मंत्री महोदय मौके पर जांच करें तो वह बात सही निकलेगी कि झंडा जलाया गया और वालेन्टियर को पीटा गया । यह जानकर खेद होता है कि इस तरह से अधिकारी लोग अपनी झूठी रिपोर्ट देते हैं और उसमें हम लोगों को झूठा बना दिया जाता है, उन वाक्यात के बारे में भी जो हमारी आंखों के सामने गुजरी होती है । हम मुख्य मंत्री जी से मांग करेंगे कि इस बात की जांच होनी चाहिये कि इस तरह से जो झंडा जलाया गया उस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ।

हम इस अनुदान के अन्तर्गत एक बात और देखते हैं। सरकार की अकर्मण्यता का यह सबूत है कि तमाम फैसले सरकार के खिलाफ होते हैं और वह सब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की गलती के कारण होते हैं और हमें इसके लिये लाखों रुपया वाद-व्यय के रूप में देना पड़ता है । हमें यह देखना चाहिये कि इस तरह से रुपया वाद-व्यय में न खर्च करना पड़े क्योंकि यह हम जनता का पैसा इस तरह से बरबाद करते हैं । जब इस तरह की बात उत्पन्न होती है तो सरकार को शुरू में ही इस बात का ख्याल कर लेना चाहिये ।

हम यह भी देख रहे हैं कि पुलिस पर व्यय बढ़ता जा रहा है, पी० ए० सी० पर व्यय बढ़ता जा रहा है । हमारी सरकार जनतंत्र को मानने वाली अपने को कहती है, तब उसे क्या जरूरत है कि वह इतनी पुलिस बढ़ावे ? कम से कम सरकार को अपने ऊपर तो विश्वास होना चाहिये, कुछ तो आत्मनिर्भर होना चाहिये । हमारे प्रदेश की जनता इतनी उच्छृंखल नहीं है । आप पुलिस स्टेट बनाते जा रहे हैं । पुलिस हमारी जनता की रक्षा क्या कर सकती है ? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि चोरियों और डकैतियों की भरमार होती जा रही है, कत्ल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, राजनीतिक मर्डर्स जिस तरह से हो रहे हैं उनको भी रोकने में सरकार तथा पुलिस अपने को असमर्थ पा रही है । बल्कि हम यह देखते हैं कि पुलिस पर बहुत खर्चा बढ़ाया जा रहा है । मैंने यह भी सुना है कि ५० परसेन्ट पुलिस और बढ़ने वाली है। रक्षा के नाम पर पुलिस का बढ़ाया जाना देश या प्रदेश के लिये कोई शोभा की बात नहीं है। हमें स्वतन्त्र हुये १५ वर्ष बीत चुके हैं। उचित तो यह होता कि बजाय इतनी पुलिस बढ़ाने के सरकार जनता पर विश्वास करती ।

हमने यह भी देखा कि कृषि अनुदान में वेतन और भत्ते के लिये रुपया मांगा गया है। हम इस अनुदान का स्वागत करते यदि इसमें पैदावार की बढ़ोत्तरी के लिये, खाद के लिये, नलकूपों के लिये, या इसी से सम्बन्धित चीजों के लिये रुपया मांगा गया होता। हम देखते हैं कि कर्मचारी दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं और पैदावार में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है और उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है।

जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये जो अनुदान मांगा गया है वह बहुत ही कम रखा गया है। देहातों में अब तक दवा-दारू की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। अस्पतालों में हम देखते हैं कि जो दवाइयां गरीबों को मुफ्त मिलने के लिये हैं उनके लिये डाक्टर गरीब लोगों से कहते हैं कि दवा नहीं है, जाकर बाजार से खरीद लो। जिन लोगों की डाक्टर के पास पहुंच होती है और जो लोग इंफ्लुएंशियल होते हैं उनको अस्पताल से दवा मुफ्त मिल जाती है, लेकिन गरीब आदमी को नहीं मिलती। एक अस्पताल की बात नहीं है, यह सारे प्रदेश की बात है। देहातों में अस्पतालों की कमी है। ५ मील क्या १० मील के अन्दर

[श्री अमरनाथ]

अस्पताल नहीं है। मैं मांग करूंगा सरकार से कि देहात में ५ मील पर कम से कम एक अस्पताल की अवश्य व्यवस्था करे।

गोरखपुर डफरिन अस्पताल में मरीजों के अभिभावकों के रहने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। धूप, गर्मी, बरसात में हम देखते हैं कि उन्हें वहीं सड़कों पर पड़ा रहना पड़ता है और खाना बनाने की भी कोई जगह नहीं है। जब हम यह देखते हैं तो बड़ी शर्म मालूम होती है। उनके लिये कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि वहां रहने का प्रबन्ध हो सके।

मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार मेरी मांगों पर ध्यान देगी। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुपूरक बजट का विरोध करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन, जो हमारे सामने यह २ करोड़ ४३ लाख ९९ हजार ५ सौ रुपये का पुरक अनुदान प्रस्तुत है, उसको अनावश्यक समझते हुए और एक फिजूलखर्ची समझते हुए, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

यह पूरक अनुदान उस हालत में हमारे सामने आना चाहिये जबकि हमारा जो आय-व्ययक था उसमें कोई बात छूट गई हो या कोई ऐसा खर्चा आ गया हो जिसके बिना सरकार का काम न चलता हो। यह जो पूरक अनुदान प्रस्तुत है इसको अगर हम आद्योपान्त देखें और इसके आइटम्स का सिंहावलोकन करें तो मालूम होगा कि इसमें बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम हर प्रकार से अनावश्यक ही मानेंगे।

हमारे पूर्ववक्ता ने कुछ बातें कही हैं, उनको बिना दोहराये हुये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से जो सबसे बड़ी विशेषता दिखाने की कोशिश की गई वह यह की गई कि हम इकोनामी ड्राइव करेंगे, बचत करेंगे, लेकिन कुछ बचत न दिखा करके अव्यावहारिक रूप से फिजूल खर्चे दिखाये हैं। तो पहले सरकार अपने को सुधारे। हमसे कहा गया कि मन्त्रियों के लिये छोटी-छोटी मोटरें खरीदेंगे, तनख्वाह कम करेंगे और दूसरी तरफ मन्त्रियों की तादाद बढ़ा दी जिसके फलस्वरूप सात मोटरें खरीदनी पड़ रही हैं, जिसके लिये ८५,५०० रुपया इस अनुपूरक बजट में मांगा जा रहा है। यह अनुचित है।

इसके अलावा और बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जो सरकार ने अपनी तथा अधिकारियों की सुविधाओं के लिये रखे हैं। प्रश्नों में हमसे कहा गया कि हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत लाखों रुपया केन्द्रीय सरकार से मिला है पर उसका सारा फायदा सरकारी अधिकारियों ने उठाया बड़े-बड़े बंगले बनवाये और उनको किराये पर उठा दिया, खुद दूसरे मकानों में कम किराये पर रह रहे हैं। एक आइटम है, १० लाख रुपये से अधिकारियों के ३८ सूट्स बनेंगे। मैं जानना चाहता हूं आखिर सरकार बड़े अधिकारियों के लिये क्यों इतनी चिन्तित है? छोटे-छोटे कर्मचारियों के लिये सुविधा देने की सरकार को कतई चिन्ता नहीं है। जब हम समाजवादी ढंग पर सरकार का निर्माण करने की सोचते हैं तो बड़े और छोटे के बीच जो अन्तर है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिये। पर ऐसा न करके वह खाई और बढ़ती जा रही है। छोटे-छोटे चपरासियों के लिये मकान बनाने की व्यवस्था समुचित रूप से सरकार नहीं कर पाई।

एक आइटम इसमें यह है कि न्यायाधीशों के लिये आवासों की कमी है इसलिये ६०,००० रु० की बंगले की लागत से तीन बंगले बनाये जायेंगे। ठीक उसी के नीचे बताया गया है कि ३२ सब-इंसपेक्टर, ७२ हैडकांस्टेबिल और ३९६ कांस्टेबिलों के लिये केवल १ लाख रुपये में ही कुछ क्वाटर्स बना दिये जायेंगे। ५०० कर्मचरियों के लिये १ लाख रुपये की कीमत पर आवास बनेंगे और एक न्यायाधीश ६०,००० रुपये के आवास में रहे?

अनुपूरक अनुदानों में कुछ ऐसे भी प्राविधान हैं जिनको देखकर हैरत होती है। पुलिस के लिये एक नई सुविधा देने की कोशिश की गई, जिसमें कहा गया है कि उनको हेलमेट विजर और बाडी प्रोटेक्टर दिये जायेंगे । मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन क्या कभी सरकार से आश्वासन मिला कि यह सशस्त्र सिपाही जनता की तरफ भी इस निगाह से देख सकेंगे कि वह गोली का निशाना न बनें ? हमने मांग की कि गोली तब तक न चले जब तक कि वैसा करना लाजिमी न हो जाय। पर सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है और हमलावर रुख बरतती जा रही है।

श्रीमन्, आपकी संरक्षता में एक सचिवालय है जिसमें बहुत से कर्मचारी हैं जिन्हें हम सचिव से लेकर नीचे तक पुकारते हैं । उनके कोई सर्विस रूल्स नहीं बन पाये। उनका सम्मेलन होगा और दिक्कतें सामने रखी जायेंगी। मैं चाहता हूं कि सेवा नियम शीघ्र ही बनाये जायें। इसके अलावा ७० हजार रुपया अब इस अक्तूबर के सम्मेलन के लिये मांगा गया है।

१२ साल बाद जिक्र आया कि लखनऊ में नालों की दुरुस्तगी होगी। पर पता नहीं सरकार ने क्यों नहीं ध्यान दिया और अब जब गन्दगी बढ़ चुकी है तथा यह देखा गया है कि इन नालों की वजह से गन्दा पानी लोगों के पीने के पानी में पहुंच चुका है तब इस ओर ध्यान गया। मैं सरकार का ध्यान दूसरी ओर दिलाना चाहता हूं कि यही नाले हमारे गांवों को डुबा देने का काम करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम इतना बिगड़ चुका है कि गांव के गांव डूब चुके हैं ।

आज हमारे सामने जो बाढ़ का प्रकोप आया हुआ है उसके बारे में मुख्य मन्त्री जी अपने हाल के दौरे के बारे में बहुत सी बातें बतायेंगे और यह भी हम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने यथाशक्ति देखा और सुना है। देखने और सुनने की तो दूसरी बात है, लेकिन इस सरकार ने इस बारे में जो सहायता दी है उसी को देख कर हम कह सकेंगे कि वह कहां तक कामयाब रही है। आज देहातों की स्थिति बहुत असहनीय है और उनके प्रति सरकार का कार्य उतना प्रशंसनीय नहीं रहा है जितना कि होना चाहिये।

पिछड़ी जातियों के बारे में हमारी तरफ से बार-बार यह मांग की गई कि कम से कम प्रत्येक गांव में एक पेय जल का कुंआ उनके लिये होना चाहिये। आज हमें यह बताया गया कि सरकार ५०० रुपये तक देने के लिये तैयार है । पहले जहां वह ५० फीसदी एक कुएं की लागत देती थी वहां अब ७५ फीसदी देने की बात कहती है। हम कहते हैं कि सरकार किसी प्रकार की शर्तें लगाती ही क्यों हैं ? वह इस सिद्धान्त को क्यों नहीं मान लेती कि प्रत्येक गांव में कम से कम एक पेय जल कुआं पिछड़ी जातियों के लिये हो ?

स्वायत शासन के बारे में बहुत सी बातें आती हैं। मैं उस नगर के बारे में कहता हूं जहां का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। झांसी के सम्बन्ध में इस सदन में बार-बार कई प्रकार के प्रश्न उठाये गये और यह भी कहा गया कि वहां इतने अनियमित कार्य हो रहे हैं। एक सज्जन वहां पर चेयरमैन बने बैठे हैं। उनको अभी हाल में सरकार ने जांच करने के लिये मुअत्तल भी किया था। इस सम्बन्ध में १० कांग्रेस सदस्यों ने इस्तीफा भी दिया था। यह सब होते हुये भी पूरी-पूरी जांच नहीं हो रही है। अनेकों बार जांच करने का बहाना किया गया, लेकिन फिर भी उनको बहाल कर दिया गया। तो सरकार केवल न्याय के दिखावे के लिये ही कार्य न करे बल्कि जनता की सन्तुष्टि के लिये भी कार्य वाही करे।

आज हमारा वन विभाग बढ़ता चला जा रहा है। इसमें हमें कोई एतराज नहीं है अगर वह किसी प्रकार से किसानों का सहायक हो। लेकिन जब हम देखते हैं कि ९,५३,००० रुपया ९१ मील सड़कें बनाने और १२७ मील सड़कों की मरम्मत के लिये रखा गया है और ८२ इमारतें बनाने के लिये ६,६४,००० रुपया रखा गया है तो मुझे आश्चर्य होता है कि वनों में तो

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

सड़कें बन रही हैं, लेकिन गांवों की उन सड़कों की तरफ जिनके लिये न अन्तरिम जिला परिषदें जिम्मेदार हैं और न सरकार का पी० डब्ल्यू डी० ही जिम्मेदारी लेता है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

सरकार १० लाख ६० हजार रुपया लखनऊ सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड, लखनऊ को दे रही है। लेकिन देखने की आवश्यकता तो यह है कि ये सहकारी दुग्ध संघ क्या क्या कार्य कर रहे हैं। हमारे जितने सदस्य यहां बैठे हैं ये एक-आध दूध की बोतल पी लेते होंगे। लेकिन क्या यह दूध शुद्ध होता है? हमको पानी मिला और बिना मलाई का दूध पीने को मिलता है। आज लखनऊ दुग्धशाला को १० लाख ६० हजार रुपया इसलिये दे रहे हैं कि डेनमार्क की किसी सोसायटी ने देना स्वीकार कर लिया है। उसको मदद दीजिये इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन साथ ही साथ यह भी देखें कि यह संघ शुद्ध दूध देने के लिये जिम्मेदार है। आज इन सहकारी दुग्ध संघों से शुद्ध दूध जनता को नहीं मिल रहा है। इस ओर भी हम आप का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव पेश है उसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—कटौती का प्रस्ताव कोई नहीं है। इस वक्त तो आम बहस हो रही है।

श्री रामेश्वरप्रसाद—ठीक है। सरकार ने जो २ करोड़ रुपये से ज्यादा का अनुदान मांगा है इसके देने में हम लोगों को कोई एतराज इसलिये नहीं होना चाहिये कि जो खर्चा इस पुस्तिका में दिखाया गया है वह मैं समझता हूं नितान्त आवश्यक है। हमारे पूर्व वक्ता, माननीय अमरनाथ जी ने, जिन्होंने विरोधी पक्ष की तरफ से इस बहस को शुरू किया, दो एक एतराज इस सम्बन्ध में किये। एक तो यह कि मंत्रियों के लिये कारें खरीदी जारही हैं। तो कारें तो खरीदी जायंगी इसलिये कि जब प्रदेश का काम बढ़ेगा, मन्त्रिगण बढ़ेंगे तो उनको साधन दिये जायेंगे। ऐसी बात नहीं है कि उनको साधन न दिये जायं और सरकार कहीं भी अपनी नीति से बाहर नहीं गई है। इसलिये कि हमारी सरकार ने कहा था कि मन्त्रिगण छोटी कारों का इस्तेमाल करेंगे और इस बजट की किताब में मध्यम शब्द का इस्तेमाल जरूर कर दिया गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रैक्टिकल रूप में इस शब्द का मतलब एम्बैसेडर से या हिन्दुस्तान कारों से है। छोटी कार फियट है जो इतनी मात्रा में मिल नहीं पाती हैं। इसलिये इसी के अनुरूप दूसरी कारों के खरीदने का प्रावीजन किया गया है। अगर मन्त्रियों से हमें काम लेना है तो उनको सुविधा देने में कोई एतराज माननीय सदस्यों को नहीं होना चाहिये।

इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हरिजनों के पीने के पानी के प्रबन्ध के लिये ५० लाख रुपया रखा गया है और इस अनुपूरक अनुदान द्वारा मांगा गया है। लेकिन उनको एक शिकायत है कि अभी तक सरकार हरिजनों के पीने के पानी की समस्या को हल नहीं कर पाई है। यह सही है, लेकिन हमें देखना यह है कि इस तरफ सरकार ने कोई प्रयास किया है या नहीं? इसी बजट से साबित होता है और मांग रखी जा रही है तो जाहिर है कि सरकार का इस समस्या को हल करने का इरादा है। इसलिये सरकार के ऊपर आक्षेप करना मैं समझता हूं कि अनुचित है और यह वाजिब बात नहीं है।

इसके साथ ही साथ जिसके करने में सरकार समर्थ नहीं है उसके लिये उसे दोषी ठहराना ठीक नहीं है। जहां उम्मीद नहीं थी वहां बाढ़ आ गई तो सरकार क्या करे? कुदरती तौर पर आ गई। सरकार इसके लिये दोषी नहीं हो सकती। सरकार न पानी बरसा सकती है और न रोक सकती है। सिर्फ यह हो सकता है कि जो पीड़ित लोग हैं उनकी

सहायता की जाय। अध्यक्ष महोदय की सहानुभूति के कारण रोज इस विषय पर यहां डिबेट होती है और जो बाढ़ की भीषण परिस्थिति पैदा हो गई है उसके लिये मुख्य मन्त्री जी ने ऐलान किया है कि हम जल्दी ही सदन को खत्म करने वाले हैं जिससे सदस्य बाढ़ पीड़ितों की मदद कर सकें। सरकार जो कुछ कर सकती है वह कर रही है और आप लोगों से भी मदद चाहती है। अध्यक्ष महोदय भी सहायता कर रहे हैं और जो सम्भव है सरकार द्वारा किया जा रहा है और किया जायगा। इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं कि प्रदेश की जनता बाढ़ में फंसी रहे और सरकार तमाशा देखती रहे। ऐसा नहीं हो सकता है कि जनप्रिय कहलाने वाली सरकार इधर अपना कदम न उठाये।

हम देख रहे हैं कि प्रदेश में आदेश प्रसारित किये गये हैं। कहीं तकावी दी गई है और कहीं वसूलयाबी स्थगित की गई है और सहायता दी जा रही है।

यह भी कहा गया कि पुलिस के ऊपर खर्च बढ़ रहा है और साथ ही यह भी कहा गया कि पुलिस बढ़ती जा रही है और चोरी डकैतियां भी बढ़ रही हैं। दोनों बातें साथ-साथ चलने वाली नहीं हैं। यह मुमकिन है कि प्रदेश में जब से आजादी मिली है तब से हर आदमी आजाद है। जहां नागरिकों को आजादी मिली है वहां क्रिमिनल्स भी आजादी महसूस करते हैं, जल्दी ही क्राइम कर डालते हैं। ऐसी हालत में सरकार की जिम्मेदारी ला ऐंड आर्डर की बढ़ गई। अब आखिर प्रदेश में सदस्यगण मांग करें और जनता भी कहे कि हमें सरकार से रक्षा मिलनी चाहिये, हमारे यहां डकैती बढ़ रही है कत्ल बढ़ रहे हैं तो किसी भी सभ्य सरकार का यह परम कर्त्तव्य हो जाता है कि उनकी रक्षा का इन्तजाम करे। इतनी थोड़ी सी पुलिस से क्या हो सकता है? चन्द माननीय सदस्यों ने कई दफा मांग की कि पुलिस बढ़ायी जाय। अभी पुलिस कमीशन बैठा हुआ था। उसमें हम लोग गवाही के तौर पर गये हुये थे। हम लोगों ने जोरदार मांग की थी कि पुलिस की बढ़ोत्तरी होनी चाहिये। कमीशन यह सिफारिश करे। इंग्लैंड और दूसरे देशों में एक पुलिस वाले के पीछे कितने आदमी पड़ते हैं और हमारे प्रदेश में कितने पड़ते हैं, उस औसत को भी देखा जाय। दोनों बातें साथ-साथ—एक तरफ शिकायत की जाय कि ला ऐंड आर्डर नहीं है और दूसरी तरफ यह कहा जाय कि सरकार की पुलिस की बढ़ोत्तरी करने के लिये कोई कदम न उठाना चाहिये। मैं समझता हूं कि पुलिस को बढ़ाने का अगर इरादा है तो बहुत उचित कदम है। बगैर इसके प्रदेश की जनता की रक्षा इतनी थोड़ी सी पुलिस से सम्भव नहीं है।

चकबन्दी के बारे में कहा गया कि खर्चा न लिया जाय। सरकार के खर्चे पर चकबन्दी की जाय। यह सम्भव नहीं। जैसा कि कहा गया यह सरकार की योजना है, सरकार ने योजना जरूर बनायी, लेकिन काम काश्तकार के लिये किया जा रहा है। जब उसका लाभ होता है तो उससे उसकी नामिनल फीस ली जाती है। उससे सिर्फ एक बात हो सकती है। एलेक्शन में सेंटीमेंट उभारने के लिये अपोजीशन को एक नारा जरूर मिल जाता है।

अन्त में, मैंने कुछ कटौती के प्रस्ताव दिये थे, मैं अपनी कैबिनेट के सामने रखना चाहता हूं कि हमारा रायबरेली जिला बहुत बैकवर्ड जिला है। वहां के लोगों ने लिख कर मांग की कि वहां कोई आर्थिक साधन नहीं है। एक बड़ी इंडस्ट्री वहां देने की कृपा करें ताकि वहां के लोगों को कुछ सहारा हो जाय। हम लोग अन्धेरे में हैं कि किस प्रकार पैसा पैदा हो।

दूसरी बात यह है कि हरिजन वर्ग का उद्धार यह सरकार जरूर कर रही है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन साथ ही साथ हरिजनों में एक क्रिमिनल ट्राइब है। अंग्रेजों ने उन पर प्रतिबन्ध लगा रखा था। उनको आजादी की हवा में घूमने नहीं दिया। हमने मांग की और मौजूदा माननीय मुख्य मन्त्री को लिखा है। उन्होंने कहा कि दयापूर्वक देखेंगे। अभी तक वे अन्धेरे में हैं। उनके लिये कोई निश्चित योजना नहीं है। इसके लिये कोई कमीशन बनना चाहिये जो निश्चित योजना बना कर दे जिस पर सरकार अमल करे।

अन्त में मैं फिर इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूरक अनुदानों पर जो सामान्य विवाद हो रहा है उस पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

पेश्तर इसके कि मैं कुछ और बात कहूं मैं सरकार का ध्यान बुलन्दशहर जिले की तहसील सिकन्दराबाद के उन १०० गांवों की तरफ दिलाना चाहता हूं जो दिल्ली की शहादरा और गांधी नगर की कुछ आबादी को बचाने के लिये, कुर्बान कर दिये गये। २०/२१ की रात्रि को यह बांध दिल्ली की तरफ से कटने वाला था। मैं नहीं कह सकता—मैं वहां पर गया हूं—वहां के गांव के लोगों ने ही नहीं बल्कि और लोगों ने भी कहा कि गांधी नगर और शहादरा को बचाने के लिये जहां हिंडन और यमुना मिलती हैं, उससे पूर्व तहसील सिकन्दराबाद के कुछ गांवों की तरफ बांध काट दिया गया। यही नहीं, यमुना का पानी जहां उन गांवों की तरफ जा रहा था, जो हिंडन की नहर गाजियाबाद जाती है उसमें नहीं जा रहा था, उस नहर का पश्चिमी किनारा दिल्ली की तरफ कट गया, दिल्ली की सरकार और वहां के कारपोरेशन के लोगों ने उस पटरी को तो रोका, लेकिन जो बुलन्दशहर की पटरी है उस पटरी को दलूपुरा और कोंडली गांवों पर तीन जगह काट दिया। इस तरह से एक भयंकर स्थिति आई है।

अध्यक्ष महोदय, कई दफा मैं पहले भी कह चुका हूं, कि यह दिल्ली का बांध हमारे लिये भयंकर खतरा है और दैवी प्रकोप से यदि यह बांध कट गया होता या दैवी प्रकोप की जो बाढ़ आया करती है, उसको शायद वहां की जनता सहन कर लेती, लेकिन गांव के लोगों के खत मेरे पास आये हुये हैं, उन्होंने बिलकुल साफ लिखा है कि हम भी किसी सरकार के मातहत हैं आखिर यह दो तरह का व्यवहार हमारे साथ क्यों है? कुछ लोगों को बचाने के लिये हम लोगों की जान खतरे में डालना हमारी फसल और मवेशियों का बरबाद करना, हमारे बच्चों और हमारे जीवन से खिलवाड़ करना, यह क्या है? यह सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं देती?

मैं कई दफा यह भी कह चुका हूं कि दिल्ली और पंजाब हमारे सूबे से मिले हुये हैं वहां जो सुविधायें दी जा रही हैं वह हमारे इस क्षेत्र के मुकाबले में कहीं ज्यादा हैं। दिल्ली के इलाके में इतनी बाढ़ नहीं है, मैंने स्वयं मौके पर देखा है। लेकिन फौज की डक्स और मोटर नावों में बहुत बड़ी तादाद में वहां आटा, चीनी, चावल इत्यादि दिल्ली के गांवों में पहुंचाये जा रहे थे, जबकि इधर यू० पी० के क्षेत्र में चना, दियासलाई, तेल और नमक के अलावा और कोई सामग्री वहां नहीं पहुंचाई जा रही है। यह भी मैंने बहुत दफे अर्ज किया। तो मैं सरकार की इस उपेक्षा की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह चाहता हूं कि यह बांध अगर काटा गया है तो इसकी जांच करने के लिये एक निष्पक्ष सर्वदलीय कमेटी बिठाई जाय।

मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि वह इलाका आज लखनऊ से दूर पड़ता है। दिल्ली के बिलकुल गोद में है और विकास के कार्यों में भी बहुत पिछड़ा हुआ है। और खास तौर से उदाहरण के लिये मैं याद दिलाना चाहता हूं कि २७ दिसम्बर को, ओखले के नजदीक एक गांव है अकटा, वहां के एक नवजवान को दिल्ली की पुलिस के एक सब-इंसपेक्टर ने रिवाल्वर से मार दिया। दिसम्बर से अब तक कई दफा असेम्बली में भी मैंने प्रश्न उठाया, लेकिन कोई जांच उसकी नहीं हुई। बल्कि उल्टे वहां के पुलिस अधिकारियों और उच्च अधिकारियों ने यह कोशिश की कि उसकी लाश को दिल्ली की तरफ ले जायं और मुकदमा दिल्ली में चालू करने की कोशिश उन लोगों ने की। मेरी जानकारी में यह भी है कि यह जांच भी दिल्ली की गवर्नमेन्ट को शायद सौंप दी गई है और उन गांवों के लोगों के ऊपर दिल्ली की पुलिस ने काफी दबाव भी डाला है। इस तरह की कई घटनायें और भी कई गांवों में हुई हैं। अक्सर वह उधर के डकैतों और पुलिस वालों से लुटते रहते हैं और सरकार की उपेक्षा की दृष्टि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां रहती है। आखिर २७ दिसम्बर से आज तक उस मर्डर की कोई जांच, कोई दावा, कोई ऐक्शन क्यों नहीं हो पाया ? इसीलिये मैं यह कहता हूं कि वह स्थान चूंकि लखनऊ से दूर है इसलिये सरकार हर तरह की उपेक्षा का वर्त्ताव उस इलाके के लोगों के साथ करती है। आज भी जो सहायता वहां पहुंचाई जा रही है वह नहीं के बराबर है। यह मैं जरूर कहूंगा कि वहां फौज के अफसर गांवों में काफी तादाद में पहुंचे हैं, उन्होंने काफी गांव के लोगों को तसल्ली दिलायी है और फौजी सेवाओं की मैं सराहना करता हूं, मैं स्वयं उनके साथ रहा, उन लोगों को उनसे काफी हमदर्दी भी थी और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर सरकार जांच करे तो बहुत बड़े-बड़े राज इसमें निकलेंगे।

तो इस बांध के तोड़ने की तरफ मैं विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं–केवल बाढ़ से या वर्षा से जो पानी वहां भर गया है, उस पानी को निकालने का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया, इससे जो बाढ़ के बाहर के गांव हैं उनकी हालत भी काफी बदतर हो रही है। अगर वह पानी निकाल दिया जाता तो इतनी हानि वहां न हुई होती और इतनी परेशानी वहां के लोगों को न होती।

एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान और इसी के साथ-साथ दिला देना चाहता हूं। इसी मौके पर जब मैं उस क्षेत्र में घूम रहा था तो एक अमीन से भी मैं मिला, जो बाढ़ के गांवों में वसूली कर रहा था लगान और दूसरी सरकार की तकावी वगैरह की। तो ऐसे अवसर पर इस प्रकार से लगान या आबपाशी वगैरह की वसूली एक दम बन्द की जानी चाहिये। मैं नहीं जानता कि इस सिलसिले में सरकार के कोई आदेश पहुंचे हैं या नहीं। लेकिन यह बहुत ही आवश्यक कदम है लोगों को सहायता देने का और सरकार के जो मतालबे हैं उनकी वसूली रोकने का।

मैं इतना और इस वक्त कहना मुनासिब समझता हूं कि किसानों की आर्थिक हालत गिरी हुई है, यह सरकार मानती है, उसके ही आंकड़े इस बात को बतलाते हैं कि प्रति व्यक्ति आमदनी कम हुई है। लेकिन आबपाशी की दर सरकार बढ़ा रही है। तो जब किसान की आमदनी गिर रही है और किसान मुसीबतों में हो उस वक्त आबपाशी की दरें बढ़ाना न्यायोचित्त कदम नहीं कहा जा सकता।

दूसरे, गांवों में पंचायतों के चुनावों में जो झगड़े हुए हैं, मैं कई दफा कह चुका और फिर अर्ज करना चाहता हूं कि गांवों में जनतंत्र की ट्रेनिंग कुछ कम दी जाय तो ज्यादा अच्छा है। इन चुनावों की वजह से मुकदमेंबाजी और झगड़े गांवों में हद दर्जे तक पहुंच गए हैं और चुनावों के नाम पर आज मर्डर हो रहे हैं। मैं सरकार से यह भी कहूंगा कि जहां देश के ऊंचे दर्जे के नेताओं में विरोध को बरदाश्त करने का माद्दा नहीं है वहां जो बेपढ़े लिखे लोग है और सामने आमने रहते है, उनमें कैसे हो सकता है ? इसलिये मेरा निवेदन है कि इस चुनाव की प्रणाली को बदला जाय। वह ऐसी प्रणाली हो जिससे गांवों में बढ़ने वाले झगड़े कम हों। गांव वाले कहते हैं कि इस पंचायत से तो वैसे ही भले थे। मैं इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस चुनाव की प्रणाली में कोई परिवर्तन किया जाय।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—श्रीमन्, इंजीले मुकद्दस में लिखा है कि शुरू में जब उपज हुई और जब खेतों का एफोरेस्टेशन शुरू किया तो पहले पहले जब बीज को छिड़काया तो कुछ पहाड़ों पर पड़ा जहाँ पर कुछ उपज नहीं हुई। कुछ ऊसर में पड़ा जहां पर कुछ उपज हुई और सूख गई। कुछ ऐसी जमीन पर पड़ा जो उपजाऊ जमीन थी और वह आखिर में उगा और पैदा होकर पौध ने वहां जंगल की शकल अख्तियार की। हमारे मौजूदा वजीर बियाबान ने भी कुछ बीज का छितराव किया लेकिन वजीर साहब ने ऐसा छितराव फरमाया कि ९ महीने के बाद भी एक अंकुर उस जमीन में नजर नहीं आया। उसके लिये बड़ी रकम की मांग की जाती है, लेकिन मैं निहायत अदब से वन मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि यह मानी हुई बात है कि हम लोग अपने मकान की छत से

[श्री सुरथबहादुरशाह]

कहते हैं कि हमको डालर की जरूरत है और हमको एक्सचेन्ज की जरूरत है, अब चाहे यहां के इम्प्रूवमेन्ट के लिये जरूरत हो या मंत्रियों को विदेश में खर्च करने के लिये उनको डालर की जरूरत हो। इसके बहुत से तरीके हैं जिनसे उस चीज को दस्तयाब किया जा सकता है। बदकिस्मती से हमारे बन मंत्री जी ने उस तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया है और उन्होंने इसको कभी गवारा नहीं फरमाया है कि इस तरफ ध्यान दिया जाय। कहने के लिये वह कहते हैं कि हमने २, ३ डाकुमेन्टरी फिल्मस तैयार की हैं और उनको देखिये कि यह हो रहा है और वह हो रहा है और बहुत सी नई चीजें की जा रही हैं जो लोगों को करना नहीं आता है। मगर मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर आपको डालर अर्न (earn) करना है और इस मुल्क की उन्नति चाहते हैं तो आपको बन की उपज की तरफ ध्यान देना होगा। आपको उन लोगों से परामर्श लेना होगा जो इसमें वाकफियत रखते हैं।

मैं बन मंत्री जी से यह भी अर्ज करूंगा कि मैं उनका मुकाबला नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं उन लोगों में से हूं जो सिर्फ अपने बचपन से नहीं बल्कि पुश्तों से बन के बारे में काफी जानकारी रखते हैं। सरकार से यह बताया जा सकता है कि सरकार किस तरीके से लाभ उठा सकती है।

अगर इस बजट का मुलाहिजा किया जाय तो मालूम होगा कि ३ लाख ८३ हजार रुपये की मांग है जो सड़कों पर खर्च किया जायगा। यह रुपया यातायात की सुविधा पहुंचाने के लिये और सड़कों का सुधार करने के लिये मांगा जा रहा है। सड़कों के सुधार का यह हाल है कि बावजूद यहां से आदेश होने के और नियम होने के सड़कों को मुकम्मिल नहीं कर पाते हैं। सरकार नई सड़क बनाने के प्रोग्राम बनाती है, लेकिन पुरानी सड़कें मुकम्मल नहीं हो पाती हैं। दिसम्बर नवम्बर के महीने में सड़कों के बनाने का काम शुरू होता है, लेकिन मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वे बनने वाली सड़कें दिसम्बर और जनवरी और फरवरी तक मुकम्मल हो जाती हैं? जब दिसम्बर में ही काम शुरू नहीं होगा तो वह जल्दी कैसे मुकम्मल होगा? मैं कई जगहों का हाल बतला सकता हूं कि दिसम्बर में सड़क बनना शुरू नहीं होता है। दिसम्बर अभी बहुत दूर नहीं है। जो पुरानी सड़कों की हालत खराब है वह खराब ही रह जाती है। विभाग के कर्मचारियों का यह हाल है कि वह बजट अकाउन्ट को बढ़ाते चले जाते हैं कि इतना खर्चा बढ़ गया मगर यह नहीं दिखाते कि मुकम्मिल कितना हुआ। एक मर्तबा हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने हम लोगों, को इस बात का प्रोत्साहन दिया था कि इस सुझाव पर ध्यान देंगे। हमने टूअरिज्म से डालर अर्निंग का सुझाव दिया था, लेकिन शायद उसके बाद हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने उसको मुनासिब नहीं समझा। अगर आज दफ्तर में कोई जाय तो कभी बाबू का पता नहीं रहता, कभी वाइल्ड लाइफ अफसर साहब नहीं रहते। न कोई व्यवस्था है न कोई नियम। इसके लिये आप सेमिनार करिये। एक टाइगर कैम्प लिमिटेड है और एक बिजनौर का कंसर्न है जो रजिस्टर्ड हुआ है दिल्ली में, लेकिन उसमें ज्यादातर यहां के लोग ही हैं और अनुभवी आदमी है, उनसे आपको परामर्श करना चाहिये। आपको इसके लिये सदन में भी दो एक अनुभवी आदमी मिल जायंगे। मतलब मेरा यह है कि जिस चीज से डालर अर्निंग हो सकती है उसको आप ठुकराइये मत। यह मकानात बनवाना या और दूसरे काम करना अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जो चीज इससे ज्यादा आवश्यक है उस पर आप पहले ध्यान दें।

मैं, श्रीमन्, एक मिनट और चाहूंगा।

पहले जब श्री जगमोहन सिंह नेगी साहब डिप्टी मिनिस्टर थे तो उस समय हम लोगों ने १४ पेज का एक मेमोरेन्डम दिया था। उस समय शायद सैयद अली जहीर साहब बन मंत्री थे। उस समय से आज तक ६ वर्ष से हम लोग इसी बात की आशा में हैं कि या तो हमें उसका जबाब मिलेगा या हम से कुछ पूछा जायगा, लेकिन कोई पुरसाने हाल उसका नहीं है। जैसे

बंजर अधिकारी है वैसी ही बंजर पालिसी आयी है। इसलिये यदि आपको कुछ करना है तो पहले निश्चित पालिसी निर्धारित करिये। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे दो मिनट का समय दिया।

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—अध्यक्ष महोदय, आज की बहस के सिलसिले में कुछ माननीय सदस्यों ने बाढ़ का जिक्र किया। यह सही बात है कि इस वर्ष कुछ बड़ी गैर मामूली बाढ़ आयी हुई है। मुझे दिल्ली भी जाने का मौका हुआ और मैंने जाकर जिला बुलन्दशहर के जो गांव बाढ़ ग्रस्त हुए उनको भी देखा। मुझे मुख्य मंत्री जी के साथ हवाई जहाज पर घाघरा, कुवानों, राप्ती, रोहिन आदि दरियाओं के जरिये जो बाढ़ आयी हुई है, उसे भी देखने का मौका मिला। पहले मैं दिल्ली गया। जो माननीय सदस्य बुलन्दशहर से तशरीफ लाते हैं उन्होंने फरमाया कि जमुना में जो बाढ़ आई है जिससे उनके गांव को तकलीफ पहुंची उसके लिये उनको खबर मिली कि वह जमुना का बन्द काट देने से आ गयी है। मैं वहां २४ तारीख की सुबह पहुंच गया था और हमारे विभाग के इंजीनियर जो मौके पर थे उन्होंने मुझसे बतलाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। रात को दस बजे के वक्त जमुना में बायीं तरफ ब्रीच हुआ। एक बन्द बना हुआ है और जमुना बजाय सीधे जाने के एक लूप लेकर जाती है और उसका हमला मोड़ पर जहांहिंडन कट का पानी जमुना में गिरता है, वहां कई स्पर बने हुए हैं। उन ठोकरों के पास डेढ सौ फीट की ब्रीच रात को १० बजे के करीब हो गयी। उससे घबरा कर सब लोग भागे। असिस्टेंट इंजीनियर मिस्टर अग्रवाल वहां थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से ५०, ६० आदमियों को वहां रोका। सैकड़ों आदमी वहां मरम्मत के लिये रखे जाते हैं और काम जारी रहता है, लेकिन उस समय लोग घबरा कर भागे। उन्होंने उनको रोका और जो पत्थर वहां जमा थे उनको रात भर वहां डाला और दूसरे दिन तथा उसके दूसरे दिन, लगातार ४८ घंटों तक, तमाम आफिसर कार्य में जुटे रहे और कई सौ आदमियों की मदद से बचे हिस्से को मजबूत करने की कोशिश की गयी। फिर भी, अध्यक्ष महोदय, १५० फीट की दरार बड़ी लम्बी होती है और अगर इसको ठीक न किया गया होता तो हो सकता था कि पास का इमारती हिस्सा भी टूट जाता।

जमुना एक बड़ा दरिया है और फिर उसका पानी काफी तनाव पर था, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा था, इस कारण वहां २०, २२ गांवों में पानी भर गया था। मैं नाव के जरिये वहां गया और मैंने लोगों की दिक्कतों को मालूम करने को कोशिश की। मेरे साथ मेरठ के कमिश्नर, सिंचाई सचिव तथा चीफ इंजीनियर साहबान भी थे और मैंने उन लोगों की जरुरियात को जानने की कोशिश की कि वे किस किस्म की थीं। मेरे साथ कुछ सामान भी उन लोगों को बाटने के लिये था और मैंने उसे बाटा भी। उसको लेने में कुछ लोगों ने अपनी दिक्कत भी जाहिर की और उसको लिया भी नहीं। लोगों ने दियासलाई व नमक वगैरह तो लिया, लेकिन उन लोगों को खाने पीने की चीजों की दिक्कत विशेष नहीं थी। एक दिक्कत उन लोगों ने जानवरों के चारे की बताई। उन लोगों ने अपने जानवर आदमियों के जरिये बाहर भेज दिये थे और उनके बच्चे, बूढ़े तथा खुद वे लोग वहां पर थे।

उसके बाद मैंने उनसे यह जानने की कोशिश की कि वे और क्या चाहते हैं। उन्होंने सीमेन्ट की ख्वाहिश जाहिर की और यह कहा कि जो पानी नशबी इलाकों में भर गया है उसको निकालने की पूरी कोशिश की जानी चाहिये ताकि रबी की फसल खराब न हो सके।

फिर मैं और आगे बढ़ा और वहां भी लोगों से मिला। वहां पर भी लोगों की इसी तरह की मांग थी कि इस तरह की व्यवस्था कर दी जाय जिससे रबी की फसल खराब न हो सके और वह अच्छी तरह से हो जाय। मैंने उन लोगों को यह भी आश्वासन दिलाया कि अगर उनको चारे आदि की जरुरत हो तो उसके लिये भी प्रबन्ध किया जा सकता है।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता कुंवर श्रीपाल सिंह पीठासीन हुए।)

[श्री राममूर्त्ति]

चारे की उनकी जरूरत थी इसलिये मैंने कमिश्नर, मेरठ, को हिदायत दीं कि जहां-जहां लोगों की इस तरह की जरूरतें हों वहां उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाय और उन लोगों को चारा आदि मुहैया कर दिया जाय । मैं माननीय सदस्यों को यह बतलाना चाहता हूं कि यह बात जो कही गयी है कि उस बांध को काट दिया गया यह बात बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है । दिल्ली के गांवों में जो बाढ़ आई हुई थी, मैं वहां नहीं गया, वहां के बारें में लोगों ने जो बताया वह सही होगा ।

पूर्वी जिलों की बाढ़ देखने के लिये भी मैं गया । फैजाबाद के उत्तर में ३–४ मील के एरिया में १५–२० गांव बुरी तरह से जलमग्न थे । वहां पर लोगों को काफी परेशानी थी । वहां से ज्यादा खराब हालत गोरखपुर की थी । ग्रेट गन्डक ने छोटी गन्डक में एक लूप ले लिया और जो वहां पर एक गांव था परछोना जो कि एक तरह से पानी के बहाव के लिये रोक था, वह गांव पूरा बह गया और वहां का सारा एरिया जलमग्न हो गया ।

पहले हमारा इरादा यह था कि वहां पर नैपाल टेरीटरी से लेकर नारायणी नहर के हैड तक एक बांध बना दें, लेकिन उसमें नैपाल गवर्नमेन्ट को कुछ दिक्कत हुई और वह बांध नहीं बनाया जा सका । अब हमारी जो ग्रेट गन्डक कैनाल बनेगी इसलिये उस बांध का बनाना बहुत जरूरी है । बरसात के जमाने में यह जो छोटा सा दरिया है, एक खतरनाक सूरत अख्तियार कर लेता है। जब इसमें पानी आया तो नारायणी कैनाल के ऊपर जो काम अब तक बने हुए थे और जो बूढी गंडक का रास्ता था उधर से पानी का बहाव बहुत तेजी से हुआ और बहुत मिकदार में पानी उधर जाने लगा । हमारे जो कर्मचारी वहां पर थे उन्होंने इस बात की कोशिश की कि नारायणी कैनाल के जो मजबूत काम थे उनको बचायें, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि आदमियों की हिम्मतें टूट गईं और उसको बचाया नहीं जा सका । उसका नतीजा यह हुआ कि बासली के ऊपर जो छोटी गंडक निकलती है, केवल साढ़े चौदह फिट पानी के बचाव के लिये काम बनाया गया है, लेकिन १८ फिट पानी हो गया और ५–६ लाख का काम एकदम टूट गया । उसके टूटने से नारायणी कैनाल में पानी बड़ी तेजी से बढ़ा । यह जरूरी समझा गया कि कैनाल खराब न हो तो उसके लिये दाहिना हिस्सा तोड़ा गया । एक जगह से ब्रीच किया गया और उसके जरिये से रोहन और डांडा दरिया का पानी गोरखपुर की तरफ बढ़ा, रोहन और राप्ती दोनों दरिया मिल गये और १,५००–१,६०० गांव जल मग्न हो गये । हवाई जहाज से पानी में डूबे ग्राम नजर आ रहे थे और खासी बुरी हालत थी ।

पहले से हमने कितने ही बांध छोटे–छोटे बना रखे थे, वह करीब–करीब सब ठीक हैं । यह भी कहा गया था कि जो गोरखपुर का मैलोनी बांध है उसमें ब्रीच हो गया है । यह गलत है । वहां पी० डब्ल० डी० व सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने मैलोनी बांध पर दिन रात काम किया और किसी जगह से उसको टूटने नहीं दिया । थोड़ा सा पानी जो पुलिया के जरिये से गया था उसको रोक कर ली और पूरे शहर को अच्छी तरह से बचाये रखा । वहां के आफिसर्स से भी बात चीत हुई । जहां कहीं नावें हासिल हो सकती थीं वह ले ली गयीं और जहां जहां जरूरत थी वहां भेज दी गयीं । मोटर बोट्स का भी इस्तेमाल वह कर रहे थे और नमक, तेल, दियासलाई और चने वगैरह ऐसी चीजें थीं इनकी सर्विसेज बनाये रखीं और जहां तक हो सकता था वह करीब–करीब हर गांव में दिये जाने की कोशिश कर रहे हैं ।

इसमें शक नहीं कि बाढ़ ने इस साल बड़ा भयंकर रूप धारण किया है और ऐसी भयंकर बाढ़ कम आया करती है । इनसान कितनी ही कोशिश करे, कुछ किया नहीं जा सकता । हम कोई भी काम करते है, उसका एक हिसाब बनाकर करते हैं । हम १० फिट पानी के बचाव का इन्तजाम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अनुमान से जब बहुत ज्यादा पानी हो जाया करता है तो हम कैसे ही काम बनायें, वह बच नहीं पाते । उसमें नुक्सानात हो ही जाते है और तकलीफात

लोगों की बढ़ जाती हैं। जहां बांधों के बनने से लाखों करोड़ों इनसानों को फायदा हुआ करता है, लाखों करोड़ों रुपये की फस्ल बचती है और आदमनी होती है, वहां अगर बांध टूट जाते हैं तो बेइन्तहा तकलीफ भी हो जाया करती है। तो अगर इनको 'मिक्स्ड व्यू' कहा जाय तो नामुनासिब न होगा।

मैं आधा सेकेन्ड लूंगा। मैं तमाम माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे विभाग के लोग और रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी हर जगह, जहां बाढ़ आयी हुई है, जाते हैं और सरकार ने वहां की जरूरियात के मुताबिक रुपया और जरूरत का सामान भेजने की कोशिश की है। नाव भी वहां जाती है और हर प्रकार का जरूरी इन्तजाम किया जाता है और जहां तक आराम हम लोगों को पहुंचा सकते हैं वह पहुंचाते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—श्रीमन्, मैं एक जानकारी चाहता हूं। मंत्री जी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि जो जमुना हिन्डन बांध को काटा गया है तीन जगह से, उसे दिल्ली के अफसरान ने बुलन्दशहर की तरफ काटा है? दूसरे, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि जो कैनाल का इंस्पेक्शन हाउस उस झाल के ऊपर है, जब बांध कटना शुरू हुआ था २० तारीख को तो वह पूर्व की तरफ, बुलन्दशहर की तरफ काटा गया। बांध कटना शुरू हुआ हिंडन कट के पश्चिम में, जहां कैनाल का इंस्पेक्शन हाउस है, लेकिन वहां न काट कर पूर्व की तरफ काटा। इसका क्या कारण है?

श्री अधिष्ठाता—माननीय मंत्री जी यदि इस पर प्रकाश डालना चाहें तो डाल दें।

श्री राममूर्ति—बांध का कच्चा हिस्सा कटा था और कच्चे हिस्से के बराबर की दीवार टूटी। यह कहना गलत है कि तार घर के नीचे का हिस्सा टूटा। जब मिट्टी कटने लगी तो उस एरिया में दिन रात पत्थर डाल कर उस हिस्से को बचा लिया गया।

श्री रामचन्द्र विकल—श्रीमन्, मैंने जांच कमेटी की जो मांग की थी उसके बारे में मंत्री जी और बता दें।

श्री अधिष्ठाता—इस पर भी आप प्रकाश डालना चाहें तो डाल दें।

श्री राममूर्ति—जिन हालात का मैंने बयान कर दिया उन हालात में जांच कमेटी बैठाने की कोई आवश्यकता मालूम नहीं होती।

*श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इतनी ज्यादा बाढ़ आ गयी कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सके। श्रीमन्, हर साल इसी प्रकार मंत्री जी कह देते हैं। जिस साल पानी ठीक वक्त से पड़ जाता है और सब बातें ठीक हो जाती हैं उस साल सरकार कहती है कि हमारी योजनाओं की सफलता के कारण ऐसा हुआ लेकिन जब कभी पानी ज्यादा बरस जाता है या कम बरसता है और फसल ठीक प्रकार से नहीं होती तो मंत्री जी कहने लगते हैं कि हमारी योजना तो ठीक थी, लेकिन अल्लाह ताला ने पानी ही ज्यादा बरसा दिया, हम क्या करें। इसके माने यही हैं कि आपकी योजनायें सब निष्फल रही हैं और सारा रुपया आपका बेकार गया है। अभी तक आप सोलहों आना प्रकृति पर भरोसा करते हैं तो फिर आपकी योजना किस प्रकार से सफल कही जा सकती है? योजना तो हम इसीलिये चलाते हैं कि अगर पानी कम बरसे तो हम सिंचाई की योजना से उनको पानी दे दें और अगर पानी ज्यादा पड़ जाय तो उसके निकालने का इन्तजाम हो। जब तक इस प्रकार से हमारी समस्या हल नहीं होती तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। बात यह है कि हमारी बड़ी बड़ी नदियां हिमालय से निकलती हैं और बांध बांधे जाते हैं मिर्जापुर में। पहाड़ों पर बड़े-बड़े बांध बनाये जायं तो वहीं पर पानी रोका भी जा सकता है और वक्त जरूरत वहां से सप्लाई भी किया जा सकता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

जहां तक वर्तमान शासन का सवाल है, बार-बार यह घोषणा की गयी कि मितव्ययता की जायगी, लेकिन कमिश्नर लोग अभी तक बने हुए हैं, सेक्रेटरीज को जो अलाउन्स मिलता है वह अपनी जगह पर बना हुआ है। मिनिस्टर ९ की जगह १८ हो गये। कारें भी ९ की जगह १८ हो गयीं और अभी तक छोटी कारें थीं, लकिन अब मीडियम साइज की हो गयीं। दौरे का भत्ता आदि भी पहले से दुगुना हो गया है।

इस अनुपूरक अनुदान का एक खास उद्देश्य होता है। जिन चीजों के बारे में पहले से सोचा जा सकता था, उनके बारे में अनुपूरक अनुदान नहीं आना चाहिये, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको पहले से सोचा जा सकता था। अगर इस बजट की तह में जाया जाय तो उससे स्पष्ट मालूम हो जाता है कि मुख्य मंत्री जी अगला चुनाव रानीखेत से ही लड़ेंगे, दूसरी किसी जगह से नहीं लड़ेंगे। आज कांग्रेस पार्टी में भी एक गुट विशेष को मजबूत रखने की बात की जा रही है। रवीन्द्र रंगशाला की नींव डाक्टर सम्पूर्णानन्द से एक बार रखवायी गयी थी, लेकिन उसी रंगशाला की दोबारा नींव डाक्टर सम्पूर्णानन्द से मोतीलाल मेमोरियल ट्रस्ट ग्राउंड में रखवायी गयी है। पंडित मोतीलाल नेहरू तथा श्रीमती माता स्वरूप रानी नेहरू की अपने राष्ट्रीय नेता के रूप में हम बराबर इज्जत करते हैं। लेकिन केवल जवाहरलाल को खुश करने के लिये मोतीलाल मेमोरियल ट्रस्ट के अन्तर्गत ये सब काम कराये जाते हैं। आखिर मोतीलाल मेमोरियल ट्रस्ट तो एक प्राइवेट ट्रस्ट है जिसके पास मोती-महल की बिल्डिंग है जहां से गुप्ता जी चुनाव सम्बन्धी अपनी सारी कारगुजारी करते रहते हैं। अब तो रवीन्द्र रंगशाला बन जाने पर जिसमें बड़ा हाल होगा, वहां बहुत ज्यादा संख्या में वोटर्स आ सकेंगे और जिनको गुप्ता जी अपने गुट विशेष के लाभ में इस्तेमाल कर सकेंगे। इस प्रकार से सरकारी रुपये को एक गुट विशेष के लिये लगाना किसी भी सरकार के लिये कोई गर्व की बात नहीं है, बल्कि शर्म की बात है।

सड़कों के बारे में थोड़ी सी बात कह दूं। सड़कों के लिये ओरीजनल बजट २७ करोड़ रुपये का था जो बाद में काट कर १८ करोड़ रुपये का कर दिया गया। उसमें भी दूसरी पंचवर्षीय योजना का करीब ११ करोड़ रुपया जो कि खर्च होने से रह गया था, इसी में शामिल है। इस तरह से करीब ५–६ करोड़ रुपये की सड़क ही इस साल बननी है। ५ करोड़ ३० लाख में ५९६ मील मोटर सड़क बनाने की बात है। उनमें से २ करोड़ ५८ लाख रु० २९९ मील सड़क के लिये ओरीजनल बजट में है। माननीय मंत्री जी का कहना है कि इस सड़क का बनना बहुत आवश्यक है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इतनी ज्यादा आवश्यकता इसकी क्या पड़ गयी। मानीला-मचूला सड़क अल्मोड़ा में गुप्ता जी के ही क्षेत्र में है। अल्मोड़ा जिला के लिये २५ मील सड़क मंजूर हुई थी, लेकिन वह पूरी २५ मील सड़क केवल गुप्ता जी के क्षेत्र को ही दे दी गयी। मैं समझता हूं कि यह सन् ६२ के एलेक्शन का आयोजन है। उसी सड़क पर एक पुल बनाने के बारे में भी बहुत गलत प्रचार इस बजट साहित्य में किया गया है। देवता का गधेरा का पुल बनाने के लिये पहले ८० हजार रुपये का एस्टीमेट था और वह भी कच्चा पुल बनाने का, लेकिन उसको ड्राप कर दिया गया और अब मालूम हुआ है कि उस पुल को बनाने में ८ लाख का खर्च दिखलाया गया है। आखिर यह क्या चीज है? क्या आज तक उस पुल की जरूरत नहीं थी और क्या मूल बजट में वह नहीं आ सकता था? आज अनुपूरक बजट के नाम पर, पहाड़ के नाम पर सारे रुपये को गुप्ता जी की कास्टीटुएंसी में खर्च करना बड़े लज्जा की बात है।

पी० डब्लू० डी० के सम्बन्ध में बतलाऊं कि अल्मोड़ा-पौखार सड़क के लिये गिरधारीलाल जी ने कहा था कि यह ८ मील की सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरी हो जायगी, लेकिन जब सड़क का एलाइनमेंट हुआ तो उसे छोड़ दिया गया क्योंकि इंजीनियर लोग तो टेक्निकली बड़े होशियार होते हैं। मुझ से पहले श्री गोबर्द्धन तिवारी जी। उस क्षेत्र से सदस्य थे उन्होंने श्रमदान द्वारा ५०–६० मील सड़क बनवायी थी और करीब ८० हजार रुपये का श्रमदान गवर्नमेंट

को मिल सकता था, लेकिन इस पौधारा प्वाइंट का एलाइनमेंट नहीं किया गया जिससे ४ मील सड़क रहगयी। हमने सिर पटक मारा, लेकिन वह ४ मील सड़क नहीं बन सकी जब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पौधार प्वाइंट तक सड़क मंजूर थी, उसको ८ मील बना कर छोड़ दिया गया। पुराने पुल की व्यवस्था जो पहले हो ी चाहिये थी वह भी नहीं हुई। हमारी चुला-मानीला सड़क बन रही है जिसका ३ दिन तक बराबर बड़ी जोर से रेडियो पर प्रोपेगन्डा होता रहा, मालूम होता है कि उनको पहाड़ों के लिये बड़ा प्रेम और बड़ी मोहब्बत पैदा हो गई है। यह सब चीजें इसलिये हो रही हैं कि गुप्ता जी को लखनऊ से नहीं आना है, बल्कि उनको वहीं से आना है। मैं मानता हूं कि हमें हम जिस इलाके से आये हैं वहां के लिये काम करना चाहिये। लेकिन मुख्य मंत्री जी केवल वहीं के प्रतिनिधि नहीं हैं वह हमारे भी मुख्य मंत्री हैं वह अपने को केवल एक इलाके तक ही सीमित न करें अ र दूसरी तरफ भी देखें और हर चीज के एलाटमेंट में केवल यही न देखें कि यह पक्ष का है, विपक्ष का है, हमारे ग्रुप का है या सम्पूर्णानन्द ग्रुप का है, टैक्सपेयर तो विरोधी दल वाले भी हैं, वोट देने वाले भी हैं और वोट देने वाले गुप्ता जी के पक्ष के भी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यह सब हो क्या रहा है? जनसहयोग की बात कही जाती है लेकिन रुपया अपने व्यक्तिगत कार्यों पर व्यय किया जाता है।

चिकित्सा के नाम पर तीन अस्पताल खोले गये, दो आयुर्वेदिक और एक महिला, लेकिन वह तीनों केवल गुप्ता जी के ही क्षेत्र में खुल गये और अल्मोड़े भर में और कहीं नहीं खुल सके। अलीगढ़ में क्या हो रहा है? जब अनन्तराम जी और दूसरे सदस्य गवाह हैं तो मामला तो कुछ न कुछ है ही, फिर भी चौधरी साहब कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है।

वन विभाग में २ साल हो गये रिपोर्ट को आये, लेकिन २० बार मांगी जा चुकने पर भी रिपोर्ट का पता नहीं है। हमारे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भी स्वीकार नहीं होते और रिपोर्ट भी नहीं दिखाई देती। आज भी स्टार पेपर मिल को वही सहूलियतें हैं और वहां के लिये वही छूट और रियायत है। अन्त में मैं चाहूंगा कि मेरी बातों पर मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस पूरक बजट पर आज वाद-विवाद हो रहा है उसके सम्बन्ध में समय कम होते हुये भी मैं दो तीन बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा। इस समय हमारे सूबे में भयानक बाढ़ आई हुई है और खासतौर से हमारी कमिश्नरी में तो उसका और भी विकराल रूप है जिससे हमारे यहां के कई जिले क्षतिग्रस्त हुये हैं और जिसका साधारण एक नक्शा माननीय सिंचाई मंत्री जी ने आपके सामने रखा है। मैं आप के द्वारा माननीय सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बांध या दूसरे तीसरे कामों के लिये जो इंजीनियर्स अपनी कोई टेक्निकल राय दें उसके मुताबिक जो आगे हो वह तो करें ही लेकिन हमें फौरी फैसला यह करना होगा कि जो गांव बाढ़ग्रस्त हैं उनकी सतह ऊंची कर दी जाय और एक बाढ़ ग्रस्त गांव से दूसरे गांव तक जाने के जो रास्ते हैं वे भी ऊंचे कर दिये जायं।

इसके अतिरिक्त जो वन विभाग की ऐसी सड़कें हैं कि जिन पर बैलगाड़ी वगैरह चलाने की सुविधा विभाग ने दे रखी है उन सड़कों की मरम्मत करा दी जाय, इन सड़कों पर कभी मिट्टी नहीं डाली जाती और पूरे तौर पर मरम्मत नहीं कराई जाती।

इसके अलावा जिन वन विभाग की सड़कों पर मोटर कार चलती है और जिन पर बड़ी रेसट्रिक्शन्स हैं, बगैर परमिट के कोई सवारी नहीं ले जा सकता, मेरी राय है कि यह सड़कें पक्की कर दी जायं और इन पर हर तरह की सवारियों को चलने दिया जाय और उन पर किसी तरह की कोई रुकावट न रहे। हमारे जिले में भरहट से बांकी रेन्ज की जंगल की सड़क को पक्का कर दिया गया है। लेकिन हमारे यहां जो महेसरा से मेलमपुर कोठी की पक्की सड़क है जो १४ मील कच्ची है, मैं चाहता हूं कि उस पर मिट्टी डाल दी जाय और पक्का करा दिया जाय। इसके आसपास काफी गांव हैं, कोई जंगल भी नहीं है और काफी वहां आवागमन है, यदि उसको भी पक्का करा दिया जाय तो बड़ी अनुकम्पा होगी।

[श्री केशव पांडेय]

साथ ही जो कच्ची सड़कें उससे पिलाई गई हैं बैलगाड़ियां चलने के लिये, उन पर मैं वन मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि पिछले तीन चार सालों में कई बैल मर चुके हैं, कई आदमी मर चुके हैं और बराबर बैलगाड़ियां टूटकर उनमें गिर जाती हैं। इसलिये वे कृपया कोई न कोई उपाय इसके लिये करें।

इसके बाद मैं राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि उन्होंने बड़ी उदारता के साथ इस समय अपने जिलाधीशों को आदेश दे रखा है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में वसूली न की जाय। वह वस्तुतः रुक भी गयी है, लेकिन इसके बाद उन्हें यह ध्यान देना होगा कि पिछले सालों का अनुभव यह है, अक्तूबर और नवम्बर के महीनों में वे मांग शुरू कर देते हैं। भदई (खरीफ) की फसल तबाह हो चुकी है, जनवरी और दिसम्बर तक सिवाय गन्ने के दूसरी कोई फसल तैयार नहीं होती। इसलिये अगर वे इतनी जल्दी वसूली शुरू कर देंगे तो बड़ा अनुचित होगा। इसलिये इस मामले में सरकार को पहले से ही सचेत रहना चाहिये। बैलों की तकावी, या दूसरी तीसरी तरह की तकावियों के लिये वे कृपा पूर्वक अपने जिलाधीशों को आदिष्ट कर देंगे कि ऐसी मांग करने वाले न जायं।

हमारे जिले में पिछले साल रबी की फसल अच्छी हुई नहीं और खरीफ की फसल भी स्वाहा हो गयी है, इस ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट होना चाहिये।

अन्त में मैं दो चार शब्द गोविन्दसिंह जी विष्ट से निवेदन करना चाहूंगा। अभी तक हम यह सुना करते थे कि पहाड़ों में कोई काम नहीं होता। अब कुछ काम होना शुरू हुआ तो उन्होंने शिकायत शुरू कर दी कि केवल एक ही जगह हो रहा है। गोविन्द सिंह जी बराबर पांच वर्षों से इस सरकार और इस आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते रहे हैं, बराबर नक्शा दिखाते थे। अगर कुमायूं के चार जिले ठीक ढंग से नहीं बनते तब तो उनको एतराज होता है, लेकिन जब उन इलाकों को पिछड़ा करार देकर काम हो रहा है तब तो उनको एतराज नहीं हो सकता। अब किसी एक जगह पर काम होता है और वहां एक विशेष स्थान समझ कर किया जा रहा है, केवल इसमें एक पक्षपातपूर्णता का दोष मान लेना, मैं समझता हूं अनुचित है। हर जगह काम होना चाहिये लेकिन जिस जगह आवश्यकता अधिक हो, वहां पहले काम हो जावे तो बुरा नहीं है। हम पहले पूर्वी और पश्चिम की बातें सुना करते थे कि पूरब में तो बाढ़ हमेशा आती है, लेकिन अब पश्चिम में तबाही आ गयी है। तो किसी भी स्थान के लिये अलग बात नहीं की जा सकती है। हमारे साधन सीमित हैं और इसलिये उस सीमित साधन के कारण ही जब जहां विशेष आवश्यकता हो वहां उस काम को करना आवश्यकता होता है।

*राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन) सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अनुपूरक बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया। श्रीमन्, हर साल की तरह ही यह अनुपूरक अनुदान हमारे सामने आया है और हम समझते हैं कि आखिरी अनुदान यह नहीं है, आगे गवर्नमेंट शायद और पेश करे।

अनुपूरक अनुदानों का उद्देश्य यह है कि जो कार्य बहुत आवश्यक हैं उनको पूरा करने के लिये सरकार रुपया मांगती है। जहां तक इसके पास करने का सवाल है, सरकार का बहुमत है ही वह, पास हो ही जायगा, लेकिन मुझे जो कहना है वह यह है कि पता नहीं क्यों जो बहुत आवश्यक कार्य हैं उनको सरकार भूल जाती है और जिनमें उनको दिलचस्पी होती है वह कार्य ले लिये जाते हैं।

मैं चिकित्सा के बारे में कहना चाहता हूं। जो भूतपूर्व इस विभाग के मंत्री थे ठाकुर साहब, उन्होंने इस भवन में यह घोषणा की थी कि आज देहातों में डाक्टर्स की कमी है और उसको पूरा करने के लिये वे एक योजना बना रहे हैं। डाक्टरों को एलाउन्स दिया जायगा, उनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ भत्ता दिया जायगा और उनके लिये कुछ ऐसा प्रबन्ध किया जायगा। अगर देखा जाय तो प्रान्त के देहाती क्षेत्र के जितने अस्पताल हैं उनमें ९५ परसेन्ट में डाक्टर नहीं है। उसका कारण यह है कि उनके लिये न वहां मकान की सुविधा है, न कोई एलाउन्स है और न उनके बच्चों के पढ़ने का प्रबन्ध है। तो जब मंत्री जी ने आश्वासन दिया था तो क्या वह आवश्यक नहीं था? क्यों नहीं रखा गया कि यह एलाउन्स दिया जाय? शहरों में अस्पताल खोलिये, नई-नई सुवधाएं दीजिये, इलाहाबाद में आप मेडिकल कालेज खोल रहे हैं, इससे हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन देहाती क्षेत्र ी तरफ भी तो ध्यान दीजिये सरकार ने वायदा किया था—सचिव महोदय का पत्र मेरे पास मौजूद है—कि हमारे जिला जालौन में जगम्मनपुर अस्पताल में बरामदा बना दिया जाय तो ६ शैय्यों का अस्पताल खोल देंगे और गवर्नमेंट खर्चा देगी। हमने उस खर्च को बचवा दिया और सरकार का वायदा था कि डाक्टर का क्वार्टर और कम्पाउन्डर का क्वार्टर सरकार बनवा देगी। दो-तीन पूरक बजट पास हो गये, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं आया क्योंकि वह जालौन जिले का मामला है जहां से एक विरोधी सदस्य चुनकर आया है।

इसी तरह से पुलिस बढ़ाने की भी बात है। शहरों में गुन्डागर्दी कम करने के लिये प्रबन्ध किया गया। लेकिन मैं देहात की बात कहना चाहता हूं। जालौन जिले में डाकुओं का आतंक जून-जुलाई के महीने में जो हुआ था उसमें दिन दहाड़े गांवों को लूटा गया और ६–६, ७–७ घंटे लूटा गया। लेकिन हम इसमें यह नहीं देखते कि देहाती क्षेत्र में कोई पुलिस बढ़ाने की बात हो या चौकियां कायम करने की बात हो या डाकुओं के गिरोहों को कुचलने के लिये कोई विशेष प्रबन्ध हो। पी० ए० सी० अब आने ही वाली होगी या आ गई होगी क्योंकि बरसात है और उनको बरसात में वहां तकलीफ होती है। तो रुपया तो आप मांग लेते हैं, लेकिन उससे जनता की तकलीफ दूर करने का कोई तरीका निकलता है या नहीं, इस बात को भी तो देखिये। हमारे जिले में डाकुओं का आतंक अब भी कायम है। बरसात की वजह से कुछ कम हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। एक सिकन्दर तो मर गया है लेकिन श्रीपाल का गिरोह अब भी मौजूद है। श्रीपाल का गिरोह जब तक समाप्त नहीं होगा.....

न्याय मंत्री (श्री हकुमसिंह बिसेन)—किस श्रीपाल से मतलब है, श्रीमन्?

राजा वीरेंद्रशाह—मेरा मतलब अधिष्ठाता से नहीं है। एक गिरोह है, जब तक वह समाप्त नहीं होगा तब तक वहां की अराजकता दूर नहीं होगी। दिन दहाड़े कत्ल होते हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने यहीं कहा था कि एक पी० एस० पी० के कार्यकर्त्ता दिन दहाड़े मार दिये गये। यह क्यों होता है? जो पुलिस थाने में है वह नाकाबिल है, उसके पास साधन नहीं हैं, सिपाही नहीं हैं कि वह प्रबन्ध कर सकें उसको तो बढ़ाते नहीं हैं और शहरों में दुनिया भर का प्रबन्ध हो रहा है।

इसी तरह से सड़कों का प्रश्न है। अभी पहाड़ की बात कही गई। हमारे बुन्देलखंड के जिला जलौन ने अन्न पैदा करने में प्राथमिकता पाई, कलश पाया है। लेकिन हमारे यहां की सड़कें सबसे कम ली गई। जहां अन्न ज्यादा पैदा होता है वहां का यातायात ठीक होना चाहिये। जो सड़कें पास होकर आती हैं, पता नहीं यहां कौन सी कमेटी है, वह रद्द कर देती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में उनका नाम नहीं है। तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि वह कौन सी चीज है जिसके आधार पर स्कीमें फाइनल होती हैं, जिसको कोई बदल न सके? जो सदन में कहा जाता है वह भी पूरा नहीं होता। इसलिये 'पिक एन्ड चूज' का सवाल नहीं होना चाहिये, जनता की आवश्यकतानुसार सड़कें ली जानी चाहिये तभी अनुपूरक अनुदान का लाभ है अन्यथा व्यर्थ है। मन बजट में बहुत से आइटम्स इसलिये नहीं लाये जाते हैं क्योंकि उस समय बाल की खाल निकाली जाती है इसलिये अनुपूरक अनुदान के जरिये १०० रु० की टोकन ग्रांट मांग कर सरकार अपनी मंशा को पूरा करती है और देहात के जरूरी काम पड़े रह जाते हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, आपके प्रति पहले इसलिये आभार प्रकट करता हूं कि बहुत कोशिश करने के बाद अविश्वास के प्रस्ताव पर हमको बोलने का अवसर नहीं मिला । आज आपने समय दिया इसलिये आपका आभारी हूं ।

पूरक और अनुपूरक अनुदान जब असेम्बली में पेश होते हैं तो इससे कार्यक्षमता का पता लगता है । जब सरकार कार्यशील होती है तो स्वाभाविक है कि रुपये की आवश्यकता होगी । जो माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि यह अनुदान व्यर्थ हैं ऐसा नहीं है । आज जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें धन की आवश्यकता है । इसलिये सरकार द्वारा अनुदान मांगने से सरकार की गतिशीलता का परिचय मिलता है ।

मुझे श्रीमन्, केवल एक बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना है, मेरा मतलब उद्योग निर्देशक कार्यालय से है । इस कार्यालय के अन्तर्गत एक स्टोर्स परचेज विभाग है । इस विभाग का काफी समय से मैं अध्ययन कर रहा हूं, बराबर प्रयत्न करने के बाद भी मैं इस संबंध में अपने विचार प्रकट नहीं कर सका । जो कार्य मैंने इस विभाग के देखे उससे यह पता चलता है कि यह विभाग सभी विभागों से आगे बढ़ा हुआ है । इसके अन्तर्गत कम से कम प्रदेश में ५ करोड़ रुपये का सामान खरीदा जाता है और मेरा ऐसा अनुमान है कि १ करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार इसमें अवश्य है । यदि सरकार मेरी बात को मान कर कृपा पूर्वक एक कमेटी बठाये और इसकी जांच पड़ताल करे तो पता लगेगा कि किस प्रकार इस विभाग का कार्य कलाप हो रहा है । मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं । अभी २४--८--६१ को मेरे प्रश्न संख्या ८४--८५ के लिखित उत्तर में मुझे बताया गया कि यह सत्य है कि एक फर्म ने मैक्सेल्फ और ग्लिसरीन की सप्लाई का ठेका लिया और यह बताया कि यह चीजें आई० सी० आई० कम्पनी द्वारा बनायी हुई हैं । जब मैंने सवाल किया तो पता लगा यह दवाइयां आई० सी० आई० बनाती ही नहीं हैं । सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह पता लगी कि पेन स्लिप हो जाने की वजह से गलती से आई० सी० आई० नाम लिखा गया । आप देखें, किस प्रकार होशियारी के साथ अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास किया जाता है । अगर पेन स्लिप करता तो कोई और नाम लिखा जाता, लेकिन आई० सी० आई० का ही नाम लिखा गया । इस विषय में मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज को जब इन गलतियों का पता लगा तो वह प्रथम तारीख कौन थी और जब इस गलती का पता लगा तो डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज की तरफ से कोई ऐक्शन उस फर्म के खिलाफ लिया गया जिसने इस प्रकार झूठी कम्पनी का नाम लिख कर टेन्डर प्राप्त कर लिया ?

अब मैं इसके दूसरे पहलू की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अच्छी अच्छी दवाइयों की सप्लाई के टेन्डर स्वीकार कराके गलत दवाइयां जनता के लिये दी जाती हैं जिनसे बीमारियों में वृद्धि होती जा रही है और जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है । इस प्रकार की अनियमिततायें बराबर बढ़ती चली जा रही हैं । इसी सिलसिले में मैं एक और उदाहरण देता हूं । २५--२--६१ के सरकारी गजट में कुछ टेंडर प्रकाशित हुये हैं । वे एक ही कम्पनी के कई टेंडर्स हैं और उनकी भिन्न भिन्न कीमतें हैं । उदाहरण के लिये आप देखें कि उस गजट में सीरियल नम्बर ३२९, ६०७, ६१६, ६४१, ६४२, ६९९, ५५५, ५३१, ५२६ और ४८९ पर जो टेंडर आये हैं ये सब एक ही कम्पनी के हैं, लेकिन कीमतें भिन्न-भिन्न हैं और उनको स्वीकार किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि आखिर एक ही कम्पनी की बनाई हुई दवाओं की कीमतें भिन्न भिन्न क्यों हैं और वह टेंडर क्यों स्वीकृत हुये ? इसी प्रकार सन् ६० के शुरू वर्ष में अस्पतालों में लाल कम्बल की सप्लाई का ठेका दिया गया । शिकायतें करने पर भी कोई उसकी जांच नहीं हुई ।

श्रीमन्, लाल बत्ती देख कर मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आपके द्वारा सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं कि जनवरी, १९६१ के प्रथम सप्ताह में ४--५ आदमियों

की एक कमेटी लखनऊ में बैठी थी जिसने दवाओं को स्वीकृति प्रदान की थी। मालूम यह होता है कि उसमें कुछ विशेष लोगों के नाम रह गये थे। इसलिये उस समिति के किये हुये निर्णयों में कानपुर में लखनऊ से एक डाक्टर को बुला कर कुछ फेर बदल कर दिया गया। यही नहीं, उस कमेटी के एक सीनियर सदस्य कानपुर के मेडिकल कालेज में मौजूद थे, लेकिन उनको न बुला कर लखनऊ से किन्हीं साहब को बुला कर पूर्व निर्णयों को बदल दिया गया। यदि इन कागजों को आज भी सरकार अपने हाथ में ले ले और फिर उसकी जांच करे तो मैं कह सकता हूं कि सारे गोलमाल का पता लग जायगा कि किस प्रकार स्टोर पर्चेज सेक्शन के द्वारा प्रदेश के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ सरकार के प्रति जनता का जो विश्वास खोता चला जाता है, उसका मुख्य कारण है गलत दवाइयों की सप्लाई होना। उसमें तरह तरह का भ्रष्टाचार होता है।

अन्त में मैं अपने यहां का एक मामला सरकार के सामने रखना चाहता हूं। मेरे यहां प्राइमरी हेल्थ यूनिट की स्थापना सिधौली में अभी तक नहीं हुई जब कि इसी सदन में माननीय भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि सिधौली का स्वास्थ्य इस स्टेज पर आ गया है कि वहां प्राइमरी हेल्थ यूनिट की स्थापना की जा रही है। इस समय भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी इस सदन में मौजूद हैं। मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि कृपा करके सिधौली में प्राइमरी हेल्थ यूनिट की स्थापना करायें।

(इस समय १ बज कर ३८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये।)

*श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस अनुपूरक अनुदान पर जो बोलने का आपने मौका दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मामला बहुत स्पष्ट सा है कि यह सरकार मूल बजट या अनुपूरक बजट के द्वारा रुपया तो लेती है परन्तु उस रुपये से जो निर्माण कार्य हुये हैं उसकी तरफ जब हम देखते हैं तो यह पाते हैं कि जिस तरह से उन पर रुपया खर्च होना चाहिये था उस तरह से वह खर्च नहीं हुआ और इसका कारण यह है कि अधिकतर निर्माण कार्य ठेकेदारों को सौंप दिये जाते हैं जो एक काफी बड़ा हिस्सा मुनाफे का उसमें से निकाल लेते हैं और नतीजा यह होता है कि जितना भी निर्माण कार्य होता है वह अधूरा रह जाता है और मजबूती के साथ उस जगह पर कायम नहीं रह पाता। ठेकेदार लोग अच्छा मेटीरियल नहीं लगाते हैं और गबन के रूप में रुपया खा रहे हैं। मैंने पहले भी कुछ ब्लाकों का जिक्र किया था कि वहां जा कर देखा जाय तो पता लगेगा कि जो दरवाजे और खिड़कियां वगरह उन इमारतों में लगी हैं वे खराब होने लगी हैं और हालत यह है कि उनकी छतें टपक रही हैं जिसके कारण कर्मचारियों का वहां रहना मुश्किल हो रहा है। इसी तरह से जब हम पुलों को देखते हैं, बांधों को देखते हैं या अन्य निर्माण कार्यों को देखते हैं, तो जो रुपया इस आदरणीय सदन से मंजूर होता है उसका उपयोग सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिये मैं कहता हूं कि जो रुपया इस सदन में लिया जाता है उसका सदुपयोग होना चाहिये और दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। जो आजकल रुपये का दुरुपयोग होता है उसको रोका जाय।

इसी तरह से सिंचाई के सिलसिले में मुझे यह कहना है कि जो ९ कोआपरेटिव के ट्यूबवेल्स बनाये गये थे उनमें से श्रीमन्, एक भी नहीं चल रहा है। उनको बने हुये ६ साल हो गये हैं, लेकिन उनसे न तो एक एकड़ जमीन सींची गई है और न किसानों की उत्पादन शक्ति ही बढ़ सकी है। इनके ऊपर लाखों रुपये खर्च किये गये लेकिन इसका चलना असम्भव हो रहा है। सरकार ने भी इस बात को मान लिया है कि वे नौ कुयें खराब हो गये हैं। इस तरह से रुपया सदन से मिलता चला जाय और उसका दुरुपयोग होता चला जाय तो यह ठीक नहीं है। कम से कम सरकार को इसके लिये सचेत रहना चाहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सजीवनलाल]

इतना ही नहीं, मुझे स्वास्थ्य के विषय में भी निवेदन करना है कि हमारे यहां नवाबगंज में अस्पताल कायम हैं, लेकिन वहां पर डाक्टर का पता नहीं है। जहां पर अस्पताल में डाक्टर का पता न हो तो उस क्षेत्र की जनता का स्वास्थ्य अवश्य गिरेगा। इसलिये आज इस बात की आवश्यकता है कि जितनी जल्दी हो सके वहां पर डाक्टर भेजा जाय। एक धनीमानी सज्जन उन्नाव जिले के श्री कन्हयालाल जी हैं। उन्होंने सरकार के पास इस आशय की दरख्वास्त भेजी है कि हमारे गांव के पास ६ मील तक कोई अस्पताल नहीं है जिससे जनता को बड़ा कष्ट है। हम अनुदान के रूप में ६० हजार रुपया देना चाहते हैं और सरकार वहां पर अस्पताल कायम करे। लेकिन आज तक उस ओर सरकार ध्यान नहीं दे सकी है। मैं यह कहता हूं कि जब एक धनीमानी सज्जन इस तरह से रुपया दे रहे हैं तो उसका सदुपयोग किया जाय और वहां पर अस्पताल खोला जाय जिससे उस क्षेत्र की जनता को चिकित्सा की उचित सुविधा मिल सके।

मुझे यह भी कहना है कि इस समय पुलिस के ऊपर रुपया मांगा जा रहा है और पुलिस का रवैया सब को विदित ही है जिस तरह से ढीलाढाला चल रहा है। जहां कत्ल बढ़ रहे हों, डकैती बढ़ रही हों, चोरी बढ़ रही हों वहां अनुदान देते चले जायें और जनता के अन्दर यह भावना पैदा हो जाय कि पुलिस हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती है तो यह ठीक नहीं होगा। अगर पुलिस हमारे प्रदेश के जन साधारण की सुरक्षा न कर सके तो अनुदान नहीं मिलना चाहिये।

इस समय बाढ़ की स्थिति काफ़ी गम्भीर हो गई है। मिनिस्टर साहब ने देखा है कि सई नदी के पुल के ऊपर पानी आ जाने से बसेज का आना जाना रुक गया था। पिछले साल भी यही स्थिति पैदा हुई थी। हर साल सई नदी की बाढ़ भीषण रूप धारण करती चली जा रही है, लेकिन बार बार कहने पर भी कोई सही रास्ता नहीं निकाला जा सका है। लाखों एकड़ जमीन, सई, गंगा की बाढ़ के कारण डूब गई है। हमारे किसान त्राहि त्राहि कर रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी भयंकर हो गई है कि उनके भोजन का ठिकाना नहीं है। यही नहीं, अनुदान के रूप में यहां से केवल १० हजार रुपया भेजा गया है। इससे क्या सहायता पहुंचा सकते हैं? जरूरत इस बात की थी कि १ लाख रुपया भेजा जाता और वहां पुल का चौड़ा किया जाय जिससे सई का पानी आसानी से निकल सके।

इतना ही नहीं निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में मैं एक और सूचना देना चाहता हूं कि कल के दिन मैं नवाबगंज के पास गया और वहां पर देखा कि पी० डब्लू० डी० की तरफ से जो सड़क का निर्माण किया जा रहा है वहां ठेकेदारों ने एक बेचारे किसान के घर के सामने मिट्टी डलवा दी है। उसका दरवाजा बन्द होने जा रहा है, उसका निकलना बैठना मुश्किल है। जब तक मुआवजा न दे दिया जाय, जब तक उन किसानों को रहने के लिये जगह न दी जाय, तब तक इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। उनके रहने का ठिकाना न हो, उनके दरवाजे पर मिट्टी डाल दी जाय, ऐसी स्थिति में वहां के किसान कहां रह सकते हैं? न उनके पास घर है और न जमीन है। उनको लगान भी पड़ रहा है और घरों से भी उनको निकाला जा रहा है। यह स्थिति हमारे जिले में दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है।

सरकार से मुझे यह भी कहना है कि एक सड़क लखनऊ से मोहान की तरफ जाती है। उसको ६ वर्ष हो गये अभी तक वह तैयार नहीं हो पायी है। क्या कारण है कि उसको इतना समय हो गया और अभी तक नहीं बन सकी? इसलिए मैं इस अनुपूरक अनुदान का विरोध करता हूं।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुपूरक अनुदान सदन में प्रस्तुत हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं।

मान्यवर, जो अनुदान प्रस्तुत हैं, मैंने उनको ध्यान से देखा। इसमें दो ही तरीके के अनुदान हैं। एक तो वे जिनके बारे में पहले बजट में व्यवस्था नहीं थी और दूसरे वह हैं जिनकी

बजट में व्यवस्था थी किन्तु उससे कुछ ज्यादा खर्चा हो गया। यह दो चीजें इस बजट के द्वारा सदन में प्रस्तुत की गयीं।

इसमें दो तीन बातों पर आलोचना की गयी। एक तो है जिसमें ८५ हजार की नयी गाड़ियां खरीदने की बात कही गयी है। दूसरी है, जिसमें पुलिस के बढ़ाने की बात कही गयी है। यद्यपि इस बजट में पुलिस को बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ कुछ टोपियां जिनको हेलमेट कहते हैं उनको खरीदने के लिए २० हजार रुपये मांगे गये हैं। इसी तरह अन्य अनुदानों पर भी आलोचना हुई है। मुझे सिर्फ इस सिलसिले में इतना ही कहना है कि जहां तक गाड़ियों का सवाल है इतना सब को मानना ही पड़ेगा कि बड़ी गाड़ियां नहीं खरीदी गयीं। अगर इस प्रदेश में मंत्री बढ़ाये जाते हैं, तो यह स्वाभाविक है। रोज यह कहा जाता है कि इस विभाग का काम ढीला है, सवालों के उत्तर नहीं मिलते इत्यादि। इस योजना काल में जब योजनाएं चल रही हैं तो मंत्री बढ़ाना अनिवार्य है। अगर मंत्री बढ़ाते हैं तो उनके आने जाने के साधन भी जुटाये जाने चाहिये, नहीं तो मंत्री इनएफेक्टिव हो जायंगे। ऐसी हालत में यह मान ही लेना चाहिए कि खर्चे की कमी की जा रही है। अब तक जो बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल करते थे, उनकी जगह पर छोटी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। तो बजट की आलोचना करना सही नहीं मालूम होता। यह बात दूसरी है कि उनको गाड़ी न दी जाय, सायकिल दी जाय, पैदल चलें। पर अगर गाड़ी दी जायगी तो छोटी गाड़ी दी जा रही है। इस तरह से बचत तो की ही जा रही है।

इसके अलावा एक ऐसी मोटी बात है जिसको आम तौर से अविश्वास के प्रस्ताव पर भी माननीय सदस्योंने कहा था और आज भी उसको दोहराया गया कि चपरासी निकाले गये और मंत्री बढ़ाये गये। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह लगातार गवर्नमेन्ट की तरफ से साफ किया गया कि चपरासियों को निकाला नहीं गया और उनको तनख्वाह दी जा रही है। पर लगातार इस बात का रिपीटीशन हो रहा है। इसी सदन में मैंने पच्चीसों बार यह बात सुनी है कि मंत्री लोग अपनी शान और मान को बढ़ाने के लिए चपरासियों की फौज अपने साथ रखते हैं और अपने आगे पीछे चपरासी लेकर चलते हैं। तो एक तरफ तो यह आलोचना होती है और चपरासी जब हटाये गये आपकी आलोचना के आधार पर तब आप यह कहने लगे और गरीबी की दुहाई देने लगे कि गरीबों को निकाला गया, यह किया गया, वह किया गया। मेरी समझ में तो आपकी यह बात आती नहीं, इसलिये कि कोई तर्कपूर्ण बात हो तो समझ में आये भी।

श्री उपाध्यक्ष—आप मुझे ऐड्रेस करके बात करें, माननीय सदस्यों से बीच में बात न करें।

श्री उमाशंकर शुक्ल—बहुत अच्छा श्रीमन्। तो यह बात जो कही जाती है कि मंत्री बढ़ाए गए और चपरासी घटाए गए, यह कोई तर्कपूर्ण बात नहीं मालूम होती, इसलिये कि आज के इस प्रजातांत्रिक युग में इन शानमान की चीजों को कम करना मैं जरूरी समझता हूं, चाहे वह छोटा ही कदम क्यों न उठाया गया हो, कुछ अफसरों के ही चपरासी क्यों न हटाये गए हों, लेकिन धीरे-धीरे यह चीज आगे बढ़ेगी और मैं इसको इस बात का शुभ लक्षण मानता हूं कि धीरे-धीरे यह शान-मान की चीजें जो हैं वह कम हो रही हैं।

एक बात और मुझे कहनी है, हालांकि इस वक्त इस अनुदान में श्रम विभाग का कोई खास महत्वपूर्ण अंग नहीं है, लेकिन आज मैं यह देख रहा हूं कि प्रदेश के कई हिस्सों में और खासतौर से कानपुर का जिक्र मैं करना चाहता हूं कि वहां की जूट मिलों के जो मालिक हैं वह कई महीने से मजदूरों को परेशान कर रहे हैं और जब उनके जी में आता है हैपहैजर्ड वे में अपने कारखाने को बन्द कर देते हैं बगैर किसी नोटिस के, कह देते हैं कि रा-मैटीरियल की कमी है। नतीजा यह होता है कि मजदूर महीनों तक दर-दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि मालिकों को इस कार्यवाही को रोकने के लिये एक जांच कमेटी बैठायी जाय जिसमें कि मालिक बेसिलसिले जब जी में आये तब कारखाना बन्द न करने पायें।

[श्री उमाशंकर शुक्ल]

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय छुट्टी मजदूरों को दी गई इसके लिए मैंने सरकार को धन्यवाद दिया था। १५ अगस्त के लिए माननीय श्रम मंत्री ने आश्वासन भी दिया था कि १५ अगस्त की छुट्टी वह मजदूरों को दिलायेंगे, सरकार की तरफ से तांगों में उसका एलान भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी मालिकों ने १५ अगस्त की सवेतन छुट्टी मजदूरों को नहीं दी। इस मौके पर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह मालिकों का ध्यान इस ओर आकर्षित करे।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी प्रस्ताव का समर्थन करने नहीं खड़ा हुआ हूं क्योंकि मेरा साथ कोई नहीं देता, तो मैं किसी का साथ क्यों दूं। आज तो चारों तरफ बदले की चीजें हो रही हैं, चाहे गांवों में हो, चाहे शहरों में हो, चाहे पंचायतों में हो, चाहे लोक सभा में हो, और चाहे विधान सभा में हो, मैं यही सुन रहा हूं। आज तो हरएक चीज बढ़ रही है। जब नेताओं के भाषण बढ़ जाते हैं तो हम कमजोर पीछे रह जाते हैं। मजदूर तो ऐसे ही ठोकर खाया करता है जैसे हम लोग पीछे वाले यहां खाया करते हैं। हमें मिलेगा ७ मिनट तो काकाओं को मिलेगा २५ मिनट।

सच्ची बात कहने पर बूढ़े को यहां से उठाकर ले जाते हैं ताकि बूढ़ा सच्ची बात न कहने पाये। मैं यह कहना चाहता हूं कि सच्ची बात कोई सुनता नहीं है। जो सच्ची बात कहता है उसके लिये ये अखबार वाले भी लिखते हैं कि सदन में बाधा डालने वाला यह सदस्य है और सदन के काम में बाधा डालना चाहता है.....

श्री उपाध्यक्ष--आप अपनी बात कहिये। इस प्रकार से कहना चेयर के निर्णय पर टीका करना है।

श्री टीकाराम पुजारी--मंत्री बढ़ गये इस वजह से कि जनसंख्या बढ़ गई और जनतंत्र भी बढ़ गया है। चपरासी जो कम किये गये वह इस वजह से कि कुछ बचत सरकार करना चाहती थी।

रही सड़क की बात, उसके बारे में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो जिस क्षेत्र का रहने वाला होता है वह उसी क्षेत्र के लिये सब काम कराता है। वह वोट पाने के लिये सब कुछ काम कराना चाहता है। वह चाहता है कि सड़क बननी चाहिये, नाला बनना चाहिये, वहां जनता में तकावी भी बंटनी चाहिये। वह बन्दूक के लाइसेन्स भी दिलवाता है। रिवाल्वर भी दिलवाता है। हर एक काम वह अपने क्षेत्र के लिये कराना चाहता है। लड़कों को नौकरी भी दिलाता है। वह तरह-तरह के प्रलोभन देता है कि हमारी विजय हो जाय। यह सबका काम होता है। कांग्रेस वाले भी करते हैं और विरोधी भाई भी यह करते हैं। दोनों का यह काम है। कांग्रेस, सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट और जनसंघ सभी अपनी अपनी बात करते हैं। सब पार्टियों के नेता जनता के वोट पाने के लिये जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। चाहे इधर के हों और चाहे उधर के हों, सभी यह काम करते हैं कि किसी तरह से भी जनता को गुमराह किया जाय। इस बात की चेष्टा की जाती है कि किसी तरह से भी किसानों के प्रतिनिधि यहां पर न आने पावें। यहां पर इस तरह के आदमी आते रहें जो किसानों की बात न कहने पावें। यहां तो इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि किसानों की बातें यहां से बाहर न जाने पायें। उनकी बात ही बाहर जाये। हर तरह से कोशिश है कि जनता को गुमराह किया जाय। यह प्रजातन्त्र का कानून नहीं है। यह स्वतन्त्रता की चीज नहीं है। स्वतन्त्रता तो वह होती है कि सब लोगों को उसका लाभ पहुंचे। यह न्याय नहीं है। यहां पर पक्षपात होता है। इस प्रकार का शासन शुद्ध रूप से नहीं चल सकता है, न आज चल सकता है और न कल चल सकता है। इससे न जनता की रक्षा कर सकते हैं और न देश की रक्षा कर सकते हैं। किसी का भी इस नीति से कल्याण नहीं हो सकता है। किसानों को आराम तब मिलेगा, गरीबों को आराम तब मिलेगा, जब

हमारे देश का राष्ट्रपति मजदूर का बेटा होगा और किसान का बेटा प्रधान मंत्री होगा। इस देश की जनता को तभी सुख मिलेगा जब इस देश का राष्ट्रपति मजदूर का बेटा होगा और किसान का बेटा प्रधान मंत्री होगा। जवाहर लाल जी नेहरू उसके नीचे काम करेंगे तब मैं समझता हूं कि उस समय सच्चा प्रजातन्त्र इस देश में स्थापित होगा। कौन जानता है कि गरीबी में क्या मुसीबत होती है। गरीब की मुसीबत को गरीब ही जानता है। गर्की की मुसीबत को गर्की के लोग ही जानते हैं। बाढ़ की मुसीबत को किसान ही जानते हैं। जिनको कभी रोग नहीं हुआ वह क्या जानता है कि बीमारी क्या चीज होती है। भूख वही पहिचानता है जो भूखा होता है।

बहुत सारी सड़कें प्रान्त में बन रही हैं लेकिन जो सड़क सादाबाद तक जाती है वह १८ मील का टुकड़ा है जिसका बनना बहुत जरूरी है। ११, १२ कोस तक किसानों के लिये कोई ऐसा बाजार नहीं मिलता है जहां पर वह मंडी में अपना सामान ला सके। हाथरस वहां से १८ मील है, मथुरा २४ मील है, और इस महीने में तो वहां पर ऐसी हालत है कि पानी ही पानी भरा हुआ है। २, ३ महीने तक पानी सूख नहीं सकता है। न कोई चीज वहां से कोई ला सकता है और न ले जा सकता है। इस सदन के सामने तीन, चार बार मैंने कहा है। जो रायां से सादाबाद जाने वाली सड़क है वह पक्की होनी चाहिये, उससे किसान और मजदूर बचेगा। लेकिन पक्की तो होगी लखनऊ और दिल्ली की सड़क, किसान की सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर आप अभी नहीं सुनेंगे तो आपको सन १९६२ में उसकी सुनना पड़ेगी। जनता जनार्दन है और उसी की वजह से आप यहां कुर्सियों पर बैठे हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि १८ मील के उस टुकड़े को पक्का करा दिया जाय, उससे गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का भला होगा और मैं आशा करता हूं कि मेरी यह बात मान ली जायगी। इससे आपका भी भला होगा और जनता का भी भला होगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट का विरोध करते हुये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि.....

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जांय, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवप्रसाद नागर—उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं एक सैद्धांतिक बात निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि यह बजट बनता कैसे है। क्या आधार है इस बजट के बनने का। यह लकड़ी बटोर कर बनता है, या बालू बटोर कर बनता है, या ईंट इकट्ठा करके बनत है या कूड़ा कर्कट लेकर बनता है। तो सब से पहले इस बात को सरकार को जानना चाहिये कि यह बजट बनता है एक-एक किसान के खेत-खेत से, खेत-खेत को मेड़-मेड़ से और मेड़-मेड़ के पौधे-पौधे से और पौधे-पौधे की बाली-बाली से और उस एक-एक बाली के दाने-दाने से जो दौलत इकट्ठा होती है, जो पैसा खींचा जाता है वह यहां इकट्ठा होता है इस सरकार के राज्यकोष में और तब यह बजट हमारे सामने आता है। अब गौर करें कि जो पैसा इस प्रकार इकट्ठा होता है उसे इस सरकार ने यह बजट बना-बना कर किस प्रकार बरबाद किया है। उसका कोई सदुपयोग जनता को दिखाई नहीं पड़ा। यह बात दूसरी है कि इस सदन में हमें आपको फायदा दिखाई देता हो, लेकिन इस प्रदेश की ७ करोड़ जनता की आंखों को इसका फायदा नहीं दिखाई दिया और वह एक आवाज से कहती है कि इस सरकार ने इस पैसे को बरबाद किया है। इसके कई प्रमाण हैं।

अभी चार महीने की बात है कि मूल बजट आया था। ज्यादा दिन नहीं हुये। चार महीने के बाद सप्लीमेंटरी बजट आ गया। क्या जरूरत थी? कौन सी ऐसी खास बात हुई जिसके लिये यह सप्लीमेंटरी लाया गया? उन्होंने एक बात कही कि सरकार की कार्यक्षमता और प्रगतिशीलता का सबसे बड़ा सबूत इस बजट में मिलता है। श्रीमन, इसी सरकार का एक वन विभाग है और हमारे वन मन्त्री यहां पर बैठे हुये हैं। मैंने एक प्रश्न पूछा था

[श्री शिवप्रसाद नागर]

कि प्लान्टेशन किस तरह से होता है और उसमें कितना खर्च होता है। उन्होंने बतलाया था कि इसमें खर्चा १२५ रुपये, ८५ रुपये और ६५ रुपये का आता है। लेकिन श्रीमन्, खीरी जिले में जो प्लान्टेशन हुआ है उसमें ४०० रुपये खर्चा आया है। मैं पूछना चाहता हूं कि यही प्रगतिशीलता है इस सरकार की कि १२५ रुपये के स्थान पर ४०० रुपये खर्च हों? क्या आज तक इस सरकार ने इस बात का पता लगाया कि यह इतना ज्यादा खर्चा क्यों हुआ? आज तक सरकार ने इस बात की जांच नहीं की कि किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा १२५ की जगह ४०० रुपये क्यों खर्च हो गये? यह प्लान्टेशन सन् १९५३–५४, १९५४–५५ में हुआ था और अब तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई है लेकिन न कोई उसके लिये इंक्वायरी हुई और न कोई कार्यवाही उन आफिसरों के खिलाफ की गई। क्या यही इस सरकार की कार्यक्षमता का नमूना है और इसी काबलियत के आधार पर वह इस सदन से रुपया मांगती है?

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं। इसी सदन में स्टार पेपर मिल के बारे में प्रश्न पूछे गये थे। दो लाख क्यूबिक फीट लकड़ी का कन्ट्रैक्ट सन् १९५६ में हुआ, लेकिन आज तक उस एग्रीमेंट को तब्दील नहीं किया गया और अभी भी कटान जारी है और करीब ६ लाख ३२ हजार क्यूबिक फीट लकड़ी अब तक कट चुकी है। यह लकड़ी एक आना क्यूबिक फीट के हिसाब से दी गई है। और मजे की बात यह है कि आज तक उस पेपर मिल में उस लकड़ी से पेपर बनाने वाली मशीन तक नहीं आई है। वह क्यों नहीं आई, आज तक इस सरकार ने उसकी जांच तक नहीं की और बिना मशीन के आये हुये ही ६ लाख क्यूबिक फीट लकड़ी उसको दे दी गई और अब भी कटान जारी है। (लाल बत्ती होने पर।)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट और दे दिये जायं। मैं एक आध बात और कहना चाहता हूं।

श्रीमन्, यहां का सिंचाई विभाग है, वह पहले जिस मंत्री जी के हाथों में था अब भी उन्हीं के हाथों में है। जब वे दो बार इस पद पर थे तो फिर उसी में डूब गये। उस विभाग से उनका मोह नहीं था पर आज लतीफे की बात यह है कि लखीमपुर जिले में कैनाल के जो डिस्चार्ज ड्रेंस हैं, किसान अगर उससे सिंचाई कर लेते हैं तो उसके लिये भी उनसे सिंचाई कर वसूल किया जाता है। ऐसा कार्य कभी किसी नवाबी जमाने में भी नहीं हुआ। जनता उसको सुन कर क्या कहेगी?

एक बात चिकित्सा के बारे में कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। माननीय न्याय मंत्री उस समय चिकित्सा मंत्री भी थे। हमारे यहां एक सर्जन मिस्टर माथुर थे। उन्होंने एक सरकारी कर्मचारी को ४ महीने तक यह सार्टिफिकेट दिया कि उसके दोनों लंग्स खराब हैं, वह टी० बी० का मरीज है, जीने की आशा नहीं है। कुछ लोगों ने उसको समझाया कि इससे तो अच्छा यही होगा कि तुम अपने कार्य पर जाया करो, इससे तुम्हारा मन भी बहलेगा और समय भी कट जाया करेगा। वह फिर फिटनेस सर्टिफिकेट के लिये सिविल सर्जन के पास गया। २४ घंटे पूर्व जो मौत की चारपाई पर साबित किया गया, उसी को सिविल सर्जन फिर फिटनेस सर्टिफिकेट दे देता है। उसके बाद नतीजा यह होता है कि वह व्यक्ति उसी के कारण मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे सिविल सर्जन के बारे में जांच होनी चाहिये। डिप्टी कमिश्नर श्री बी० बी० टण्डन के सामने यह दोनों सर्टिफिकेट पेश भी हुये, वह आज भी मौजूद हैं।

एक दो बात और उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं। सामान्य प्रशासन के बारे में बहुत सी बातें कहीं गयीं। क्लर्कों की दशा यह है कि जिले से बाहर और रीजन से बाहर नहीं, बल्कि जो लखीमपुर में काम करते हैं तो तबादला झांसी कर दिया जाता है। क्लर्कों का तबादला इतनी दूर और अफसरान का तबादला सेक्रेटेरियट में ही किया जाता है—पुराने से नये और नये से पुराने सेक्रेटेरियट में कर दिया जाता है जबकि चपरासियों का तबादला, क्लीनर का एक का तबादला लखीमपुर से झांसी कर दिया गया।

एक बात और कह दूं। अभी उन्होंने जिला प्रशासन की बात कही और जिला प्रशासन मंत्री ने जिला प्रशासन की बड़ी प्रशंसा की। अभी जिला प्रशासन का चुनाव कराया। सब एम० एल० ए० और एम० एल० सी० और एम० पी०, एक हरिजन नामिनी, एक महिला, ५ इंडस्ट्रियल नामिनी, दो डिप्टी कमिश्नर के नामिनी, जिला बोर्ड से डी० पी० सी० में हो गये और जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खत्म होने लगा तो ५ उनमें से ले लिये गये, इस तरह से २८ सरकारी आदमी पहुंच गये और इसका नतीजा यह हुआ कि सारे सूबे में चेयरमैन सब कांग्रेस के हो गये। एक शायर ने कहा—

"औजे हफ्त मुल्लाकी इनका,
चर्खे हफ्त तब्बाकी इनका।
महफिल इनकी साकी इनका,
आंखे मेरी, बाकी इनका।"

जब सब इनका है तो हमारा चेयरमैन कहां से हो ?

(लाल बत्ती बझा दी गयी)

श्री उपाध्यक्ष—शेर के बाद कुछ कहना ठीक नहीं, उसका असर जाता रहता है।

(हंसी)

श्री हरिदत्त कांडपाल (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले जनसंघ के उपनेता, श्री गोविन्द सिंह जी बोल रहे थे, वह चले गये, अगर इस वक्त होते तो थोड़ा सा अपनी बातों का जवाब सुन लेते। श्रीमन्, उन्होंने जिस तरह से इरिगेशन मिनिस्टर साहब को क्रिटिसाइज करते हुए यह कहा कि जब फ्लड आये तो परमात्मा की वजह से हुआ और फसल अच्छी हो जाय तो इनके प्रयत्न से हुआ, इस प्रकार से श्रेय लूटने को स्वयं तैयार हो जाते हैं और अगर खराब काम हो जाय तो परमात्मा की मर्जी से हुआ है, इस तरह से उन्होंने शुरूआत की और यह कहा कि पहाड़ से नदियां आती हैं, वही नदियां बह बह कर गजब ढाती हैं, लिहाजः पहाड़ पर ही उनका बन्दोबस्त किया जाय या बांध बांधा जाय—इस तरह का एक-आध सजेशन था। इसी प्रकार से उन्होंने मितव्ययिता की चर्चा की। मुझे तमाम बातों का जवाब देने का मौका तो आप न दे सकेंगे, इसलिए सिर्फ एक दो प्वाइंट्स पर कुछ कहना है।

उन्होंने जो कुछ कहा वह मेरी समझ से उनको शोभा नहीं देता था और इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों की—चाहे इधर के हों या उधर के हों—उनकी भी राय यही होगी। जब उन्होंने रानीखेत की कांस्टीटुएंसी जिससे मुख्य मंत्री जी आते हैं, उसका जिक्र किया और यह आरोप लगाया कि बजट का तमाम रुपया रानीखेत की उस कांस्टीटुएंसी में ही खर्च कर रहे हैं जहां से चुन कर आये और यह मोटिव लगाया कि इससे जाहिर होता है कि वह अगला चुनाव रानीखेत से लड़ेंगे, यह बात मुझे शोभनीय नहीं लगी, और उधर के और इधर के माननीय सदस्यों को भी अच्छी नहीं लगी होगी। बजट स्पीच क्या थी, एक जली-कटी सुनानी थी, उस आदमी को जिससे पर्सनल द्वेष हो.....

श्री मोतीलाल अवस्थी—व्यवस्था का सवाल है। "जली कटी" सुनाने की बात कही गयी है। क्या यह पार्लियामेंटरी है ?

श्री उपाध्यक्ष—अगर पार्लियामेंटरी न होता तो मैं रोकता नहीं ?

श्री हरिदत्त कांडपाल—श्रीमन्, माननीय गोविन्दसिंह जी ने जिक्र किया कि अल्मोड़े जिले में मनिला-माचूला सड़क बनने वाली है, जिसके लिये ५९–६० में और उससे पहले भी रुपया रखा गया था, लेकिन सड़क बन नहीं पा रही थी। हर मेम्बर का फर्ज होता है कि अपने इलाके की मांगों को प्रेस करे। अगर संयोग से वह सड़क इस साल बन गई तो उसका दोष माननीय मुख्य मंत्री के ऊपर रखा जाना उचित नहीं है। मुझे उनकी यह बात अच्छी नहीं लगी कि अगर

[श्री हरिदत्त कांडपाल]

कहीं कुछ काम होता तो उसके बारे में यहां उस मंशा से जिक्र किया जाय जिससे उन्होंने किया। जहां से वह आते हैं वहां क्या हुआ, कितना पैसा सरकार द्वारा खर्च किया गया, सड़कों, पुलों और अस्पताल वगैरह पर, आंकड़े बतावें, तो मालूम होगा, कि उन्हीं की कांस्टीटुएंसी में सबसे ज्यादा काम हुआ है और पैसा लगा है। जहां से मैं आता हूं या मुख्य मंत्री जी आते हैं, वहां से भी ज्यादा पैसा उनके यहां खर्च किया गया है। पहले रानीखेत होकर अल्मोड़ा जाना पड़ता था। अब दूसरी सड़क बन गई है और १५, १६ मील की बचत करके खैरना से निकाली गई है। पिथौरागढ़ को मिलाने वाली सड़क भी बनी, अल्मोड़ा से बागेश्वर की सड़क बनी। इस प्रकार यह अन्तर करोड़ों में जायगा। इसी प्रकार नहरों, अस्पतालों वगैरह की बात है। मालूम होता है कि गोविन्दसिंह जी और उनकी पार्टी का अगले चुनाव में क्या हश्र होने वाला है, इसका अन्दाजा उन्हें पहले से ही लग गया है।

एक बात मैं माननीय वन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े जोरों से अफवाह फैली हुई है कि सिविल जंगल और पंचायती फारेस्ट की श्रेणी में सरकार कोई तब्दीली करने की सोच रही है जिससे ये सब सरकार के हो जावेंगे। मैं मंत्री से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई कदम बिना सोचे समझे न उठावें। लिहाजा इस बात का खंडन सरकार की ओर से होना जरूरी है।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदान के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, इस अनुदान के देखने से मुझे बड़ी घोर निराशा हुई। मुझे आशा थी कि इसमें कुछ नयी प्रगतिशील बातें ग्रामीण जनता के लिए रखी जावेंगी परन्तु इसमें उनका अभाव है। मैं कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। बार-बार यहां किसानों का लगान आधा करने की बात कही गई। परन्तु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भूतपूर्व जमींदारों के लगान की तुलना अगर मौजूदा लगान से की जाय तो उसमें बहुत अन्तर है। उनकी मौरूसी दरों में १ और ८ का अन्तर है। लेखपाल ज्यादातर तहसीलों पर रहते हैं, साल में ६, ७ महीने वहां रहते हैं क्योंकि सरकार की ओर से तरह-तरह के नक्शे उनसे बनवाये जाते रहते हैं। जब वे गांव में आते हैं, तो समय के अभाव से गलत इन्दराजात करते हैं जिससे मुकदमेबाजी बढ़ती है। लोगों को समय से खसरे खतौनी की नकल नहीं मिलती है। जिन लेखपालों के खिलाफ शिकायत होती है उन्हें तो ट्रांसफर नहीं किया जाता है और जिनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं होती है उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार लेखपालों से जो भी काम करवाये उनके परगना हेडक्वार्टर पर हो।

रहरा वनक्षेत्र जिला गोंडा में किसानों से जबरदस्ती जमीन को वन विभाग द्वारा निकाला जा रहा है जो वह अर्से से जोतते बोते चले आ रहे हैं। वन विभाग यह कर रहा है। कभी फारेस्टर वहां जाता है, कभी फारेस्ट गार्ड जाता है और दोनों अलग-अलग बातें बताते हैं। वहां के लोग अपने खेतों में फसल भी ठीक समय से नहीं बो पाते हैं कि कहीं उनकी जमीन एकदम न ले ली जाय। वन मंत्री जी इसकी जांच करावें और वह जमीन किसानों को देकर उन्हें उसका मालिक बनाया जाय।

कृषि विभाग के बारे में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। वभनजोत और रेहरा विकास खंड में किसानों से अनाज के बजाय उन्होंने जो बीज भंडार से बीज लिया था, रुपया लिया जा रहा है। जो गेहूं बाजार में १२, १४ रुपये मन पर बिक रहा है उसी गेहूं को प्योर सीड के नाम पर २२ और २४ रुपये मन के भाव वसूल किया गया। अगर ऐसा ही करना था तो पहले से सरकार को बता देना चाहिये था कि जो अनाज बीज के लिए दिया जाता है उसके बदले में अनाज न लेकर रुपयों में भुगतान लिया जावेगा।

हमारे यहां एक आयुर्वेदिक अस्पताल खोला गया जिसके लिये मैंने बिना किसी मूल्य के जमीन और इमारत दी और मैं मंत्री जी का अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने उसे खोला। मगर उसकी इमारत अभी तक नहीं बनी है। मैं चाहता हूं कि उसका भवन जल्द बनाने की व्यवस्था की जाय। वह इन्डोर अस्पताल भी है। देहातों में ब्लाक हेडक्वार्टर्स पर जो अस्पताल एलाटेड हैं वे जल्द बनाये जावें। बभनजोत का अपस्ताल बनाने के लिये, मुझे मालूम हुआ है, कि यहां से रुपया गया भी है मगर उसकी इमारत बनाने का कार्य शुरू नहीं हुआ, उसे जल्द बनवाने की मेहरबानी की जाय।

सड़कों के बारे में मैं करीब ४, ४ १/२ साल से कह तथा लिख रहा हूं कि खोंडारा गौरा चौकी से सादुल्लापुर और मनकापुर होती हुई सड़क बनाई जाय। मेरे क्षेत्र में सिंगारघाट का पुल बनने की बहुत जरूरत है। श्रीमन् इस सरकार से बराबर आश्वासन मिला और यहां से जो डिप्टी सेक्रेटरी, पी० डब्लू० डी० गये, उनको भी वहां कहा गया। सड़क को फर्स्ट फेज में रखा तथा शासन से मंजूर किया गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। यदि मंत्री जी चलकर देखना चाहें तो मैं उनको अपने खर्चे पर ले चलने के लिये तैयार हूं। आजकल देखा जाय तो पता नहीं चलता कि वह सड़क है या नदी। जब कि लाखों मन गन्ना तथा हजारों बैल गाड़ियां अनाज लेकर इस सड़क और पुल से जाती हैं, फिर भी आज तक कोई ध्यान इस सड़क और पुल की ओर नहीं दिया जाता है। इस सड़क का डेढ़ दो मील का एक भाग ऐसा है जिस पर से बैलगाड़ी पास नहीं हो सकती। इधर उधर तो सी०सी० रोड है और यह बीच का हिस्सा बहुत खराब है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सड़क और पुल को तुरन्त बनवा दिया जाय।

इसी प्रकार हमारे यहां से हाई स्कूलों के लिये मांग की गयी। हम जमीन और बिल्डिंग सब देने को तैयार हैं, लेकिन अभी तक हाई स्कूल नहीं खुल सका है। मैं नहीं कहता कि यूनिवर्सिटी को ग्रान्ट न दी जाय लेकिन उन देहातों में जहां स्कूलों की बड़ी कमी है वहां भी स्कूल अवश्य खोले जाने चाहिये। गौरा चौकी और सादुल्ला नगर में एक एक हाई स्कूल अवश्य खोले जायं। हमारे यहां की जनता श्रमदान करने और चन्दा देने के लिये तैयार है तथा मैं भी मदद करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं अनुपूरक अनुदानों का विरोध करता हूं।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदानों के संबंध में जो वाद विवाद चल रहा है उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना। कुछ साथियों ने कृषि विभाग और गृह विभाग के बारे में भी कहा। उस सब का उत्तर दे सकता तो मेरे लिये संभव न होगा लेकिन मोटे तौर पर २–३ बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

श्री रामचन्द्र विकल ने इस बात की शिकायत की कि दिसम्बर १९६० में बुलन्दशहर के एक गांव अकटा में दिल्ली की पुलिस ने पिस्तौल से एक आदमी की हत्या करदी, लेकिन इतना समय हो गया, सरकार ने उसका कुछ नहीं किया। मैं उसके बारे में उनको बता देना चाहता हूं कि उसकी जांच करने में कठिनाई यह हुई कि हमारी पुलिस का कहना यह था कि घटना उनकी तरफ हुई और दिल्ली की पुलिस का कहना था कि यह घटना उनके क्षेत्र में हुई। इस विषय में काफी खतोकिताबत हुई, बहुत से बिचारों का आदान प्रदान हुआ। अन्त में प्रदेशीय सरकार ने यह निर्णय किया कि दिल्ली की सरकार डी० एम० या ए० डी० एम० को इस केस में पूरी-पूरी जांच करने के लिये मुकर्रर करे जो जांच के बाद अपनी राय दे। उसके बाद सरकार उसमें उचित कार्यवाही करेगी। दिल्ली की सरकार ने ए० डी० एम० को मुकर्रर कर दिया इसकी जांच के लिये। रिपोर्ट आने पर उस संबंध में उचित कार्यवाही की जायगी। इसलिये उनका यह खयाल कि इस बीच कोई कार्यवाही नहीं की गयी, ठीक नहीं है।

मेरे मित्र माननीय अमर नाथ जी ने अपने भाषण में कहा कि यह पुलिस स्टेट बनती जा रही है, पुलिस फोर्स बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस नाकामयाब रही है। जो बजट मेरे

[श्री नवल किशोर]

सामने है उसको देखते हुए इस समय में मैं पुलिस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं तो केवल दो तीन बातें कहना चाहता हूं। और वह यह कि हमारा जो सप्लीमेन्टरी बजट है, उसके अन्दर उन्हें कहां से यह आभास हुआ कि यह सरकार पुलिस फोर्स को बढ़ाने वाली है।

श्री अमरनाथ---मैंने पी० ए० सी० के बारे में कहा था।

श्री नवलकिशोर---मालूम होता है कि माननीय सदस्य ने बजट में नहीं देखा बल्कि एक जनरल इनफार्मेशन की बिना पर ऐसा कह दिया। उस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि सभी इस बात को मानते हैं कि हमारा प्रदेश इतना बड़ा है, और जितनी इसकी जनसंख्या है उसको देखते हुये हमारे पास जो पुलिस फोर्स है वह काफी कम है। पुलिस फोर्स बढ़ाने के लिये पुलिस कमीशन ने इस संबंध में अपनी बहुत सी सिफारिशें की हैं जिनके ऊपर सरकार विचार कर रही है। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, उनकी भी यह सिफारिश है कि हमारी पुलिस की जो संख्या है उसके अन्दर बढ़ोत्तरी होनी चाहिये। अब कितनी आवश्यकता होगी, इसके ऊपर सरकार विचार करेगी कि हमारे बजट में कितने धन की गुंजाइश है लेकिन जहां तक ५० प्रतिशत पुलिस बढ़ाने की बात है, उसका आधार क्या है मेरी समझ में नहीं आया।

एक बात और आपने फरमायी कि पुलिस का खर्चा बराबर बढ़ता जा रहा है। इसमें मोटी-मोटी दो रकमें हैं। हमारी एक पी०ए० सी० की बटालियन काश्मीर के अन्दर है। अब तक उनकी वर्दी के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया सहायता देती थी, लेकिन अब उन्होंने तय किया है कि सब वर्दी आदि का इंतजाम स्टेट गवर्नमेंट को करना होगा, यद्यपि बाद में गवर्नमेंट आफ इंडिया उस रुपये को यू०पी० सरकार को दे देगी। तो २,१५,००० रु० की यह रकम है। इसके अलावा मणिपुर में जो हमारी पी०ए०सी० की बटालियन है उसके लिये २,४४,८०० रु० की रकम रखी गई है। १०,८०० रु० फारेंसिक साइंस लेबोरेटरी बिल्डिंग में गैस प्लांट इंस्टाल करने तथा उसे बनाने के लिये रखा गया है। पहले तो स्टेट गवर्नमेंट को ही सारा रुपया खर्च करना होगा, लेकिन बाद में गवर्नमेंट आफ इंडिया अधिकांश रुपये दे देगी। इस तरह से बहुत थोड़ी धनराशि ही स्टेट एक्सचेकर से खर्च होगी। इस तरह से मुझे आशा है कि श्री अमरनाथ जी अपने इस खयाल को बदलने की कोशिश करेंगे कि पुलिस फोर्स पर बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है।

जहां तक १०,८०० रुपये के खर्च की बात है। प्रादेशिक सरकार अपनी यह नीति घोषित कर चुकी है कि हर जगह मैट्रिक बांटों का प्रयोग किया जाय। जिन नगरों में मैट्रिक बांटों का प्रयोग नहीं हो रहा है, उसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि जो सरकारी नीति का उल्लंघन करते हों, उनको सही रास्ते पर लाने के लिये थोड़ा पुलिस फोर्स भी हो। इसी के लिये १०,८०० रुपये की रकम रखी गयी है।

इसके अतिरिक्त १०० रुपये का एक टोकेन ग्रांट एक आइटम में आपके सामने पेश किया गया है, जिसकी केवल इतनी मंशा है कि विज्ञान भवन के अन्दर जो कमी रह गयी है गैस प्लांट आदि की उसकी पूर्ति हो जाय। खर्चा बचत से पूरा किया जायगा। यह कहना कि पुलिस फोर्स बढ़ायी जा रही है या राज्य एक पुलिस स्टेट बनता जा रहा है, यह तो आप सब देख सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है।

हमारे प्रदेश की पी० ए० सी० केवल अपने प्रदेश की ही सेवा नहीं करती बल्कि देश के अन्य प्रदेशों में भी यह सेवा कार्य करती है। इसने सारे देश में अपनी एक प्रतिष्ठा कायम कर रखी है। आमतौर से सब की यही राय है कि हमारी पी० ए० सी० बहुत एफिशिएंट और कम्पीटेंट है। इसके अलावा उन्होंने एक वाक्य में यह भी कह दिया कि कृषि के संबंध में बड़ा स्टाफ बढ़ाया जा रहा है और इस के अलावा अगर कुछ स्वतंत्र विकास योजनायें होतीं तो बड़ी खुशी होती। अगर उन्होंने साहित्य को पढ़ा होता तो उसमें सिवा योजनाओं के

कोई और बात है ही नहीं । मैं आप की आज्ञा से उनकी सूचना के लिये बता दूं कि अनुदान संख्या २३ में जो सबसे बड़ी योजना इलाहाबाद जिल में अमरूद की फसल की उपज बढ़ाने तथा उसकी कृषि के तरीकों के अध्ययन की अग्रगामी योजना है, केवल इसी के अन्तर्गत ३०,७०० रुपये की धनराशि है । इसके अलावा गन्ने में जो कीड़े लगते हैं उनके नाश के लिये जो योजना चल रही है उसको आगे भी चलाने की बात है, उसके अन्तर्गत भी थोड़ी सी धनराशि इसमें है ।

इस के अलावा हमारे यहां पहले कपास बहुत ज्यादा होती थी, उसमें अब बहुत कमी हो गयी है । उसकी पैदावार अब किस तरह से बढ़े और क्या विभिन्न वैज्ञानिक तरीके अख्तियार किये जायं उसके लिये आबोहवा, सिंचाई और साधनों की आवश्यकता है, उसके लिये कई योजनायें हैं । इस के अलावा गवर्नमेंट का जो कृषि विद्यालय है जिस में पहले विद्यार्थियों को ३० रुपया छात्रवृत्तियां मिलती थीं और जो इधर कुछ दिनों से बन्द हो गयी थीं उनको फिर से जीवित करने की बात है । मैं बताना चाहता हूं कि जितनी योजनायें बढ़ेंगी उनके अन्तर्गत स्टाफ का बढ़ना भी जरूरी है । जो साहित्य है उस को देखने से यह धारणा बनाना गलत है कि इसमें बड़ा भारी स्टाफ बढ़ाया जा रहा है, वह जानते हैं कि स्टाफ के बारे में मैं भी कुछ विचार रखता हूं और काफी छानबीन के बाद मेरी स्वयं की यह धारणा है कि स्टाफ कोई ज्यादा बढ़ाया नहीं जा रहा है । इन शब्दों के साथ मैं आप की आज्ञा से अपने साथियों से प्रार्थना करूंगा कि उनको जो बड़ी शंकायें हैं, हो सकता है कि उन की कोई बात सही भी हो, लेकिन आम तौर से उनकी धारणायें गलत हैं और वह कुछ सूचना की कमी के आधार पर हैं ।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)–उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान पेश हैं और जो पैसा सरकार हम से मांग रही है वह पैसा देने में हमें कोई इंकार नहीं है, लेकिन जो रुपया हम देते हैं उसका उचित खर्च नहीं किया जाता, इसका हमें अफसोस है । हमें अफसोस खर्च न होने का है । हम देखते हैं कि १ अरब ५४ करोड़ हमने अप्रैल में दिया और २ करोड़ ४३ लाख की यह मांग है । ठीक है खर्च करो, लेकिन हमें यह भी तो बता दो कि आप ने इस का उचित उपयोग कहां किया है और कैसे कर रहे हैं । हम गांव के रहने वाले तो केवल दो चीजें ही देखते हैं । एक तो खेती और दूसरे पुलिस । जब हम देखते हैं कि खेती में आप कोई तरक्की कर रहे हैं, तो कुछ नजर नहीं आता । सिंचाई का हाल यह है कि हमारे जिला बदायूं में ट्यूबवेल है, वह वहां पर काफी बने हैं । अक्सर कुयें ऐसे हैं कि जिस से आज तक ३ तहसीलों में सिंचाई ही नहीं हुई । कुछ कुयें ऐसे हैं कि जहां से मोटर भी उठा लिया गया है और सिंचाई का जवाब यहां एकड़ों में दे दिया जाता है ।

तकावी देने का हाल यह है कि एक दरख्वास्त जुलाई, सन् १९५९ में दी गई थी और आज उसका हुक्म आया है कि अपना रुपया ले जाओ । कहां जुलाई, सन् ५९ और यह अगस्त सन् १९६१, इस तरह से तकावी दी जाती है । पिछले साल बदायूं जिले में जितनी सिंचाई हुई थी उस से इस साल गवर्नमेंट की सिंचाई की आय कम हुई है । इस का कारण यह है कि सिंचाई के कुओं के पानी की क्षमता गिर रही है और उन कुओं से पानी ले जाने की गूलें नहीं हैं जिस की वजह से किसान मजबूर हो जाता है और पानी को ठीक से खेत तक ले जाकर इस्तेमाल नहीं कर पाता और परेशान हो जाता है क्योंकि वह पानी बीच में ही कट जाता है । इस साल तो अधिक बरसात की वजह से अहला आया, उस का तो हमें शिकवा नहीं है, वह तो कुदरत का काम है, पानी रुक नहीं सकता, सरकार उस में क्या कर सकती है, इसलिये मैं इस का शिकवा नहीं करता ।

खाने की और खेती की यह हालत है । फिर भी खाने के बगैर भूखे रहा जा सकता है, लेकिन हमारे इस सूबे में पुलिस का इंतजाम तो कतई ठीक नहीं है, न रियाया का जानोमाल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री टीकाराम पुजारी]

महफूज है। पुलिस तो आज डकैतों और चोरों की सहायक है, वह उन की मुहाफिज नहीं है। मैं क्यों ऐसा कहता हूं। एक थाना उसत है जिसमें सन् १९५९–६० एक साल के अन्दर २४ डकैतियां पड़ीं। मैंने पुलिस कप्तान को और कलेक्टर को तफसीलवार लिखा कि फलां तारीख को फलां गांव में और फलां तारीख को फलां गांव में डकैती पड़ी। इंस्पेक्टर साहब ने रिपोर्ट लिखी और मुझे बुलाया। मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी रिपोर्ट बिलकुल सही नहीं होती है। मैंने कहा मुझे ले चलो, मैं सही साबित करूंगा, उसका दावा तो मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि देखा जायगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं फिर गांवों में गया और मैंने तहकीकात की। वह रिपोर्ट मेरी फाइल में पड़ी है। थाना विजयडांडा में गढ़िया गांव है वहां डकैती पड़ी। तीन औरतें जलायी गयीं, १० फायर हुये, लेकिन तीन दिन तक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, बाद में डकैती नही लिखी गयी उसको चोरी लिखा गया। कटरा के भग्गूलाल ब्राह्मण के यहां डकैती हुई, १ आदमी मारा गया। थाने में उसे बलाकर लिखाया लगा कि चोरी हुई, लेकिन उसने मुझे बयान दिया है कि उस पर दबाव डालकर लिखाया गया है। उसका बयान मेरे पास है तहरीर। इसी तरह से १४ जगहों की मुझे इत्तला है जिसकी फाइल मेरे पास मौजूद हैं, मैं आप को पेश करूंगा।

हमारे यहां जिला पीलीभीत में थाना बिलसंडा है। वहां एक ठाकुर ने एक को चुरा लिया Kidnap कर लिया और दूसरे ठाकुर ने दूसरे को चुरा लिया। पी० ए० सी० पड़ी है। तीन महीने हो गये, लेकिन किसी का पता नहीं है। तो यह हालत है जानमाल की मुहाफिजत करने वालों की। थाना उसैत के अन्दर थाने के कम्पनी कम्पाउन्डर का घर है। उसके घर में चोर घुसे, उसकी औरत को लाठी से मारा, वह चिल्लाई। जब वह भागे, तो वह माल लेकर भागे पूरब की जानिब और सिपाही उनको तलाश करने गये पश्चिम की ओर। थानेदार ने उसके बाद लिखा क्योंकि औरत मर्द की लड़ाई हो रही थी और थाना बीस कदम की दूरी पर था जबकि उसका मकान थाने के अन्दर है थाने की दीवार के अन्दर है। लिखते हैं कि औरत मर्द के झगड़े का मामला था, इसलिये हमारा कोई सिपाही नहीं गया।

बदमाशों और डकैतों का इतना जोर है कि किसी बदमाश के मुकाबले में कोई आदमी गांव में गवाही दे नहीं सकता। कोई आज गांव में ५ सौ रुपये लेकर एक गांव से दूसरे गांव में जा नहीं सकता। थाना बदायूं में तालगांव के पास बुधवाई जाने वाली सड़क पर दिन दहाड़े लूट होती है। यह आपका इंतिजाम है।

थाना अलापुर में खिरिया रहल गांव में चारपाई टूटी पड़ी थी। मालूम हुआ कि रात में सिपाही आये थे, दो बदमाश साथ थे। दोनों बदमाश एक साथ चारपाई पर सो गये और चारपाई टूट गई। पूछा कि बदमाश सिपाही के साथ क्यों थे? पता लगा कि वे सिपाहियों के रखवाले थे, अगर वे अपने साथ न लाते तो पिटते नहीं। तो जब आपकी पुलिस खुद बदमाशों से अपनी रखवाली कराये तो वह जनता की क्या रखवाली करेगी। रुपया देने में हमें मलाल नहीं है, मलाल तो इस बात का है कि आप उस रुपये का कर क्या रहे हैं। आप करोड़ों रुपये लेते हैं, लेकिन आपकी पुलिस का यह इंतिजाम है। जिसकी वजह से हमें भरोसा नहीं रह गया है। हम चाहते हैं कि ऐसा इंतजाम हो कि गांव-गांव में हम पुलिस का इंतजाम करें। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस सरकार पर जानमाल की सुरक्षा के लिये भरोसा करना बेकार है। हमें तो अपने स्वयंसेवक गांव मे तैयार करने चाहिये और फिर सरकार से कह देना चाहिये कि हम तुमको टैक्स नहीं देंगे। जब हिफाजत ही नहीं करोगे तो पैसा क्यों दिया जाय। तो यह हालत पुलिस की है। इसी तरह से सिंचाई को लीजिये। जहां कुयें नहीं हैं वहां सिंचाई घटती जा रही है।

स्वास्थ्य की बात लीजिये। मेरे गांव के अस्पताल में कम्पाउन्डर ही हाकिम है। डाक्टर को रहन को जगह है, लेकिन वह आता ही नहीं है। डाक्टर को चाहिये फ्लश का

पाखाना पक्का मकान। गांव में क्या मिलेगा ? वहां तो कच्चे मकान हैं, वहां उसे कोई साहब नहीं कहेगा।

ब्लाक के बी० डी० ओ० की बात लीजिये। ६ महीने हो गये मेरा गांव ६ हजार की आबादी का गांव है, आज तक बी० डी० ओ० की सूरत नहीं देखी। ढाई सौ एकड़ कपास, पांच सौ एकड़ गन्ना गुलरिया गांव में है, लेकिन खेती वाले आये, लिख ले गये कपास, गन्ने वाले आये, लिख ले गये गन्ना। इंस्पेक्टरों के ढेर लगे हैं, नौकरों की भरमार है। तो ए० डी० ओ० बी० डी० ओ० जो हैं वह हाकिम की तरह रखे जाते हैं। यह किसान के घातक है। इन पर फजूलखर्ची होती हैं। मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और सुधार करें।

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—श्रीमन्, मैं उन माननीय सदस्यों को आपके द्वारा धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने वन विभाग के संबंध में इतनी दिलचस्पी ली और बहुत से दोषों की ओर ध्यान दिलाया। मैं यह समझता हूं कि जो छोटी सी मांग हमारी तरफ से वन विभाग के लिये सप्लीमेंटरी बजट में आई है वह बड़े उपयोगी कामों में व्यय होने वाली है। हमने पिछले बजट में ही जिन योजनाओं को स्वीकार कर लिया था, पैसे की कुछ कमी से, जितना हम करना चाहते थे वह नहीं कर पा रहे थे यह जो अतिरिक्त मांग की गई है इससे वे काम पूरे होंगे यानी हम लालकुयें के पास एक अच्छी नर्सरी लगायेंगे जिसमें अच्छे कीमती पौधे पैदा होंगे और जिनसे हम उन वनों को भरेंगे जिनमें अच्छे और कीमती दरख्त नहीं हैं और जमीन अनुपयोगी तथा कम मूल्य के दरख्तों से घिरी हुई है।

दूसरी योजना हमारी जड़ी बूटियों की है, जिसमें काफी क्षेत्र इस काम में लगाया जायेगा। तीसरी योजना कुछ सड़कों को बनाने की है और चौथी कुछ मकानों की। यह सभी योजनायें ऐसी हैं जिन पर आक्षेप नहीं किया जा सकता और जिन पर खर्च होने वाला एक एक पैसा उपयोगी है।

मुझे आश्चर्य है कि माननीय अवस्थी जी ने सड़कों क संबंध में आक्षेप किया कि वनों में सड़कें बनाई जा रही है और गांवों में जिला परिषदें सड़क बनाने में असमर्थ है, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलता। दोनों प्रश्न तो अलग-अलग हैं। वर्ना मैं सड़कों की उपयोगिता और आवश्यकता है या नहीं, इसको देखना होगा। वहां जीपों की ओर जीपों के पीछे लगी ट्राली की आवश्यकता है या नहीं जिसमें कांटेदार तार या बांडवायर आदि चीजें ल जा सकें इसको देखना होगा। इसको इस दृष्टि से देखा जाय तो जितनी सड़कें बनाई जा रही है उनमें ९१ मील तो अच्छी सड़कें होंगी, १२७ सड़कें ऐसी हैं जिनकी मरम्मत करनी है, जिनको चौड़ा करना है कुछ पुलियां हैं, पुल हैं, इन सब को मिलाकर देखा जाय तो ९ लाख रुपये की रकम ऐसी है। तो क्या कोई आदमी ऐसे ही फेंक देगा शुभ काम के लिये दी गयी रकम। वनों में यदि पहुंच न सकें वन सम्पत्ति को यदि देख न सकें तो कैसे उसकी उपज का लाभ हो सकता है ? वन तो ऐसे ही अनऐप्रोचेबिल होते हैं, अतः उसको सुगम बनाने की चेष्टा वन विभाग करता है। इसलिये ऐसे कामों में जो पैसा खर्च होता है उसके लिये किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

माननीय सुरथबहादुरशाह जी ने यह कहा कि आप चलिये मैं दिखाता हूं कि नवम्बर, दिसम्बर से पहले सड़कों का बनना शुरू नहीं होता वनों में। मैं भी बहुत देर में बोल रहा हूं, शुरू में नहीं बोला क्यों कि मैं प्रतीक्षा कर रहा था यदि माननीय सदस्यों को कुछ कहना हो, कुछ हिदायत देनी हो, कुछ दोष दिखलाने हों, वह जब सामने आ जायें तब बोलूं। पहले ही बोल देता तो कोई मतलब नहीं था। सड़कें तो बनेंगी तभी जब बरसात कम हो जाय .....

श्री सुरथबहादुरशाह—क्वेश्चन, क्वेश्चन। (वन मंत्री के बैठ जाने पर) अगर आप आज्ञा दें तो स्पष्टीकरण कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष--आप कृपया बैठें। पार्लियामेंटरी पद्धति में जब 'क्वेश्चन' कहते हैं तो आप यह जाहिर करना चाहते हैं कि जो बात कही जा रही है वह गलत है। इसके अतिरिक्त इस समय क्वेश्चन पूछने की इजाजत दी नहीं जाती। अतः आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अलगूराय शास्त्री--अक्तूबर के महीने तक पानी बरसता रहता है, बाढ़ की समस्या रहती है। पिछले साल यहीं अक्तूबर में भीषण बाढ़ आयी, यह श्रीमन् अब सब ज्ञात ही है। तो फिर नवम्बर से अगर सड़कों का बनाना शुरू हुआ इसको बहुत बिलम्ब नहीं माना जा सकता। हां अगर सड़कों के बनने में विलम्ब होता है और माननीय सदस्य बतायें उन कमियों को जिनसे विलम्ब हो रहा है तो उसको देखा जा सकता है ताकि जल्दी काम आरम्भ किया जा सके। प्रश्न यह है कि सड़कों के बनाने के काम में पसे का खर्च होना उसका सदुपयोग ही है, इसमें कोई संदेह नहीं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि किसान खेत जोत रहे हैं और वन विभाग वाले उनको परेशान करते हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि जमींदारी उन्मूलन के बाद जिन जंगलों का मर्जर हुआ और पहले ग्राम सभाओं को मिले फिर वन विभाग को मिले उसमें सीमा बन्दी के झगड़े चल रहे हैं यह अनिवार्य है, जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो सुविधायें सेटिलमेंट अफसर मुकर्रर करके दी जा सकती हैं वे दी जा रही हैं। वन विभाग को मिली हुई भूमि पर किसान कहते हैं उनकी जोत है, उसका पट्टा मिला हुआ है, वह पट्टा जायज है या नाजायज, बिना उसकी जांच पड़ताल किये कुछ कहा नहीं जा सकता। किसानों को जानबूझ कर असुविधा देने की दृष्टि से यह काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि सहूलियत से जो कुछ हो जाय इसकी ओर हमारी चेष्टा है।

माननीय शिवप्रसाद नागर जी ने कहा कि खीरी में ४०० रु० प्रति एकड़ प्लान्टेशन पर खर्च हुआ तथा किस अफसर ने ऐसा किया इसको देखा नहीं गया। १९५३ की बात उन्होंने कही। प्रश्न यह था कि कितना खर्च होता है? जिस हिसाब से खर्च हुआ वह बता दिया गया। जहां १०० रुपया प्रति एकड़ खर्च हुआ वहां उतना बताया गया, जहां ६५ रु० हुआ और जहां ४०० रु० खर्च हुआ उसी तरह से बता दिया गया। अब किन परिस्थितियों में यह कीमतें भिन्न रहीं यह अलग बात है। किसी कर्मचारी का इसमें हाथ हो सकता है, मैं नहीं जानता। उस रूप में बात आवे तो देखा जा सकता है। लेकिन प्रश्न तो यह था कि कितना व्यय हुआ? जो कुछ सही आंकड़े थे वे सदन के सामने रख दिये गये थे। मैं आपके द्वारा माननीय सदयों को विश्वास दिलाता हूं कि इस बात की पूरी सावधानी बरती जायगी कि एक पैसा भी फ़ज़ूल न खर्च हो। जिस गाढ़ी कमाई का उन्होंने जिक्र किया मैं उससे भी आगे जाता हूं--खाली किसान से ही पैसा नहीं आता वरन मामूली उपभोक्ताओं से भी आता है जो ४ पैसे की सुर्ती खरीदता है उसको भी टैक्स देना पड़ जाता है और वह भी टैक्स होता है। जिस प्रकार से सूरज केवल समुद्र, नदियों और तालाबों को ही नहीं सोखता बल्कि वह सोखता है दूब की की हरी-हरी पत्तियों को भी उसी तरह से टैक्स तो हर एक को देना पड़ता है। तो टैक्स के पैसे का पूरा उपयोग होना चाहिये, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं।

एक बात मेरे मित्र कांडपालजी ने कही। कुछ मेरे विचार समाचार-पत्रों में आये। जो रिजर्व्ड फारेस्ट्स हैं उनकी वन विभाग निगरानी करता है और कुछ हिस्सा रेवेन्यू विभाग से गवर्न होता है। इन दोनों विभागों की नीतियों में, वनों के नियन्त्रण और उनकी सुरक्षा के सबंध में कुछ भेद है। अब, किस तरीके से उनमें एक समता लायी जाय, इस तरफ विचार मेरा व्यक्तिगत रूप से गया है। उसमें कोई डिक्लेयर्ड पालिसी नहीं है कि योजना बनेगी और तानाशाही हुक्म के ढंग से वह चीज हल हो जायगी। मगर एक इरादा हुआ है और वह विचारों में आया है। गढ़वाल को देख कर तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि गालिबन उस इलाके पर पिछली गवर्नमेन्ट, यानी ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ने कब्जा किया और वहां के लोगों को फौज में भर्ती करती थी। वहां के लोगों को सुविधा देने के ख्याल से कुछ हिस्सा

ऐसा रखा गया था और वह सुविधायें आजतक देते हैं। अब हिमालय जो आज वह रहा है, गल रहा है, उसकी किर्च-किर्च नदियों में बही जा रही है और आज उस हिमालय के आसुओं से यह बाढ़ का पानी बह रहा है उसको कोई भी देखने वाला यह समझेगा कि इस हिमालय की हमें रक्षा करनी है ; हमने पढ़ा था—

"भरि भरि यमुना उमड़ि चली है इन नयनन रे नीर"

हम देखते हैं कि आज की नदियों की बाढ़ हिमालय के शाप से हो रही है। इसका कारण है कि हमने उसका सिर खाली कर दिया है, उसके देवदार और साल के वृक्षों को हमने काट दिया है। पाव भर जौ और गेहूं के लालच में हम हिमालय को गला रहे हैं। आज विचार करना होगा माननीय सदस्यों को और सरकार को कि किस तरह से हम गलते हुये हिमालय को बचायें। हम हिमालय को गलने नहीं देंगे। हिमालय कच्ची मिट्टी का पहाड़ है। वह अभी बच्चा है। उसका वही हाल होगा जो शिवालय का या विन्ध्याचल का हो गया है। पहले उसकी मिट्टी बह जायगी और फिर ग्रेनाइट राक उसमें से निकलेगी। अगर उसकी मिट्टी बही तो हमारी नदियां पट जायंगी, हमारे डैम्स डैम हो जायेंगे और हमारी सीमा की रक्षा करने वाला पहाड़ नहीं रह जायगा। इसलिये इस समस्या की ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाऊंगा।

माननीय केशव पांडेय जी न कुछ सड़कों का जिक्र किया। उनको सड़कें चाहियें और यहां सड़कें बनाने पर एतराज किया गया। योजना के अनुसार काम होता है। जो योजना हमने स्वीकार की है उसकी पूरी तालिका हमारे पास है। समय की कमी के कारण मैं उसको यहां पढ़ नहीं सकता। जो छीजन हमारे पास है, उससे जो पैसा हमको मिलेगा वह हम वन की तरफ लगा रहे हैं। उसमें से यदि बचा तो पांडेय जी की सड़कों की छान बीन करके उधर भी ध्यान दिया जायगा।

मैं फिर माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वन के संबंध में काफी दिलचस्पी दिखलायी। कटौती के प्रस्ताव तो सिर्फ दो सज्जनों ने दिये, माननीय अवस्थी जी ने और माननीय विष्टजी ने। भाषण इस विषय पर हुए ५, ६ माननीय सदस्यों के। इससे वन की ओर माननीय सदस्यों की बढ़ती हुई अभिरुचि का परिचय मिलता है। हमारे वन की समस्या तो इतनी विशाल है जिसको हम कहते हैं कि हिमालय समस्या है। इसी के ऊपर हमारा कल्चर, हमारा भूमि संरक्षण, हमारा पशु धन, हमारा उत्पादन, हमारे उद्योग-धंधे, सभी कुछ इसी के ऊपर निर्भर हैं।

एक बात स्टार पेपर मिल के बारे में कही गई है। यह बहुत पुरानी मिल है जो घास से कागज बनाती थी। जो चीड़ की लकड़ी इस फैक्टरी को दी गयी है वह कागज बनाने के लिये दी गयी है और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह फैक्टरी कागज बनाने में लगी हुई है। आखिरश चार, साढ़े चार करोड़ रुपया जो आदमी उद्योग में लगा देगा उसको कच्चे माल के बारे में निश्चित होना चाहिये, क्योंकि घास से तो उतना कागज नहीं बन सकता है और न ऊंख की खोइया से ही बन सकता है। उनको अच्छी और बढ़िया लकड़ी मिलनी चाहिये जिससे फाइबर अच्छा बन सके। पेंचदार चीड़ कोई उपयोगी नहीं मालूम होती थी और फजूल की लकड़ी मालूम होती थी, लेकिन हमारी जो अनुसंधानशाला है देहरादून में, उससे मालूम हुआ कि उसका सुन्दर उपयोग हो सकता है। स्टार पेपर मिल वाले उसका उपयोग कर रहे हैं और उनके यहां मशीनों द्वारा निकला हुआ पेपर सामने आने लगा है। जब उनका प्रोडक्शन ज्यादा चलता तो उसके लिये कच्चा माल होना चाहिये था। उनकी चिंता है और हमारी चिन्ता सरकार के रूप में और माननीय सदस्यों की चिंता दोनों की एक है कि इस उद्योग धंधे से सरकार को पैसा मिले। सरकारी खजाने का एक-एक पैसा जनता का पैसा होता है और वह खजाना भरना चाहिये। उसको हड़प कर किसी को पनपने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह बूंद-बूंद कर भरा जाता है। तो स्टार पेपर मिल ऐसा फायदा न उठा ले जो सरकारी खजाने के लिये बाधक हो, इसके लिये हम सतर्क हैं। हम

[श्री अलगूराय शास्त्री]

जानते हैं कि एक घन फुट लकड़ी से १० रुपये का कागज बनाया जाता है उसमें ४ रुपया एक्साइज के रूप में केन्द्रीय सरकार को चला जाता है। लेकिन हमको एक घन फुट का दाम केवल दो आने मिलते हैं। यह पैसा बढ़ना चाहिये, या तो एक्साइज कम हो या फिर मिल वाले दें।

श्री उपाध्यक्ष--समय समाप्त।

श्री अलगूराय शास्त्री--इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

श्री सुरथबहादुरशाह--मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। जब आपने फरमाया कि संसदीय परम्परा के अनुसार "क्वैश्चन, क्वैश्चन" का मतलब यह है कि वह बात नोट हो गई और गलत कही जा रही है, लेकिन जब माननीय सदस्य हाउस के फ्लौर को उछूपाई कर ले और जब वह हमें मौका देता है तो क्या फिर उस दशा में उसे अधिकार नहीं होता कि वह उसको क्लीयर करे ?

श्री उपाध्यक्ष--मैंने यह बतलाया कि अगर आप बोलना शुरू कर दें और वह बैठकर सुनना शुरू कर दें तो हमें कोई एतराज नहीं है और भाषण के अन्त में आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लेकिन जब आप "क्वैश्चन, क्वैश्चन" कहते हैं तो आप यह जाहिर करना चाहते हैं कि जो बात वह कह रहे हैं वह सत्य पर आधारित नहीं है।

*श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बजट के अनुदान सदन में उपस्थित हुये हैं, मैं उनका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जिस समय वन मंत्री जी ने १९६१ के बजट के समय अपना स्पष्टीकरण दिया था उस समय मैंने कहा था कि लीसा कम्पनी को ठीक दाम पर लीसा न बेचने के कारण एक करोड़ ४० लाख रुपये का लौस होता है। उसका कोई स्पष्टीकरण न उस समय दिया गया और न इस समय दिया गया। खाली यह कहा कि स्टार मिल नें ४ करोड़ रुपये की लागत की मशीन लगा रखी है इस मिल को एक आने मन पर लकड़ी दी जाती है। मैं नहीं समझता कि यह कहां तक उचित है ? सरकार की तरफ से हमेशा किसान मजदूरों के पैसे का दुरुपयोग हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में यह जो एकोस्टिक्स सिस्टम के खम्भे खड़े हुये हैं। इसके संबंध में मैंने यह प्रश्न किया था कि यह ठीक नहीं हुआ, इसका क्या कारण है ? यहां सदन में उसका जबाब दे दिया गया कि वह कम्पनी फेल हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से एक लाख जनता के रुपये का दुरुपयोग किया गया है। जिस समय यह सरकार आई उस समय इसने कहा कि हम इकोनामी करेंगे और इकानोमी करने के बाद हम उन गरीबों को राहत देंगे। लेकिन जब यह सरकार आयी तो एक योजना अपने साथ लायी। उन किसानों के ऊपर आबपाशी का कर १९५४ के बराबर बढ़ा दिया और मैंने बजट में कहा था.....

श्री उपाध्यक्ष--आम वाद-विवाद न कीजिये। अनुदानों पर बोलिये।

श्री मलिखानसिंह--जनरल डिबेट इस समय हो रहा है। जो विभाग हैं, उन विभागों की तरफ से क्या क्या बढ़ोत्तरी हुई है, क्या नहीं हुई है, इस सब के ऊपर स्पष्टीकरण किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--जिन विभागों को जो विषय इसमें दिये गये है, उन्हीं के ऊपर वाद-विवाद कीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मलिखानसिंह—इस सरकार की तरफ से जहां भी हमने देखा किसानों की उपेक्षा की जाती है। जिन किसानों की सरकार ने आबपाशी बढ़ायी उनको समय पर पानी नहीं दिया जाता। विभाग का केवल एक काम है कि उसको उनसे टैक्स लेना है। मैंने पहले भी सिंचाई मैनुअल को बदलने के लिये कहा था आज तक उसको नहीं बदला गया। एक पानी देकर किसान से पूरा टैक्स ले रहे है। विभागों का केवल एक काम रह गया है, कि कैसे रेवेन्यु वसूल की जाय, या बड़े-बड़े शहरों को सजाने के लिये देहात से कैसे पैसा वसूल किया जाय।

जहां तक जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, आफिसर्स को खाली सीनियारिटी के आधार पर प्रोमोशन नहीं दिये जाते है। मैंने हमेशा इस सदन में कहा कि जो भी आफिसर्स खराब काम करते है, उनको सजा मिलनी चाहिये। इटावा जिले में १८ डकैतियां एक महीने में पड़ीं। मुझे मालूम हुआ कि वहां के एस० पी० को बरेली ट्रांस्फर का दिया गया। यह पनिशमेंट दिया गया। इस तरह से उन अफसरों को सरकार प्रोटेक्शन देती हैं और उनके प्रोटेक्शन के लिये हम से रुपया मांगती है। जो चीज अफसर ने पेश कर दिया वह कैबिनेट में बिना विवाद के स्वीकृति हो जाती है। उस वक्त यह भी नहीं देखा जाता कि इसमें क्या पास करना है।

माननीय सदस्य ने अल्मोड़ा के बारे मे जन संघ के ऊपर आक्षेप लगाया कि जन संघ के उपनेता ने कहा था कि बांध बंधाइये। यह बात गलत है। उन्होंने इस तरह की बात नहीं कही। उन्होंने यह कहा कि जहां पर आवश्यकता हों वहां पर वह पैसा लगाया जाय। पब्लिक मनी का दुरुपयोग न हो, लेकिन जो भी उन्होंने सड़कों के नाम लिये, वह १९५६ के प्लान की हैं। जो उन्होंने अल्मोड़ा से जाने का रास्ता बताया, वह १९५८ में बन चुका था, जिसके लिये माननीय सदस्य ने कहा कि यह तो अल्मोड़ा के संबंध में काम हो रहा है। हमारा कहना यह है कि जो भी बजट बना है उसको वहां की आवश्यकता के आधार पर युटिलाइज किया जाय। कभी भी यह मंशा नहीं है कि हम व्यक्तिगत आक्षेप लगाकर अपनी बात सदन में रखें। हम को आवश्यकता के अनुसार, चाहे वह माननीय मुख्य मंत्री की कास्टीटुएंसी हो, या किसी अन्य सदस्य की, वहां आवश्यकता के आधार पर पैसे का उपयोग करना चाहिये।

मैंने इससे पहले भी कहा था कि मैनपुरी जिले में ड्रेनेज का सवाल जो है उसको सरकार अभी तक हल नहीं कर पायी है। पानी निकालने की जो इतनी बड़ी समस्या है उसको यह सरकार आज तक हल नहीं कर पायी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग बड़े-बड़े शहरों में सड़कें बनाता है। मैनपुरी में, पांच साल का मैं जानता हूं, जितना पैसा मेंटिनेंस में जाता था उसी के आधार पर सड़कें बनी हैं, लेकिन एक भी सड़क सरकार ने योजना में नहीं ली। एक सड़क भी कोई योजनाबद्ध नहीं बनी। यह कम से कम पांच साल की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर हमारे जिले के एक उपमंत्री भी मौजूद हैं, लेकिन इस सरकार की तरफ से किसी भी नयी सड़क का निर्माण मैनपुरी जिले में नहीं किया गया। मैंने सार्वजनिक निर्माण मंत्री गिरधारीलाल जी से भी जब वह पहले इसके मंत्री थे तब उनसे भी कहा था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आज हमारे यहां कुरावली से घिरार सिरसागंज सड़क और मैनपुरी से कुरावली यह अनप्लान्ड सड़कें बनी हैं और मैनपुरी से जयोंती होते हुये ओंछा तक की सड़क बनने को पड़ी है। मैनपुरी से लेकर ओंछा तक का एरिया बड़ा ही बैकवर्ड एरिया है। इस बैकवर्ड एरिया में सन् ४७–४८ में एक सड़क का प्लान किया गया था, लेकिन वह क्षेत्र तो हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता रहा है और वह सड़क आज तक नहीं बनी।

तो कहां आवश्यकता है कहां नहीं है, इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिये। किसी व्यक्ति विशेष या कौन मंत्री अधिक प्रभावी है इसका ध्यान रखकर सड़कों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिये। इसके लिये शायद उन्होंने कुछ कहा होगा और उसी के आधार पर माननीय गोविन्दसिंह विष्ट ने कुछ इशारा किया होगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट पेश हुआ है उसके लिये और भी माननीय सदस्य कह चुके हैं कि यह चार महीने बाद आना चाहिये था।

[श्री मलिखानसिंह]
लेकिन इसके इतनी जल्दी आने का मतलब कुछ है और जैसा कि बिहार और उड़ीसा में कहा जाता है कि हम वैज्ञानिक चुनाव लड़ेंगे तो उसी तरह के किसी वैज्ञानिक चुनाव के लड़ने के लिये यह बजट यहां पेश किया गया है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मित्र श्री मलिखान सिंह मैनपुरी ने अपने आखिरी भाषण में यह फरमाया.....

श्री उपाध्यक्ष—यह आखिरी भाषण क्यों कह रहे हैं आप ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरा मतलब उनके भाषण के आखिरी जुज से था। उन्होंने अपने आज के भाषण के आखिरी हिस्से में यह फरमाया कि यह सप्लीमेंट्री डिमांड आगामी एलेक्शन को सामने रखकर के लायी गई है, लेकिन शायद हमारे मित्र भूल गए कि गुजिश्ता चार सालों में भी इस मौके पर पहली सप्लीमेंट्री ग्रान्ट हमेशा आयी है और जरुरत पड़ने पर और भी आयगी। ऐसी चीजें हुआ करती हैं। इसलिये अगर यह पहले ही पहल चार पांच सालों के अन्दर सप्लीमेंट्री डिमांड रखी गई होती, तब तो ऐसा कहने में कुछ तत्त्व होता, लेकिन हमारे मित्र इस बात को भूल गये।

तमाम मित्रों ने इस सप्लीमेंट्री ग्रान्ट के बारे में अपने-अपने विचार व्यक्त किये। मुझे बड़ी खुशी है कि हमेशा जब कभी कोई बजट बगैरह का मौका होता है तो लेखपालों के खिलाफ बड़ी शिकायतें की जाती थीं, लेकिन आज हमारे भाई रघुरनतेजबहादुर सिंह जी ने बड़े आंसू बहाये लेखपालों के लिये और कहा कि इनका तबादला हो जाया करता है। शायद हमारे मित्र ने जो पटवारी रूल्स में हैं उसको पढ़ने की कृपा नहीं की। उसमें तबादले का प्रविजन है, ऐडमिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड पर तबादला किया जाता है और जब कभी कोई शिकायत होती है और तहकीकात के बाद शिकायत में कुछ तथ्य पाया जाता है तो उसका भी तबादला किया जाता है। वह भी जनहित में किया जाता है। जिस हलके के काश्तकार पटवारी से खुश नहीं होते जिनको वह तंग करता है वह उसकी शिकायत करते हैं और तहकीकात के बाद शिकायत में कुछ असलियत पायी जाती है तो उसका तबादला कर दिया जाता है। शायद हमारे मित्र के कहने का मंशा यह है कि चाहे जितनी शिकायत उसकी हो, लेकिन उसका तबादला न हो। (व्यवधान) आपने जो नोटिस दिया था कटमोशन का उसमें भी यही लिखा था और यह हमारे ऊपर इम्प्रेशन है कि आपका यह विचार है कि उसका तबादला न हो और आपने यह भी कहा कि उनसे बहुत काम लिया जाता है और उनकी भत्ता नहीं दिया जाता है। आपके दिल में उनके लिये इतनी जगह हुई यह जानकर बहुत खुशी है। मैं समझता हूं हमारे लेखपाल ठीक काम करते हैं इस बात को माना नहीं जाता था। जो खड़ा होता था उधर से उसका भाषण लेखपाल की बुराई से अन्त होता था। आज हमारे लेखपाल के लिये उनके दिल में जगह हो गई और उनकी निगाह में उसका काम कुछ अच्छा हो गया तो यह हमारे लिये खुशी की बात है। चाहे वे बातें एलेक्शन की वजह से ही हों, लेकिन कम से कम चन्द अलफाज उनकी तारीफ में कहे तो अच्छी बात है।

हमारे एक मित्र ने यह भी कहा कि कंसोलिडेशन के सिलसिले में काश्तकार से कास्ट नहीं लेनी चाहिये। मैं समझता हूं इस बात को उन्नति के ख्याल से ही कहा गया होगा चाहे इसके अन्दर एलेक्शन का प्रोपेगेन्डा छिपा हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी कास्ट पड़ती है उसका केवल ५० फीसदी हम काश्तकार से लेते हैं और बाकी सरकार देती है। ११ रुपये फी एकड़ खर्चा पड़ता है जिसका आधा यानी ५।। रुपया किसान देता है और ५।। रुपये सरकार अदा करती है। सरकार का यह प्रयास है और हम एक विधेयक लाने वाले हैं जिसके मुताबिक कंसोलिडेशन की कास्ट कम करना चाहते हैं। यह हमेशा से हमारा प्रयास है चाहे आप दाद दें या न दें। मैं समझता हूं बलदेव सिंह जी कभी इस तरह के प्रयास की दाद नहीं गे .....

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—अच्छे कामों की दाद जरूर दी जायगी। इसकी भी हम दाद देंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी पंजाब में कंसोलिडेशन का काम हो रहा है। हमने कुछ अफसरों को वहां पर भेजा था कि वे देखें कि वहां पर किस ढंग से और किस तरीके से काम हो रहा है। अगर कोई तरीका ऐसा निकल आवे जिससे कि हमारी कास्ट में कमी हो जाय तो उसको देखें। वहां से आकर हमारे अफसरों ने सूचना दी है कि उसमें कमी हो सकती है। अब हम उसके मुताबिक काम करना चाहते हैं और उस पर अमल करना चाहते हैं, लेकिन वह तभी हो सकता है जब कि सदन में उस का विधेयक पारित किया जाय। हम यहां लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी उस पर अमलदरामद हो सके।

श्री मोतीलाल अवस्थी—आप जब वापस आयेंगे तभी तो लायेंगे नहीं तो कैसे लायेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम बनाकर जायेंगे और कम से कम आपको तो बनाकर ही छोड़ेंगे। तो ऐसी मांग करना कि कास्ट न ली जाय, यह प्रोपेगेंडा के लिहाज से भले ही अच्छी बात हो, लेकिन जहां तक असलियत का ताल्लुक है और माकूलियत का सम्बन्ध है ऐसी मांग कभी भी माकूल नहीं कही जा सकती। जनता ने भी इस तरह की मांग को हमारे सामने नहीं रखा है। उसने यह भले ही कहा हो कि आजकल इतनी मुसीबत आ गई है कि वसूलयाबी न की जाय और मुल्तवी कर दी जाय। कभी किसी ने यह नहीं कहा कि कंसोलिडेशन की कास्ट को माफ कर दिया जाय।

इसके अलावा हमारे मित्र गोविन्द सिंह विष्ट जी ने कहा कि उनको यह शिकायत है कि रानीखेत में विकास का काम क्यों होता है और जिलों में क्यों नहीं होता। अब उनके इतने संकुचित विचार हो गये हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी तो वह कहते थे पहाड़ों पर विकास के काम नहीं होते। रानीखेत में विकास के काम होने लगे तो कहते हैं कि वहां क्यों होने लगे। हम तो समझते हैं कि सारा सूबा एक थाली है। अगर घी कहीं भी जाय तो वह एक थाली के अन्दर ही रहेगा। हम तो यह समझते हैं कि जितने ५२ जिले हैं वे सब हमारे और आपके हैं। यदि किसी हिस्से में कोई विकास का काम हो जाय तो इसमें आपको खुशी होनी चाहिये न कि दिल के अन्दर द्वेष की भावना पैदा की जाय। द्वेष की भावना उचित नहीं होती है। विष्ट जी इसी द्वेष की भावना की वजह से इतने दुबले पड़ गये हैं कि उनके शरीर पर कभी मास चढ़ नहीं सकता क्योंकि वह उसी आग में जला करते हैं। अगर मुख्य मन्त्री जी ने यह मुनासिब समझा और वहां की जनता की ख्वाहिश के मुताबिक यह उचित समझा कि वहां विकास के काम होने चाहिये और उन्होंने यहां कुछ करने को चेष्टा की तो कोई पाप नहीं किया। अगर गोविन्द सिंह जी अपने हल्के में जनता की सेवा करते हैं तो इसी उद्देश्य से कि एलेक्शन में उनको कामयाबी हो। मैंने अपनी कन्स्टीट्यूयेन्सी में बड़ी सेवा की है, आप भी चेष्टा करते हैं और हर एक सेवा करने का प्रयत्न करता है अपने क्षेत्र में, जो न कर सके उसे भाग कर अपने घर में बैठना चाहिये। (व्यवधान) चकबन्दी एक ऐसी योजना है जिसे किसानों ने बहुत पसन्द किया है। आप उसे भले ही चमका बन्दी समझते रहें, लेकिन किसान नहीं समझता। (व्यवधान) में ईल्ड करने वाला आदमी नहीं हूं। हमारे प्रदेश के जिन जिलों में चकबन्दी हुई है, भले ही वह पश्चिम में हो अथवा पूर्व में, वहां के किसान जब हम से मिलते हैं तो कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ है। वे बड़े खुश हैं। वे अब मकान बना सकते हैं, कुंवा बना सकते हैं . . .

एक सदस्य—सदर तहसील, गोरखपुर के किसान क्या कहते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह शिकायत नहीं करते। उनको कुछ चन्द लोग भड़का रहे हैं, उन्हीं को शिकायत है। गांव में एक-दो फीसदी लोग तो असंतुष्ट रहते ही हैं, लेकिन अगर ५० फीसदी भी असंतुष्ट हों तो देखा जा सकता है। मैंने यह भी सुना है कि दो आना

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

ले कर दरख्वास्त इसलिये लिखी जा रही हैं कि वहां कि तुम्हारा चक अच्छा करा देंगे और हमारे पास बहुत सी दरख्वास्तें भेजी गयी हैं। शायद कुछ लोगों ने सवाल भी ड्राफ्ट कर रखा हो कि इतनी दरख्वास्तें इस सम्बन्ध में आयीं तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की। मैंने भी जवाब ड्राफ्ट कर रखा है। तो जहां तक चकबन्दी का सम्बन्ध है वह किसानों के हित की चीज है। जो शिकायतें पहले हुआ करती थीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वे अब बिल्कुल नहीं हैं। वैसे यह स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ शिकायत तो होगी ही, लेकिन बहुत हद तक कमी है। शुरू में जब अफसरान ने चकबन्दी का काम शुरू किया था तो वे अनभिज्ञ थे, पहले कुछ गड़बड़ी हुई होगी, लेकिन अब वे रवां हो गये हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण इसके लिये दूं। पहले नाई हजारों की हजामत करते काटता है, गड़बड़ करता है, लेकिन बाद में रवां हो जाने पर ऐसी हजामत बनाता है कि आप सो जायं।

श्री शिवप्रसाद नागर—'कटे किसान और सीखे नाई' क्या आप इस सिद्धांत को मानते हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तो यह होता ही है। पहले पेश किया होगा तो ऐसा ही किया होगा। शुरू शुरू में असेम्बली में आ कर न मालूम कितनी गलतियां की होंगी, लेकिन अब धीरे-धीरे रवां हो गये, बोलना आ गया और संसदीय शब्दों को इस्तेमाल कर के अपनी हर बात कहना सीख गये। तो चकबन्दी का काम ठीक ढंग से चल रहा है। (व्यवधान) चकबन्दी व्यय के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं। उनसे कास्ट जरूर ली जायगी, चूंकि हम उन्हीं के हित में यह काम कर रहे हैं इसलिये। हां, अगर हो सका तो हम उसे घटाने की कोशिश करेंगे। जितना कम हो सके यह खर्च उतना हम करने को तैयार हैं।

***श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन अनुपूरक अनुदानों का विरोध इसलिये करता हूं कि नये मंत्रिमण्डल के बनने के बाद, गुप्ता जी के शासन काल में, एक बजट प्रस्तुत हुआ और उसके ४ महीने बाद इस सदन में लगभग २ करोड़ ४४ लाख रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तुत हो गया। ४ महीने बाद नयी परिस्थितियां पैदा नहीं हो गयीं। इस सरकार की अयोग्यता का यह सूचक है कि यह सरकार अपना साल भर का बजट ठीक प्रकार से जनता के सामने न रख सके।

उपाध्यक्ष महोदय, एक साधारण व्यक्ति भी अपना एक बजट बनाता है और सरकार भी अपना बजट बनाती है। दोनों के बजट में फर्क इतना होता है कि वह व्यक्ति अपना बजट जो बनाता है वह अपनी आमदनी के हिसाब से बनाता है और सरकार जो अपना बजट बनाती है वह अपने खर्चे के अनुसार बजट बनाती है और खर्चे के अनुसार आमदनी का बजट बनता है, उसी के अनुसार टैक्स बढ़ाये जाते हैं। जितना खर्चा सरकार करना चाहती है, उसी के अनुसार वह अपना बजट बनाती है और जनता पर टैक्सों का भार लादती है। मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के लिये कि जिसमें करीब ७ करोड़ लोग रहते हैं इस सरकार ने जो कुछ किया है वह नगण्य है और जो भी कार्य सरकार ने किया उसमें उसे सफलता नहीं मिली।

श्रीमन्, मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि नक्शे और भू-अभिलेखों की सुरक्षा के लिये जो पैसा मांगा जा रहा है क्या उस से कुछ सुरक्षा हो सकेगी? यहां इसमें जौनसार-भावर परगने के लिये १३ सहायक पटवारियों को भी बढ़ाये जाने के लिये पैसे की मांग की गयी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो २ करोड़ ४४ लाख का बजट पास कराया जा रहा है, यह क्यों पास कराया जा रहा है? इसी बजट में गन्ने में जो बीमारी लगती है उससे उसकी सुरक्षा के लिये भी पैसा मांगा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसी सदन ने एक प्रस्ताव पास किया कि किसानों को गन्ने की कीमत १ रुपया १२ आना फी मन के हिसाब से दिलाई जाय। सरकार ने उसको क्यों नहीं दिलाया? यहां पर यह भी प्रस्ताव आया कि भू-अभिलेखों की नकल जिसे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन्तखाब कहते हैं, उचित मूल्य पर किसानों को दिलाई जाय, मगर सरकार उसको भी नहीं दिला पायी। आज भी किसानों से उसके लिये मनमाना पैसा वसूल किया जा रहा है। इसके लिये सरकार कभी बजट नहीं लाई कि किसानों को उनकी भूमि की एक जमाबन्दी जिसमें उनका नाम, नम्बर, रकबा, नवइयत और लगान आदि दर्ज हो, सरकारी कीमत पर दिलाई जाय। सरकार तो इसलिये बजट लाती है कि उनको मनमाना खर्चा करना होता है। इसी के लिये वह सदन को धोखे में रख कर हम से बजट पास कराती है। आज किसानों को इन्तखाब के लिये लेखपालों के पास जाना पड़ता है, लेकिन उस अधिकार को वह किसानों को अब तक नहीं दिला पाई। जब वह यह नहीं कर सकी, तो आज इस गरीब प्रदेश के लिये यह बजट क्यों पास कराया जाता है? इसका जवाब इस सरकार को जनता के सामने देना होगा।

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि यह सरकार प्रत्येक गांव में एक नक्शा, नापने का यंत्र और जमाबन्दी आदि दे जिससे कि उन लोगों को इन्तखाब के लिये लेखपाल के पास न जाना पड़े, लेकिन सरकार उसको नहीं करेगी। जमींदारी का खात्मा हो गया, लेकिन यह सरकार भू-अभिलेखों की दुरुस्ती अभी तक नहीं करा सकी। इसी सम्बन्ध में कई गैर-सरकारी प्रस्ताव भी इसी सदन में आये कि कैफियत के खाने में काबिज लिखने का अधिकार लेखापालों को न दिया जाय, लेकिन उसके लिये कोई प्राविजन नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें चर्चा है एक नयी चीज की और वह क्या है उसे भी मैं बतला दूं। सरकार की ओर से जो चावल खरीदा जाता है वह वहां पर रख दिया जाय कि उसमें नमी न आ जाये, उसके लिये सरकार ५० हजार का एक यन्त्र खरीद रही है। उसको ठीक ढंग से रखने के लिये सरकार एक बिजली का यन्त्र खरीद रही है। १०,००० रुपया खर्च होता है और इस प्रकार के यन्त्र उसने खरीद लिये हैं। मैं तो सरकार से चाहूंगा कि जो प्रतिबन्ध लगता है इधर-उधर आने जाने पर, यह उचित नहीं है। जैसे गोरखपुर से देवरिया में माल जाने में प्रतिबन्ध और गोरखपुर से गोरखपुर में नहीं जा सकता। यह कौन सी बात है कि जो धान पैदा करे वह कूट नहीं सकता? छोटी–छोटी पूंजी वाले लोग चक्की लगा लेते हैं, लेकिन धान नहीं कूट सकते प्रदेश में। ऐसी अवस्था में सदन के सदस्य इस बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को कतई पास न करें। मुझे संदेह है कि अगर यह सरकार ४ बार सदन में बैठने का आह्वान करेगी तो ४ बार १० करोड़ रुपया अधिक ले जाने का प्रयत्न करेगी।

सड़कों के निर्माण के बारे में एक बात कहनी है। बजट में लिखा हुआ है कि सरकार किसी जिले में कांक्रीट की सड़क को तारकोल की बनायेगी। एक सड़क के बारे में तो हमने दिल्ली तक लिखा-पढ़ी की, आखिर हार गये। इसलिये हार गये कि उनके तर्क बिल्कुल बेबुनियाद हैं। आज भी हम तैयार हैं कि अगर कोई तीसरा आदमी जांच करना चाहे तो २८ नम्बर हाई-वे तमकुही वाली सड़क की जांच कर ले। वह इतनी टेढ़ी है कि उस पर २० मील प्रति घंटा से अधिक कोई सवारी नहीं जा सकती। उस सड़क को सीधा करने के लिये नये खेत ले रहे हैं। कहा जाता है कि उस पर व्यय इस प्रकार से कम होगा। नये खेत लेंगे, उन पर मिट्टी पड़ेगी, कांक्रीट पड़ेगी, मेरा खयाल है कि उस पर कम खर्चा नहीं पड़ेगा, अधिक पड़ेगा इसलिये चुराने का भी मौका है। इसलिये सरकार के कर्मचारी कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जब ले रही है तो वह काम ठीक होता है, इस पर कम खर्चा पड़ेगा, लेकिन मैं निश्चित राय का हूं और मैं ही नहीं जो कांग्रेस के सदस्य यहां बैठे हैं वह भी इसी राय के हैं कि बनी-बनाई को छोड़ दीजिये और कसिहा से सरफाबाद जाने वाली को ले लीजिये, वह ज्यादा उचित होगा। कर्मचारी का मतलब ही यह है कि एक तरफ सड़क बने और फिर टूट जाय ताकि बनाने का मौका मिले। बलिया में एक पुल बनने वाला है, लेकिन हम देखते हैं कि राजघाट पर राप्ती पर पुल के बनने का श्रीगणेश भी नहीं हुआ था कि उसका पाया धंस गया। यह सरकार की योग्यता और एफिशियेंसी है। मैं चाहूंगा कि सदन के सदस्य बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को कतई पास न करें और एक पैसा भी सरकार को खर्च करने के लिये नहीं देना चाहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिये समय दिया।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि इस सरकार को २ करोड़, ३ करोड़, ५ करोड़ तो दूर रहा, एक धेला भी नहीं देना चाहिये, क्योंकि यह सरकार उस रुपये का दुरुपयोग करेगी। उसको केवल अपने पार्टी प्रचार के लिये खर्च करेगी आने वाले इलेक्शन के लिये स्थान बनाया जायगा---केवल इसीलिये रुपया उनको नहीं देना चाहिये: यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्रीमन्, प्रमाण के लिये कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी सरकार के सूचना विभाग की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसकी तरफ से एक 'ग्राम्या' नाम की पत्रिका छपती है जो जनता के पैसे से छपती है, किसी एक व्यक्ति या पार्टी के पैसे से नहीं। उसमें एक लेख निकला है "जीवन दर्शन" के नाम से, और उसमें माननीय मुख्य मन्त्री जी को 'साधु', 'तपस्वी', "उगता हुआ तारा" और न मालूम क्या क्या चीजें कही गयी हैं, वह तो पढ़ने से ही ताल्लुक रखता है। वह मेरे पास है, अगर आप चाहें तो दे दूंगा, देख लीजियेगा। इतना ही नहीं कि उसमें एक व्यक्ति की तारीफ की गयी होती, एक व्यक्ति की चाटुकारिता की गयी होती, वह कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन उसमें और लोगों की बुराई की गयी है। "उगते हुए सूर्य के सामने जैसे सब तारे अस्त हो जाते हैं, ऐसे ही उगते हुए मुख्य मन्त्री के सामने और दल सब अस्त हो जायेंगे", ये चीजें कही गयी हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि सूचना विभाग इस लिये बना है कि मुख्य मन्त्री का प्रचार करे? यहां जनता का धन इसलिये सूचना विभाग पर खर्च किया जा रहा है कि एक पार्टी का प्रचार हो।

इतना ही नहीं जहां कहीं हमारे मुख्य मन्त्री जी के लेफ्टिनेंट लोग हैं वहां की पूरी सरकारी मशीनरी प्रचार कार्य में लगी हुई है। मैं स्वयं अपने जौनपुर के बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं। जौनपुर जिले की जौनपुर तहसील में चकबन्दी चल रही है। एक एस० ओ० सी० से कुछ काम करने के लिये कहा गया, लेकिन वे राजी नहीं हुए। अब शिकायत के लिये कुछ लोग लाये गये और उनके खिलाफ वावेला खड़ा किया गया। जिस जगह चकबन्दी खत्म हो चकी थी और कागजात खत्म कर दिये जा चुके थे वहां के कुछ लोगों से दरख्वास्तें दिलायी गयीं, क्योंकि चाहे जैसा अच्छा काम किया गया हो २, ४, १० आदमी तो ऐसे निकल ही आते हैं जिनकी इच्छानुसार कार्य न हुआ हो। अब जौनपुर में एक अड्डा है जहां पर कलेक्टर साहबान जाकर आदाब अर्ज किया करते हैं। उस अड्डे पर एस० ओ० सी० का जवाब तलब किया गया। कहा गया कि चकबन्दी में क्यों गड़बड़ी हुई। लाख कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और कहा कि खुद जाकर नापिये। एस० ओ० सी० ने कहा कि तमाम तहसील का काम मेरे जिम्मे है उसे हटा कर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं नापने का काम भी कर सकता हूं। इस प्रकार उसको नापने का काम दिया जा रहा है।

सिंगरामऊ से आधे मील पर एक कत्ल हुआ उसकी इन्क्वायरी करने के लिये एस० पी०, डी० एस० पी० की कौन कहे, इन्स्पेक्टर या सब-इन्स्पेक्टर भी नहीं गया केवल नायब दारोगा जी गये, लेकिन एक ७० रुपये की चोरी हुई। अब चोरी करने वाले में जिनका नाम आया वह उन महापुरुष का आदमी निकला जो कि उस एस० ओ० सी० के खिलाफ काम कर रहा है। एक आदमी ने जाकर सिफारिश की और एक बहुत ही उच्च कोटि के आदमी, जो मुख्य मन्त्री जी के लेफ्टिनेंट हैं उन्होंने जाकर एस० पी० से कहा कि तुम स्वयं जाकर जांच करो। अब उस ७० रुपये की चोरी के लिये एस० पी० जांच करने के लिये गया हुआ है और ७ दिन पहले जो थानेदार आया था उसका ट्रान्सफर कर दिया गया। इस प्रकार से जनता के धन का दुरुपयोग किया जा रहा है और एकमात्र अगले चुनाव को ध्यान में रख कर काम किया जा रहा है।

श्रीमन्, एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं। बड़ा ढोल पीटा गया कि पुराने मंत्रिमण्डल में जातीयता का बड़ा भारी पक्षपात था और एक विशिष्ट जाति के लोग भरे हुए थे।

इस सम्बन्ध में केवल एक चीज मैं कहना चाहता हूं। पिछले मन्त्रिमण्डल के समय उपकुलपतियों में केवल दो आदमी ऐसे थे जिनको उस समय के मुख्य मन्त्री की जाति का कहा जा सकता था और वे भी चुनाव से आये थे, नामांकन के द्वारा नहीं, लेकिन श्रीमन्, अब साढ़े तीन हैं और चुनाव से नहीं नामांकन से हैं। नाम उनके मैं नहीं लूंगा।

एक और बड़ी भारी गलती हुई है जिसका परिणाम सब को भोगना पड़ेगा, इस सरकार को, इस प्रदेश को, और सारे देश को उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। मैंने एक प्रश्न के रूप में भी यह पूछा था कि मतपत्रों पर फारसी लिपि में भी नाम लिखे जाने का सुझाव राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को दिया है। उस पर श्रीमन्, सप्लीमेंटरी भी नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों ? श्रीमन्, वाराणसी के "आज" अखबार में एक संवाद निकला है जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसमें स्पष्ट रूप से यह निकला है कि मुस्लिम लीग उत्तर प्रदेश में १२० स्थानों पर अगला चुनाव लड़ने जा रही है। अब तक श्रीमन्, जो संस्था कब्र में दफना दी गयी थी, जिसकी मांसपेशियां व सारी चीजें सड़ गयी थीं उस के ककाल को निकाल कर माननीय मुख्य मन्त्री ने उसमें एक मत-पत्रों पर फारसी लिपि वाली बात कहकर जान फूंक दी, जैसे कानपुर में एक साधु महात्मा किसी कंकाल में मन्त्र के जरिये जान डाल दिया करते थे। माननीय मुख्य मन्त्री के यह कहने से कि मत-पत्र फारसी लिपि में होंगे, इसका मतलब ही यह हो गया कि यहां मुस्लिम लीग की स्थापना हो गयी और १२० स्थानों पर लड़ने के लिये मुस्लिम लीग द्वारा उद्घोष हुआ। इतना ही नहीं श्रीमन्, उन्होंने यह भी दिया है कि कौन-कौन जिले से हम लड़ रहे हैं। श्रीमन्, उन जिलों के वही नाम हैं जिन जिलों के लिये हमारे मुख्य मन्त्री जी ने उस दिन कहा था कि इन जिलों के मत-पत्र फारसी लिपि में लिखे जायेंगे। तो इस प्रकार जो इनके कार्य हो रहे हैं, उनको देखते हुए इस देश, प्रदेश तथा जनता के हित में यही है कि एक धेला भी इनको खर्च करने के लिये सदन न दे और उल्टा उनसे कह दे कि आप गवर्नमेंट छोड़ कर भागें।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस अनुपूरक अनुदान के अवसर पर कई सुझाव दिये हैं, उनके लिये अनुग्रह प्रकट करता हूं। मैंने बहुत से भाषणों को सुना। कुछ भाषणों को सुनने का मुझे अवसर नहीं मिला। कई भाषण तो अपने-अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं से सम्बन्ध रखते थे और कई भाषण उन्हीं आलोचनाओं से सम्बन्ध रखते थे जो बराबर इस सदन में समय बे समय की जाती हैं।

माननीय गोविन्द सिंह जी विष्ट तो वास्तविकता से परे जो बातें होती हैं उनके कहने में बहुत एक्सपर्ट हो गये हैं। कदाचित् उन्होंने अपना यह धर्म ही मान रखा है कि सदन के समक्ष कभी भी जो बातें सत्यता के नजदीक हैं, उसके नजदीक जाने की चेष्टा न करो। उन्होंने हमारी आलोचना हमारी इकोनामी के सिलसिले में जैसा महीनों से बराबर वह हमारी मखौल उड़ाते आये हैं, आज भी मखौल उड़ाने की चेष्टा की और बतलाया कि हमारा खर्चा जितना पहले हुआ करता था उससे भी कहीं अधिक हमने अपना खर्चा बढ़ा लिया। हमने तो कहीं कोई कटौती दिखलायी नहीं, मन्त्रिमंडल के ऊपर भी हम बहुत खर्च कर रहे हैं, ट्रेवलिंग एलाउन्सेज आदि के ऊपर भी बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। इस विषय में उनकी आलोचना का अधिक तो उत्तर देने की धृष्टता मैं नहीं करूंगा, लेकिन थोड़े से आंकड़े जो थोड़े समय के अन्दर मेरे पास एकत्रित होकर आये हैं, उन्हीं को आपके समक्ष रखे देता हूं, उनसे स्वतः आप नतीजा निकाल सकते हैं कि आया हमने पहले खर्च की नीति के सम्बन्ध में जो घोषणा की थी उसके अनुसार उसमें कोई परिवर्तन किया है या नहीं। उससे आपको यह भी पता चल जायगा कि जिस दिशा में चलने की हमने चेष्टा की है उस दिशा में चल कर और खर्च में कमी ला-ला कर एक नया वातावरण आगे खर्चे की तरफ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पैदा करने की चेष्टा कर रहे हैं या नहीं।

उन्होंने कहा कि हमने टी० ए० आदि का खर्चा बहुत बढ़ा लिया है। मेरे पास टी० ए० के आंकड़े दिसम्बर, ७ सन् ५८ से जुलाई, ५९ तक के, तथा दिसम्बर सन् ५९ से जुलाई सन् ६० तक के व दिसम्बर ७, सन् ६० से जुलाई, ६१ के अन्त तक के हैं। टी० ए० का खर्च ७ दिसम्बर,

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

सन् ५८ से जुलाई ५९ तक का ८०,१२९ रुपया था, ७ दिसम्बर सन् ५९ से जुलाई सन् ६० तक का था १,०५,०१६ रुपया और दिसम्बर ७, सन् ६० से जुलाई सन् ६१ तक का था ४७,५६६ रुपया।

पहाड़ पर जो हम पहले खर्च करते थे वह सन् ५९ में ६८,३३२ रुपया खर्च हुआ, सन् ६० में ६७,४४५ रुपया, सन् ६१ में केवल ७,२०० रुपया और इस ७,२०० की रकम में भी सेलेक्ट कमेटी व स्टैंडिंग कमेटियों को जो आमंत्रित किया गया था उन का खर्च शामिल है। जो मंत्रिगण इस वर्ष गर्मी में पहाड़ गये वह अपने खर्चे से गये और उन्होंने अपना मकानों का किराया भी दिया सिवा उन मंत्रियों के जो सरकारी कार्यवश उस स्थान पर गये थे।

इसके अतिरिक्त मैंने वह आंकड़े भी प्राप्त किये हैं जो मोटरों के पेट्रोल और रिपेयर्स के खर्चे के हैं, पहले जो खर्च होता था और आज के जो आंकड़े हैं वह यह हैं —५३—५४ में २,०७८ रुपया पेट्रोल का मंत्रियों की गाड़ियों पर व्यय होता था और रिपेयर्स पर २,०७६ रुपया खर्च होता था, यह आंकड़े प्रतिमास के हैं। सन् १९५९-६० में २,३४८ पेट्रोल पर और २,१५४ रिपेयर्स पर व्यय हुआ और इधर जनवरी से जुलाई तक सन १९६१ का जो पेट्रोल का व्यय है वह १,९६२ रुपया है और रिपेयर्स का है ८८० रुपया। यह पेट्रोल पर खर्च उस वक्त का आप को मैं बता रहा हूं जब कि पेट्रोल की कीमत कम थी और कीमत अब बढ़ी हुई है। सन् १९५३—५४ में कीमत थी २.८७ नया पैसा, सन् १९५९—६० में वह हो गई ३.३२ नया पैसा और आजकल उसकी कीमत है ३.४१ नया पैसा। इस के अलावा जो रिबेट ६ पैसा रुपया का मिलता था सन् ५३—५४ में, वह भी अब नहीं मिलता।

तो यह आंकड़े स्वतः इस बात को सिद्ध करते हैं कि जो कुछ माननीय गोविन्दसिंह बिष्ट ने सदन में कहा वह कहां तक सत्य है? यदि जानबूझ कर किन्हीं बातों को गलत तरीके से रखना और सदन को और बाहर के लोगों को गलतफहमी में डालने की कोशिश की जाय कि हमने जो घोषणा की है हम उस घोषणा के तहत में नहीं चल रहे हैं यह क्या कोई अच्छी परम्परायें बनाने की बात है? यह सही है कि प्रत्येक विरोधी दल को शासन की कमियों और खामियों को हमारे सामने रखना चाहिये और हमें भी उन कमियों पर विचार करते हुए उन से हटने की चेष्टा करनी चाहिये, वह चेष्टा हम भी करते हैं, सरकारी कर्मचारी भी करते हैं, लेकिन यह कोई सही परम्परा और सही मर्यादा नहीं है कि जानबूझ कर सदन के सामने और बाहर वह बातें रखी जायं जो तथ्य से परे हों।

(इस समय ३ बज कर ५३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

उन्होंने यह भी कहा कि मैं रानीखेत से चुना गया हूं और इस कारण से जो चीजें मैं कर रहा हूं वह केवल रानीखेत के क्षेत्र में ही किये जा रहा हूं। मैं अभी गर्मियों के दिनों में रानीखेत गया था और पिथौरागढ़ भी गया था और माननीय बिष्ट जी के क्षेत्र में भी गया था, मैं उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल तथा पहाड़ के अन्य क्षेत्रों में भी गया था। जहां के लोग भी मेरे सामने अपने यहां की समस्यायें रखते हैं मैं उन के निराकरण की जहां तक हो सकता है कोशिश करता हूं। रानीखेत का इलाका तो एक ऐसा इलाका है कि जिस को देखकर मुझे ताज्जुब हुआ कि जो लोग वहां का नेतृत्व करने वाले हैं और जो व्यक्ति अपने को वहां का रिप्रेजेन्टेटिव कहते हैं उन्होंने कभी भी उस क्षेत्र का ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं किया।

सरकारी कर्मचारी भी १६, १७, १८ साल से कभी वहां नहीं गये। मैंने उस क्षेत्र में जाने की धृष्टता की और मैंने वहां की कमियां अपनी आंखों से देखीं और उनके दूर करने के लिये यदि मैंने कोई आदेश दिये तो कौन सी मैंने अपने क्षेत्र को बनाने की बात की। क्या मैं गोविन्द सिंह जी से पूछ सकता हूं कि वे जिस क्षेत्र से निर्वाचित हो कर आये हैं उस क्षेत्र के लिये वह कौन सा व्यक्ति था जिसने वहां अल्मोड़े में पानी की व्यवस्था की थी? किसने वहां बिजली दिलाई थी? किसने उन जगहों में जहां अस्पताल नहीं थे वहां अस्पताल निर्मित करवाये थे? क्या वह

वही व्यक्ति नहीं था जो आज मुख्य मंत्री है और जो उस जमाने में हेल्थ मिनिस्टर और प्लानिंग मिनिस्टर था ? अब की बार भी जब मैं अल्मोड़ा जिले में उनके क्षेत्र में गया था, यद्यपि उस समय वे मेरे साथ नहीं गये थे, लेकिन क्या उन संस्थाओं, उन शिक्षा संस्थाओं जिनको पैसा नहीं मिल सकता था और शिक्षा मंत्री जी उसको देने के लिये तैयार नहीं थे, उनके लिये पैसा बाहर से मांग कर मैंने दिलवाने की चेष्टा नहीं की थी ? मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो लोग स्वतः तो कुछ करने के लिये तैयार नहीं होते और जब दूसर लोग उनकी मदद को भी जायं तो भी वे उनके साथ न जायं, अपनी समस्याओं को उनके सामने रखें नहीं, लेकिन जब दूसरे लोग जायं और उनकी समस्याओं को सुलझायें तो यह कहा जाय कि वे पक्षपात कर रहे हैं ।

मैं उत्तरकाशी गया था । वहां पर सड़कों की भी, अस्पताल की भी और पानी की भी आवश्यकता क्या नहीं थी ? क्या लाखों रुपया मैंने उत्तर काशी में इन कार्यों के लिये मंजूर नहीं किया ? पिथौरागढ़, जो अभी कल तक अल्मोड़े का हिस्सा था, उसकी जो समस्यायें थीं, क्या उनका निराकरण नहीं किया ? क्या हमने वहां अस्पताल देने की व्यवस्था नहीं की ? क्या वहां स्कूलों के नवनिर्माण की व्यवस्था नहीं की ? मुझे दुःख तो तब होता है जब लोग इस तरह की बातें करते हैं ।

लोग यहां हिन्दी की चर्चा करते हैं । हमारे माननीय गोविन्दसिंह जी हिन्दी के बड़े पक्षपाती हैं । अगर हम कभी उनको अंग्रेजी में खत लिख दें तो वे बड़ी शिकायत करते हैं, लेकिन मुख्य मंत्री की शिकायत करने के लिये अगर प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल जी के पास खत जायगा तो वह अंग्रेजी में जायगा । मैंने उनके क्षेत्र में क्या नहीं किया इसके लिये लम्बा-चौड़ा खत वहां भेज दिया गया । वह खत मेरे पास आया है । वह उन माननीय सदस्य का खत है जो हिन्दी के लिये मरते और हिन्दी के लिये जीते हैं। खुद अंग्रेजी में लिखते हैं वह क्योंकि वह समझते हैं कि शायद हिन्दी को जवाहरलाल जी समझते ही नहीं और अगर वह अंग्रेजी में भेजेंगे तो उनकी बात बन जायगी । तो इस तरह की जो बातें करते हैं, जो किन्हीं मान्यताओं को मान कर चलते ही नहीं हैं ऐसे सदस्यों के प्रश्नों का मैं क्या उत्तर दूं ? मैं इतना निवेदन कर दूं कि जो माननीय सदस्य मुसलमानों के बारे में समय बे-समय तमाम बातें उठाते हैं और समझते हैं कि हर मुसलमान जो इस देश में रहता है वह पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से वह सम्बन्ध रखता है, और जब उसका कोई प्रश्न आ जाता है तो उसको उसी नजर से देखने की चेष्टा करते हैं, तो यदि मुसलमानों में कोई नया वातावरण पैदा हो तो क्या उसको पैदा करने के लिये वे जिम्मेदार नहीं ठहराये जायेंगे ? क्या वह व्यक्ति जिम्मेदार उसके लिये नहीं ठहराये जायेंगे जो साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, जो जगह बे-जगह हमेशा साम्प्रदायिकता को उभाड़ने की चेष्टा करते हैं और साम्प्रदायिकता को उभाड़कर जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं । मैं माननीय सदस्यों से नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस का दल रहेगा या नहीं रहेगा, आयेगा या जायेगा, अन्य दल भी आयेंगे और जायेंगे, परन्तु सही परम्परायें सदा सार्वजनिक जीवन में जीवित रहेंगी । जो हमारे बीच में सही परम्पराओं और सही मर्यादाओं को रखने की चेष्टा नहीं करते, महज आलोचना करके यदि "उल्लू सीधा करना" यह पार्लियामेंटरी शब्द है तो अपना उल्लू सीधा करने की चेष्टा करते हैं, उससे देश और प्रदेश आगे बढ़ने वाला नहीं है । न उससे देश के अन्दर वह वातावरण पैदा होने वाला है जिसके पैदा करने की हम लोग चेष्टा करना चाहते हैं ।

एक माननीय सदस्य ने आपत्ति की कि मंत्रियों के लिये मोटर तो ली जाती हैं । हां, मोटरें ली जाती हैं मंत्रियों के लिये । आपने जो अधिनियम बना रखा है उसके तहत में मंत्रियों को आप कुछ सुभीते देते हैं, मोटर भी देते हैं, लेकिन मंत्रियों के मोटर रखने की बात को आप जोड़ दें कुओं के निर्माण के विषय से तो क्या इससे विचारों में कोई संतुलन आता है ? कौन नहीं जानता कि पिछड़े वर्ग के लिये और गरीब लोगों के लिये हम कितने कुयें बनाने जा रहे हैं ? १५ हजार कुयें तीसरी योजना के अन्तर्गत बनाने जा रहे हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुये बनाने जा रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग और गरीब लोग मैचिंग ग्रान्ट नहीं दे सकते हैं । जैसी कि चर्चा की गई कि हम कुयें उनके लिये नहीं बना रहे हैं, तो यह जो अनुपूरक अनुदान है इसी

[श्री चन्द्रभानु गुप्ता]

में ४२ नम्बर का जो ग्रान्ट है उसमें सारे सुभीते स्वतः ही लिखे हैं । अब तक जो ५० परसेन्ट मैंचिंग ग्रान्ट मांगी जाती थी उसे घटाकर २५ परसेन्ट कर दिया गया है, यानी ७५ फीसदी सरकार देगी और २५ फीसदी श्रम इत्यादि का होगा । तो कहने का मतलब यह है कि हम उत्तरोत्तर बहुत सुभीते देने जा रहे हैं ।

अभी मैं पहाड़ों से जब लौट कर आया तो मेरे सामने यह बात आई कि वहां के लोग ४० फीसदी मैंचिंग ग्रान्ट देने में असमर्थ हैं । मैंने डेवलपमेंट कमिश्नर से बात की और कहा कि पहाड़ में ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी अवस्था है कि जो ३०–४० फीसदी रुपया आपके अनुदान में नहीं जोड़ सकते हैं इसलिये ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उन पिछड़े क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था शीघ्र कर दी जाय । उन्होंने मेरे विचार से सहमति प्रकट की और यह निश्चय हुआ कि २५ लाख रुपया कम से कम इन पिछड़े इलाकों के लिये दिया जाय और ९० फीसदी हमारा हो, १० फीसदी उनका हो । वह १० फीसदी हिस्सा उनका क्या होगा ? वह श्रमदान होगा । जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, परेशान हैं, हम अपना कर्त्तव्य समझते हैं कि ऐसे लोगों की सेवा करें ।

इस कांग्रेस सरकार को इस प्रदेश में सरकार के रूप में रहने का कोई अधिकार नहीं यदि वह स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था प्रदेश के उन क्षेत्रों में न कर सके जहां कि उसकी आवश्यकता है । प्रथम योजना में, द्वितीय योजना में और तृतीय योजना के अन्तर्गत इन पिछड़े वर्ग के लोगों को सहायता प्रदान करने के लिये और सुभीते प्रदान करने के लिये हमने कार्य किये हैं और कर रहे हैं ।

मैं हैरान हूं कि आज इस बात की भी आलोचना है कि हम उस दिशा में कार्य ही नहीं कर रहे हैं । आप गांव-गांव में जाइये जो योजना बनाई गई है अन्तरिम जिला परिषद् के द्वारा, पंचायतों के द्वारा उन कुओं को बनाने की योजना पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाता है और अनुदान भी दिया जाता है । तो आज यह शिकायत करना कि पिछड़े वर्ग के लोगों की तरफ और उन लोगों की तरफ जिनको पीने के पानी के कुओं की आवश्यकता है, कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक नहीं है ।

मैं अवश्य मानता हूं और मुझे शर्म आती है इस बात को कहते हुये कि हमने जो घोषणा आज से ८ वर्ष पूर्व की थी कि हम प्रदेश के हर कोने में ५ मील के दायरे में अस्पताल कायम कर देंगे वह पूरी नहीं हुई । उस समय हमने अस्पतालों की संख्या की भी घोषणा की थी । उस दिशा में हम चल रहे थे, परन्तु जैसा सदन के सदस्य जानते हैं कि पिछली योजना के अन्त में यह निर्णय लिया गया कि अब बजाय अलग-अलग अस्पताल खोलने के हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि ब्लाक के केन्द्रीय स्थान पर प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स बनाये जाय और उस योजना के अन्तर्गत जहां-जहां ब्लाक खुले हैं वहां-वहां अस्पताल के खोलने की नीति भी अपनाई गई है और अस्पताल खोले भी गये हैं । यह आपत्ति सही है और मुझे इस आपत्ति को स्वीकार करने में कोई गुरेज भी नहीं है, स्वतः मैं बड़ा शर्मिन्दा हूं इस बात के लिये कि आज भी जो अस्पताल देहात के अन्दर बने हैं वहां वे डाक्टर नहीं पहुंच पाये जिनको हम नियुक्त करना चाहते थे ।

परन्तु आज प्रादेशिक सरकार को इसके लिये दोषी नहीं ठहरा सकते हैं । सरकार ने डाक्टरों की संख्या को बढ़ाने के लिये मेडिकल कालेजेज़ की संख्या को बढ़ाया, अधिक लोग देहात के क्षेत्रों में इन अस्पतालों में जा कर सेवा कार्य करें, उनका वेतन-क्रम बढ़ाया । जैसा आप जानते हैं पहले पी० एम०एस० (द्वितीय) को २००–४०० रु० का वेतन-क्रम देते थे । लेकिन अभी हाल ही में उस तनख्वाह को बढ़ा कर २५० से ६५० और ६०० रु० तक कर दिया है । पी०एम०एस० (द्वितीय) और पब्लिक हैल्थ सर्विस का, साथ ही उनका नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स भी निर्धारित कर दिया, रहने की व्यवस्था की । परन्तु इसके बावजूद भी हमें डाक्टर नहीं मिल रहे हैं । यद्यपि उत्तर प्रदेश उन प्रदेशों में था जहां डाक्टरों को अन्य प्रदेशों के मुकाबले में ज्यादा तनख्वाह मिलती थी, लेकिन अभी ५, ६ महीने हुये पंजाब सरकार ने डाक्टरों के लिये अधिक तनख्वाह निर्धारित की है, वहां देहात में जो डाक्टर रहता है उसको ५१० या ५२० रु० बेसिक सैलरी और

देहात का एलाउन्स तथा नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स मिलता है । हम तो ऐसा नहीं कर पाये हैं। जितनी संख्या में हमें अस्पताल खोलने हैं उस संख्या को अपने सामने रखें तो कदाचित् उतनी मात्रा में हम तनख्वाह नहीं बढ़ा पायेंगे, लेकिन अभी हम एक नई योजना पर विचार कर रहे हैं। यद्यपि वह भी लाउड थिंकिंग है, अभी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। हम सोचते हैं केन्द्रीय सरकार इस बात की आशा हमसे रखती है कि देहाती क्षेत्रों में इन डाक्टरों के जाने के लिये कोई ऐसी कंडीशन्स बनायें जिनसे अधिक से अधिक संख्या में वे वहां जा सकें ।

आप जानते हैं कि मेडिकल विभाग को दो विभागों में बांट रखा है । पी० एम० एस० (द्वितीय) और पी० एम० एस० (प्रथम)। पी० एम० एस० (प्रथम) वाले ७०० रु० तक जाते हैं। उनको प्राइवेट प्रैक्टिस की भी इजाजत है। तो हम ऐसा विचार कर रहे हैं और ऐसा सुझाव आया है कि पी० एम० एस० (प्रथम) और पी० एम० एस० (द्वितीय) को मिला दें और प्रत्येक व्यक्ति को जो पी० एम० एस० (प्रथम) में शामिल हो उसको नियुक्त करने के समय यह बता दें कि वह अपना ऐफ़ीशियेंसी बार ३ या ४ साल देहात के क्षेत्र में कार्य करने के बाद ही क्रास कर सकेगा । इससे यह होगा कि हर एक आदमी को देहात में जाना पड़ेगा और प्रत्येक को ऐफ़ीशियेंसी बार क्रास करने के लिये, देहात से हटने की जो ख्वाहिश अभी होती है, वह तब प्रदर्शित न कर सकेगा– बहरहाल, अभी यह प्रश्न विचाराधीन है । अभी वित्त विभाग से हमें बातें करनी हैं, यद्यपि केन्द्र से और कई स्थानों से इस प्रकार के सुझाव आये हैं और हम सोच रहे हैं कि यदि ऐसा कदम उठाया गया तो आप से मंजूरी लेंगे और विस्तार में उस योजना के बारे में बतायेंगे । अभी हमने अवश्य इस बात को देखा है, और हमने ही नहीं देखा है आज तो बड़ा चैलेंज उस मेडिकल प्रोफ़ेशन के लिये है । गांव का वह व्यक्ति जो अपनी गाढ़ी कमाई का रुपया बचाकर सरकार को देता है, उसकी सुविधा के लिये यह डाक्टर अगर देहात में नहीं जाते हैं तो यह किसान के प्रति अन्याय करते हैं क्यों कि बड़े-बड़े, मेडिकल कालेजेज और अस्पताल जो शहरों में हैं वे किसानों की गाढ़ी कमाई के रुपये से ही बने हैं ।

मुझे अभी बताया गया कि वित्त मंत्री जी बोलेंगे, अतः अधिक समय न ले कर, दो तीन बातें जो मैंने मुनासिब समझी सदन के सामने रखदीं। मुझे विश्वास है कि जो बातें मैंने आपके सामने रखीं और जो कमियां सरकार की हैं उनको उसी स्प्रिट में सदस्य मानते हुए इस विचार से प्रेरित हो कर काम करेंगे कि हम और वे दोनों ही उस कार्य में लगे हुए हैं जिसमें यदि हम ईमानदारी और परिश्रम के साथ जुटे रहे तो कदाचित् प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो आर्थिक ढांचे में अभी पहुंच नहीं पाये हैं उन सब को, हम पुनर्जीवित कर सकेंगे, अपने पैरों पर खड़ा कर सकेंगे । मैं फिर से नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें उस वातावरण को अपने बीच में बनाना है जिसमें हम और आप मिलजुल कर वह स्वस्थ परम्परायें अपने बीच में स्थापित कर सकें जिनके द्वारा ही उत्तर प्रदेश का भला हो सकता है ।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं उन आलोचनाओं का विरोध करता हूं जो कि निरर्थक और निराधार बुनियाद पर इस सदन में कही गयी हैं ।

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी के, स्पष्टीकरण के बाद मुझे शायद यह आवश्यकता नहीं थी कि मैं कुछ कहूं लेकिन दो कारणों से मैं स्वयं यह समझता हूं कि मैं भी अपने विचार आपके सन्मुख और आपके द्वारा इस सदन के सम्मुख रखूं ।

सर्वप्रथम, श्रीमन्, यदि मैं गलती नहीं करता हूं तो मैं समझता हूं कि संसदीय पद्धति के अनुकूल सप्लीमेंटरी ग्रांट के जनरल डिस्कशन में केवल उन्हीं विषयों पर विचार करना चाहिये जो ग्रांटों से संबंधित हों, लेकिन आपकी आज्ञा से और शायद वह ठीक ही होगा, यहां ऐसा विवाद प्रारम्भ हुआ जैसे कि बजट के समय होता है । जो भी हो, लेकिन यह देख कर मुझे दुःख हुआ और उस दुःख को मुख्य मंत्रीजी ने भी आपके सम्मुख प्रकट किया कि हमारे प्रजातन्त्र की प्रणाली में एक ऐसी पद्धति यहां शुरू हो रही है जो देश के लिये, प्रजातन्त्र के लिये आगे चल कर के सहज ही में घातक सिद्ध हो सकती है। प्रजातन्त्र में मैं समझता हूं कि विरोधी दलों को हर क्षण यह समझना चाहिये कि किसी भी क्षण में वह उस तरफ से उठ कर के

[श्री हरगोविन्द सिंह]

इस तरफ बैठ सकते हैं और श्रीमन्, मैं इसको भी स्पष्ट कर दूं, इसको छिपाना मैं ठीक नहीं समझता, इसको प्रकट करने में कोई संकोच भी नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूं कि प्रजातन्त्र के लिये शायद यह बहुत ही घातक होगा यदि एक ही दल सदैव इस तरफ बैठा रहे, लेकिन उसकी परिपाटी बनती है, उसकी पद्धति बनती है, परन्तु यहां तो ऐसा मालूम होता है कि देश चाहे भले ही भल्लड़ में चला जाय मगर हमको इस बात का अवसर मिल जाय कि हम इस तरफ बैठे हुये लोगों को गाली दे सकें। यह एक दुःख की बात है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—प्वाइंट आफ आर्डर। यह जो कहा गया कि उधर के पक्ष वालों को गाली दी जाय, तो क्या हम लोगों के भाषण गाली हैं ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि थोड़ा सौम्य कर दीजिये उस शब्द को।

श्री हरगोविन्दसिंह—अच्छा, गाली न सही,, भर्त्सना कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—हां, भर्त्सना ठीक है।

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, आप जानते हैं और प्रत्येक सदस्य भी मेरा खयाल है जानता है कि स्वतंत्रता के बाद आज यह देश एक बड़ी भारी लड़ाई में फंसा हुआ है। दुनियां में सब से नीचे स्तर की हमारी एकोनामी है। हमको किसी प्रकार से इस देश को सम्पन्न बनाना है। समय भी शायद हमारे सामने उतना नहीं है जितना दुनियां के अन्य देशों को अपनी एकोनामी को ठीक करने के लिये भूत में मिला है, लेकिन आज जो दुनिया की परिस्थिति है, जो दुनिया के रंगमंच पर शतरंज हो रही है उससे ऐसा मालूम होता है कि हमारे देश के लिये उतना समय भी उपलब्ध नहीं होगा जितना अन्य देशों के लिये अपनी इकोनोमी ठीक करने के लिये प्राप्त हुआ है। जहां हम चाहते हैं कि सदन का प्रत्येक सदस्य नहीं, बल्कि सम्पूर्ण जनता एकमत हो कर उत्साह के साथ इस बड़ी लड़ाई में हमारा साथ दे और इस देश की उन्नति करे, वहां विपक्ष में बैठे हुये लोग केवल एक बात का प्रयत्न करते हैं, श्रीमन्, मैं गलती कर सकता हूं और मुझे खुशी होगी यदि मेरी धारणा गलत होगी कि उनका एक ही लक्ष्य है और यह लक्ष्य है कि जनता को, जनसाधारण को हतोत्साह करें। अगर किसी देश को बिगाड़ना है, किसी देश को खराब करना है और किसी देश के उत्साह को छीनना है तो एक ही काम हो सकता है कि वहां की जनता को हतोत्साहित किया जाय और यह मैं देख . . . .

श्री भुवनेश भूषणशर्मा (जिला इटावा)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मंत्री जी जो स्पीच दे रहे हैं उसमें उन्होंने यह कहा कि विरोधी दल के लोगों ने अनुदानों पर न बोल-कर उल्टी सीधी बातें कही हैं। मैं आपके द्वारा उनसे पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी जो स्पीच दे रहे हैं वह देश के बारे में है और वह अनुदान का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो क्या यह उचित है ?

श्री अध्यक्ष—इसमें कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, मैंने पहले ही कहा था कि सदन में वाद-विवाद जिस स्तर का होना चाहिये था शायद वैसा नहीं हुआ और इसलिये यदि यह दोष लगाया जा रहा है तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार भी करता हूं, लेकिन उसके दोषी आप ही हैं मुझे जवाब देना है तो उन्हीं शब्दों में देना पड़ेगा। श्रीमन्, जहां हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कमर कस कर तैयार हो जाय और इस बात का प्रयत्न करे कि इस देश का आर्थिक ढांचा सुन्दर बने, मजबूत बने जिससे आने वाली घटनाओं से और आपत्तियों से हम लड़ सकें, वहां उनको विरोधियों की ओर से हतोत्सा-हित किया जा रहा है। यह एक दुःख की बात है। बजट पर मैं तैयार होकर आया था, लेकिन जब मैंने देखा कि विपक्ष के किसी माननीय सदस्य ने बजट का नाम भी नहीं लिया तो मैं समझता हूं कि अब सदन का समय इस पर लेना ठीक नहीं है। श्रीमन् . . . .

श्री मोतीलाल अवस्थी––श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री जी की ओर से कहा जा रहा है कि बजट पर एक भी बात नहीं कही गई । मैंने बीसियों बातें कहीं, लेकिन किसी का जवाब नहीं दिया गया ।

श्री अध्यक्ष––अब आप शान्ति रखिये और उनको बोलने दीजिये । आप बोल चुके हैं, अब उनको बोलना है ।

श्री हरगोविन्दसिंह––श्रीमन्, अगर विरोधी दल की ओर से कहा गया होता कि फलां-फलां अनुदान में यह कमी है या यह ज्यादती है , यह नहीं होना चाहिये था, तो मैं उसका उत्तर देता, लेकिन मैंने देखा कि इसका बहाना लेकर अन्य बातें कहने का अवसर ढूंढा गया। मैं आप के द्वारा माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि ये लोग सब मिल कर भी बोलें तब भी मैं बैठने वाला नहीं हूं। श्रीमन्, मैं समझता था कि मुख्य मंत्री जी के बोलने के बाद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन श्रीमन्,एक कहावत है कि "नया मुसलमान बहुत ज्यादा प्याज खाता है" तो एक नये सज्जन हमारे जिले में हो गये हैं उन्होंने शायद मुझे लक्ष्य करते हुये दो एक घटनाओं का जिक्र किया। मैं उनके परिवार से, उनकी सभ्यता से इतना वाकिफ था कि मैं यह समझता था कि अगर उनको कुछ हमसे शिकायत होगी तो वह हम से पूछ लेंगे, हम उसका स्पष्टीकरण कर देंगे, तब इस सदन में कुछ कहेंगे, लेकिन शायद वह नयेपन में यह भी भूल गये और उन्होंने यहां खड़े हो कर एक आक्षेप मेरे ऊपर किया। मैं समझता हूं कि एक मंत्री होने के नाते मेरा फर्ज है कि सदन के सामने मैं उसको स्पष्ट रूप से रखूं।

जिस चकबन्दी का उन्होंने जिक्र किया है, वह बात ठीक है। मेरे पास, उन्हीं के महल के पास के गांव वाले, सैकड़ों की संख्या में आये, और उन्होंने कहा कि चकबन्दी दफ्तर के सब अधिकारी महल में रखे गये, उनको खिलाया गया, उनको पिलाया गया और उसके बाद यह हुआ कि बावजूद इसके कि कागज पर चक बट गया है, मगर उसकी चकबन्दी खेत में नहीं हुई है। वहां के किसान परेशान हैं कि कौन-सा खेत वह जोतें। वह सुबह मेरे पास आये और एक-दो नहीं तीन गांवों के कम से कम २०० आदमी आये। मैं जौनपुर में था मैंने अपना फर्ज समझा, सरकार का अंग होने के नाते भी अपना फ़र्ज़ समझा और मैंने एस० ओ० सी० को सुबह बुलाया तथा उनसे कहा कि शाम को आप हम से मिलिये। उन लोगों से यह कहा कि जो आप को कहना है वह एस० ओ० सी० को जा कर समझाइये जिससे शाम को अपनी रिपोर्ट दे सकें। शाम को एस० ओ० सी० आये। उन्होंने कहा कि हमारी रिपोर्ट यह है, हमारे अधिकारी यह रिपोर्ट करते हैं कि वास्तव में गांव में जा कर उन्होंने देखा . . . .

कुंवर श्रीपालसिंह––श्रीमन्, मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री हरगोविन्दसिंह––भूड़ को उन्होंने नापा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पांच-सात आदमी जो राजा साहब के कृपा पात्र हैं उनके अलावा किसी का चक नहीं नापा है। कोई नहीं जानता कि किस का कौन खेत है। तब मैंने उनसे जरूर कहा कि आप स्वयं मौके पर जाइये। आप अपने सामने खेतों का चक बनवाइये तब कहिए कि यह चक बना है या नहीं। श्रीमन्, अब भी मैं समझता हूं, बावजूद उनके कहने के कि मैंने ठीक किया। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था।

एक और दूसरी बात कही, एक आदमी के बारे में। ७० रुपये की चोरी हुई–मुझे बड़ा दुःख है कि मुझे स्पष्ट रूप में फिर कहना पड़ रहा है। मैं उसको नहीं कहना चाहता था और अगर राजा साहब मुझसे अलग मिले होते तो मैं उन को बता देता कि उसके क्या वाकये हैं। श्रीमन्, आप के एक वहां के मुंतजिम हैं , उनका नाम वह स्वयं जानते होंगे। मैं चैलेंज करता हूं कि राजा साहब अगर सत्य के पुजारी हैं तो वह बताएं कि क्या उस आदमी की

[श्री हरगोविन्दसिंह]

आमदनी १५–१६ सौ रुपये महीना नहीं है, बावजूद इसके कि वह कोई काम नहीं करता ? उसका केवल एक काम है, पुलिस की दलाली करना। कचहरी में कोई चला जाय पूछ ले। मेरे पास २०–२५ आदमी वहां के सुबह आये और उन्होंने कहा कि गांव में एक चोरी हुई।

श्री शिवप्रसाद नागर—प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष—आप बैठिए।

श्री शिवप्रसाद नागर—यह बड़ा अनर्थ हो जायगा हम लोगों के साथ कि आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं सुनते हैं।

श्री अध्यक्ष—कोई अनर्थ नहीं है। मैं तो उनको मौका दूंगा, आप को नहीं। आप कृपा कर के बैठिए।

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, उन्हीं का वह आदमी थाने गया। एक दूसरा आदमी जिसने कि केवल यह किया था कि वह जानवर चरा रहा था, उसने कहा कि उसने देखा कि एक बक्स कुयें में तैर रहा है, तो लोगों ने उससे कहा कि बक्स कुएं में से तुम निकाल दो, उसने निकाल दिया, उस आदमी के घर के लोग जरा खाने पीने में अच्छे थे, तो फौरन् दरोगा ने उसको पकड़ कर के उसका चालान कर दिया। तो उन लोगों ने आकर मुझसे यह कहा कि यह मामला बिलकुल झूठा है और इस तरह से आपके वही मुन्तजिम और दरोगा ने मिल कर के यह काम किया है। तो मैंने कप्तान साहब को उसी वक्त बुलाया और उनसे यह कहा.....

(व्यवधान–शोर) जब आप ने उनका प्रश्न सुना था तो आप को मेरा उत्तर भी सुनना पड़ेगा.....

श्री शिवप्रसाद नागर—अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है आप सुन लीजिए। (शोर)

श्री हरगोविन्दसिंह—मैंने उनसे कहा कि आप चलें, मैं आप के साथ चलकर इस मामले को देखना चाहता हूं। कप्तान साहब ने यह कहा कि मैं स्वयं जाता हूं और वहां से आकर के उन्होंने यह कहा कि हां, उस आदमी की वजह से यह झूंठा फंस गया है। यह लोग बिलकुल ठीक कहते हैं जो आप के पास आये हैं और अभी दरोगा पर मैंने कार्यवाही की है।

श्री अध्यक्ष—आप का समय समाप्त हो गया।

कुंवर श्रीपाल सिंह—श्रीमन्, मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—हां, आप स्पष्टीकरण दीजिये। (व्यवधान)

एक वैयक्तिक हमला हुआ, उसका उत्तर उन्होंने दिया। अब आप उसका वैयक्तिक स्पष्टीकरण दे दें। और कोई व्यवस्था का प्रश्न इसमें नहीं उठता है।

कुंवर श्रीपालसिंह—अगर श्रीमन्, प्रोसीडिंग्स उठाकर देखी जायं तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने यह कहा है कि मुख्य मंत्री के एक लेफ्टिनेंट जो हैं, किसी मंत्री का नाम मैंने नहीं लिया है और माननीय मंत्री जी ने नाम लेकर कहा है, इसलिये मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप का इशारा उनकी तरफ नहीं था ?

कुंवर श्रीपाल सिंह—जी नहीं। मैंने उनका नाम कहीं नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष—वह चकबन्दी के बारे में जो कह रहे थे और ७० रुपये की चोरी के बारे में जो कहा जिसका जवाब उन्होंने दिया, वह उनसे सम्बन्धित नहीं था ?

कुंवर श्रीपालसिंह—मैंने नाम नहीं लिया है, प्रोसीडिंग्स देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष—लेकिन इशारा था उनकी तरफ या नहीं?

कुंवर श्रीपालसिंह—इशारा था या नहीं, जब उन्होंने उसे स्वयं स्पष्ट कर दिया तो था ही।

माननीय मन्त्री जी ने पहली बात यह कही कि हमारा और उनका पुश्तैनी सम्बन्ध था। मैं मानता हूं। बिल्कुल सही बात है, था। लेकिन पहले माननीय मंत्री जी ने ही मुझे चैलेंज दिया था कि मैं देखूंगा उनको और यह एक ऐसे आदमी से उन्होंने कहा था कि जो झूठ नहीं बोल सकता है। तो पहले उसमें भी आपने ही की।

श्रीमन्, उसके अलावा आपने एक चीज कही चकबन्दी के आफिस के बारे में, तो मैं चकबन्दी का मिनिस्टर नहीं था, न मेरे हाथ में चकबन्दी का मुहकमा था। चकबन्दी के मिनिस्टर ने क्यों सिंगरामऊ में चकबन्दी का आफिस रखा, उसके लिये मैंने दरख्वास्त नहीं दी थी और एक चक भी मेरा अपना अगर कहीं जरा सा भी अच्छा बना हो या उसके लिये मैंने किसी भी अधिकारी से कभी कहा हो तो जो सजा चोर की वह सजा भुगतने के लिये मैं तैयार हूं।

इसके बाद एक चीज और कही, श्रीमन्, एक आदमी की बात कही जिसकी १५ सौ रुपये की आमदनी है, उन्होंने नाम नहीं लिया की कहा मैं उसको जानता हूंगा, तो श्रीमन्, वह कांग्रेस का आदमी है। उसका मकान जब सन् १९४२ में जला था तो ५ हजार रुपया उसको इस सरकार ने पुनर्वास के लिए दिया है और २५ रुपये महीना सरकार की तरफ से राजनीतिक पीड़ित की पेंशन मिलती है उस आदमी को जिस आदमी के लिए मंत्री जी कह रहे हैं कि १५ सौ रुपया माहवार से कम उसकी आमदनी नहीं है।

श्रीमन्, चकबन्दी के बारे में जो आपने कहा कि कुछ आदमियों के चक बढ़िया बने हैं, मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन मजबूर हूं अब कहने के लिए, माननीय माल मंत्री जी बैठे हुए हैं इनके पास इनकी ससुराल के आदमी आये....

श्री अध्यक्ष—अब आप वैयक्तिक बात न कहें।

कुंवर श्रीपालसिंह—मैंने कहा कि मन्त्री जी के ससुराल के आदमी आये तो उन्होंने....

श्री अध्यक्ष—अब आप वैयक्तिक बात न लायें नहीं तो फिर स्पष्टीकरण का प्रश्न पैदा होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—यह पक्षपात करते हैं। यह अपने खानदान वालों के साथ पक्षपात करते हैं। यही मेरा स्पष्टीकरण था।

श्री अध्यक्ष—अब मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की चीजें, जिसमें इशारा भी हो वैयक्तिक, वह नहीं आनी चाहिये, क्योंकि फिर यह होगा कि उसके लिये स्पष्टीकरण का प्रश्न पैदा होगा। उसके बाद फिर दूसरी तरफ स्पष्टीकरण होगा। मैं यह समझता हूं कि सभी सदस्य एक दूसरे को इज्जतदार समझें और यह समझें कि जो यहां पर कार्यवाही होती है वह पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार होती है। उसमें किसी दूसरे सदस्य के ऊपर हमला नहीं होना चाहिये। अगर मेरी गैरहाजिरी में कोई इस तरह की चीज हो गई और उसके लिये यह गरमागरमी हो गई तो अब वह समाप्त हो गई। उन्होंने अपना पर्सनल स्पष्टीकरण दे दिया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मेरा भी वैयक्तिक स्पष्टीकरण है....

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। आपके विषय में कुछ नहीं कहा गया।

श्री शिवप्रसाद नागर—मेरा वैधानिक प्रश्न यह है कि जिस बजट का सम्बन्ध उत्तर प्रदेश की ७ करोड़ जनता से था उस बजट भाषण पर क्या यह उचित था कि केवल दो

[श्री शिवप्रसाद नागर]

माननीय सदस्य श्री हरगोविन्दसिंह और कुंवर श्रीपालसिंह के बीच वह सारा बजट भाषण समाप्त हो जाय और बजट पर कुछ भी प्रकाश न डाला जाय ? क्या जिस प्रकार के यहां पर भाषण हुये हैं उस प्रकार के होने चाहिये ?

श्री अध्यक्ष---मैंने जिक्र कर दिया कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिये कि एक सदस्य दूसरे सदस्य पर हमला करे। हम लोग यहां पर एक ही फेमिली के हैं। चाहे हम एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन हम हैं एक ही फेमिली के सब सदस्य। इसलिए एक दूसरे पर हमला नहीं होना चाहिये। अगर वह हुआ है तो उसके लिये मैंने स्पष्टीकरण की इजाजत दे दी।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर वित्त मंत्री जी और कुंवर श्रीपाल सिंह जी के बीच जो बातें हुई हैं, मेरा यह सुझाव है कि इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---कार्यवाही से निकालने में एक चीज सामने आयेगी। मुझे यह देखना पड़ेगा कि पहले क्या बातें हुई हैं, क्योंकि वे बातें मेरे सामने नहीं हुई हैं। कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने अपने भाषण में क्या कहा था यह मुझे मालूम नहीं है। हाउस के सामने अपना वैयक्तिक स्पष्टीकरण एक मन्त्री होने की हैसियत से उन्होंने दिया। उसके बाद मैंने कुंवर-श्रीपालसिंह को भी मौका दे दिया। मैं दोनों चीजों को देखने के बाद अपना निर्णय बतलाऊंगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मुझ पर भी कुछ आक्षेप हुये हैं तो मैं भी अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---ऐसी कोई चीज नहीं हुई है। जो नियम हैं मुझे उसी के हिसाब से चलना है।

श्री अमरनाथ---क्या हमको भी उत्तर देने का मौका नहीं दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---अब आपको कोई मौका नहीं है।

१९६१-६२ के प्रथम पूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या २---लेखा शीर्षक ७---भू-राजस्व

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २---भू-राजस्व---लेखा शीर्षक ७---भू-राजस्व के अन्तर्गत ५,६५,२०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, आज चोर कोतवाल को डांट रहा है। यह तमाशा कभी नहीं हुआ है जो आज हो रहा है। चोर अगर कोतवाल को डांटता है तो इससे न्याय नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जाइये। अपने मन से आप अब न बोलें।

श्री टीकाराम पुजारी---उन्होंने थानेदार को भ्रष्ट किया, कलेक्टर को भ्रष्ट किया, कमिश्नर को भ्रष्ट किया और इन कांग्रेस के दलालों ने देश का नाश कर दिया....।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर बैठ जायं। फिर मुझे आपको....।

श्री टीकाराम पुजारी---अब वे नाम ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि हम लोग दलाल हैं। उनका सारा परिवार दलाल है और उन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया है।

(इसके पश्चात् श्री टीकाराम पुजारी सदन त्याग कर बाहर चले गये।)

अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—वन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५—वन—लेखा शीर्षक—१०—वन के अन्तर्गत ३,८३,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३—सामान्य प्रशासन—लेखा शीर्षक—२५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १,२८,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक २८—कारागार (जेल)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—कारागार—लेखा शीर्षक—२८—कारागार (जेल) के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८—लेखा शीर्षक २९—पुलिस

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८—पुलिस—लेखा शीर्षक: २९—पुलिस के अन्तर्गत ५,२६,८०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप—लेखा शीर्षक:—३६—वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत ५४,६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३७—शिक्षा

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—शिक्षा—लेखा शीर्षक: ३७—शिक्षा के अन्तर्गत ९,७१,७०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१—जन-स्वास्थ्य—लेखा शीर्षक: ३८—चिकित्सा के अन्तर्गत १०,९४,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—जन-स्वास्थ्य—लेखा शीर्षक—३९—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत १,५०,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४०—कृषि

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३—कृषि संबंधी विकास—लेख शीर्षक: ४०—कृषि के अन्तर्गत ३१,२०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४—लेखा शीर्षक ४०—उपनिवेशन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—उपनिवेशन—लेखा शीर्षक—४०—कृषि के अन्तर्गत ८,१४,५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक ४१—पशुपालन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५—पशुपालन—लेखा शीर्षक—४१—पशुपालन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक ४२—सहकारिता

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७—सहकारिता—लेखा शीर्षक—४२—सहकारिता के अन्तर्गत ६,३६,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २८—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८—उद्योग—लेखा शीर्षक:४३—उद्योग के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २९—लेखा शीर्षक ४६—श्रम तथा सेवा योजन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—श्रम तथा सेवा-योजन—लेखा शीर्षक:४६—श्रम तथा सेवायोजन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ४७—सूचना निदेशालय

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१—सूचना निदेशालय—लेखा शीर्षक ४७—प्रकीर्ण विभाग के अन्तर्गत ८,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३३—लेखा शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण–कार्य और ५०:क—राजस्व से वित्त पोषित नागरिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ४,६२,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—संचार साधनों का सुधार

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४—संचार-साधनों का सुधार—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य—केंद्रीय सड़क निधि वित्तीय सहायता के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान—लेखा शीर्षक:५०—नागरिक निर्माण कार्य और ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण–कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ७,७१,६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३८—लेखा शीर्षक ५४—क—राजनीतिक निवृत्ति वेतन (पेंशनें तथा भत्ते)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८—राजनीतिक निवृत्ति वेतन (पेंशनें) तथा भत्ते, लेखा शीर्षक:५४—क—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें के अन्तर्गत १,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१—६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५६—लेखन सामग्री और मुद्रण

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०—लेखन सामग्री, और मुद्रण-लेखा शीर्षक: ५६—लेखन-सामग्री और मुद्रण तथा अवमूल्यन रक्षित निधि (Depreciation Reserve Fund) राजकीय मुद्रणालय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१—६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ५७—प्रकीर्ण व्यय

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१—प्रकीर्ण व्यय—लेखा शीर्षक ५७—प्रकीर्ण के अन्तर्गत १,६८,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१—६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४२—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां—लेखा शीर्षक ५७—प्रकीर्ण के अन्तर्गत ६४,२७,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१—६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४४—लेखा शीर्षक ४७—क—योजना और एकीकरण

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४—योजना और एकीकरण-लेखा शीर्षक ४७—क—सामुदायिक विकास योजनायें इत्यादि तथा ६३—क—युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१—६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ६५—क—वनों पर पूंजीगत लागत

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५—वनों पर पूंजीगत लागत—लेखा शीर्षक ६५—क—वनों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत १६,१७,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१—६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४६---लेखा शीर्षक ६८---सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६---सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत---लेखा शीर्षक ६८---सिंचाई नौपरिवहन, बांध और जलोत्सारण संबंधी निर्माण-कार्यों का सम्पादन के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४८---लेखा शीर्षक ७२---औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८---औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत---लेखा शीर्षक: ७२---औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ८१,३८,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४९---लेखा शीर्षक ८१---सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९---सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत---लेखा शीर्षक-८१---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ३,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५१---लेखा शीर्षक ७०---सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१---सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत---लेखा शीर्षक :७०---पूंजीगत लागत आदि तथा ८२---अन्य निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५३---लेखा शीर्षक ८५-क---राज्य व्यापार की योजनायें

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५३---राज्य व्यापार की योजनायें---लेखा शीर्षक ८५-क---राज्य व्यापार की योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५४---लेखा शीर्षक-त---ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४---ब्याज वाले ऋण और अग्रिम---लेखा शीर्षक : त---राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ३४,३५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६१

वित्त मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६१ [The U. P. Appropriation (first supplementary 1961-62) Bill, 1961] को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६१ [The U. P. Appropriation (first supplementary 1961-62) Bill, 1961] को पुरःस्थापित करने की सदन अनुज्ञा दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब यह सदन को बंट जाय तब उसके बाद कार्यवाही जारी होगी।

(विनियोग विधेयक की प्रतियां सदन में वितरित की गयीं)

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६१, को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ ठहर कर)

मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६१, पर विचार किया जाय।

***श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)**—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्रीमन्, आज जो विनियोग विधेयक और अनुदान यहां पेश हुये हैं उनके बारे में माननीय वित्त मंत्री ने क्या तैयारी की होगी और क्या जवाब वह दे सकते होंगे जबकि उन्होंने स्वयं ही यह कह दिया कि ऐसी बहस हो रही है जैसी कि बजट पर होती है। तो जिस प्रदेश के वित्त मंत्री को इतनी बात नहीं ध्यान रही हो कि उन्होंने बजट पेश किया है और उस पर विरोध से बहस हो रही हो, यह हमारा दुर्भाग्य नहीं तो क्या हो सकता है। इसके अलावा उन्हें विरोधी दल से कुछ नाराजगी है। अगर वह सदन से बाहर अपने ही दल वालों से पूछ कर देखें तो उन्हें मालूम होगा कि उनके दल वालों की भी वही राय है जो हमारी है। तीसरी बात उन्होंने कहीं कि वह सारे बजट को स्पष्ट करते हैं। मगर जो कुछ उन्होंने कहा उससे वह सारा अस्पष्ट जरूर हो गया। उन्होंने बड़े जोर से कहा कि हमारी चकबन्दी की स्कीम में ऐसे आदमी हैं जो १,५०० रुपया माहवार लेते हैं और चोरी करते हैं।

श्री अध्यक्ष—वह बात खत्म हो गई। उसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—उन्होंने कहा कि कोई कटौती नहीं आई। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बजट की बातें भी नहीं कहीं। श्रीमन्, मालूम नहीं कि मंत्री जी जाग्रतावस्था में थे या सुशुप्तावस्था में थे जब हम लोगों ने बजट की ही बातें रखी थीं। सूचना निदेशालय की रंगशाला की बात हमने यहां कही थी, मर्चुला रोड की बात कही थी, पुलों की बात भी कही गई थी। उन सब बातों का कोई जवाब नहीं है।

एक बात मुझे अच्छी याद आ गई। श्रीमन् ने फरमाया कि सहकारिता मंत्री उठ, तो तीन उठे। इस प्रकार से उन्हें यह पता नहीं कि किस मुंह से क्या कह जाते हैं। इसी प्रकार से मुख्य मंत्री ने कहा कि हम १० फीसदी पानी का पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं। आज सुबह उनका दूसरा मुंह बोल रहा था। जालौन के हमारे चारभुजा वाले हैं, और पता नहीं कि कितने मुंह हैं, लेकिन २ मुह जरूर हो गये, एक मुख्य मंत्री का और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक उनका अलग। उन्होंने कहा था कि नहीं, हमारा विचार नहीं है कि हम ऐसा कर दें। तो कौन-सा मुंह क्या कह रहा है, यह इस सरकार को ही मुबारक हो।

हिन्दी के बारे में एक आक्षेप किया गया कि जो शख्स अंग्रेजी में मुख्य मंत्री को लिखे वह हिन्दी की हिमायत क्या कर सकता है। श्रीमन्, हमारी बदकिस्मती है कि जब हम हिन्दी में लिखते हैं तो सरकार की ओर से कोई उत्तर तक नहीं आता है और जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो फौरन कृष्णा मेनन साहेब का जवाब आता है। हमको तो जनता का दुख-दर्द सरकार तक पहुंचाना है, इसलिये लिखना पड़ता है क्योंकि हिन्दी न वह समझें, न उनके बाबू समझें और न सेक्रेटरी समझें। हमारी हिन्दी में लिखी बातों का जवाब हिन्दी में आवेगा तो हम अवश्य हिन्दी ही में लिखेंगे।

इसके बाद एक चीज और कहना चाहता हूं। इसमें एक अनुदान कंसालिडेशन फंड में शिक्षा के लिये मांगा गया है, लेकिन जो बिल आने वाला था वह शायद अब न आ पायेगा क्योंकि १५० दस्तखत तो पहले थे और सुना है ३१ और आ गये हैं इसलिये वह रुक गया है।

श्री अध्यक्ष—यह इर्रेलेवेंट है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—यह तो चौराहे पर कही जा रही है।

इसके अतिरिक्त एक चीज और कही गयी। खास कर मेरे ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी की बड़ी कृपा है। मुझे यह पता लगा कि सदन के बाहर भी उनकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर रहती है। जब उनकी इतनी कृपा मेरे ऊपर है तो फिर मुझे कोई खतरा नहीं हो सकता। एक चीज अस्पताल के बारे में कही गयी। जब हमारे यहां से गोवर्द्धन जी एम०एल०ए० थे तब एक अस्पताल का खोला जाना तय हुआ था। लेकिन उनके बाद में आया। ५ साल से बिल्डिंग बनी खड़ी है, लेकिन अस्पताल नहीं खोला गया है। फिर भी कहा जाता है कि पक्षपात नहीं है। अब मंत्रीजी बतायें कि हमने क्या पाप किया है। जब माननीय संपूर्णानन्द जी थे तो थोड़ा बहुत होता भी था। ६ पुल वहां के लिये मंजूर हुये थे। माननीय विचित्र नारायण शर्मा जी ने कहा था कि कोई पुलों के लिये रुपया मांगता ही नहीं है। रुपया मांगा, वह मंजूर भी हुआ, लेकिन पता नहीं वह किधर को डाइवर्ट कर दिया गया। तीन अस्पताल जो इस साल खुले वे उसी क्षेत्र में खुले जो उनका क्षेत्र है। अल्मोड़ा जिले को इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में केवल २५ मील सड़क मिली है और किसी क्षेत्र को नहीं मिली, उनके ही क्षेत्र को मिली। क्या यह सत्य नहीं है? लेकिन जब मैं कोई बात कहता हूं तो माननीय मुख्य मंत्री जी नाराज हो जाते हैं। मैं कहता हूं मत करो ऐसा काम जिससे हमें आलोचना करने की आवश्यकता हो। आप कहते हैं कि हम छोटी छोटी बातों को कहते हैं। हम तो छोटे आदमी हैं, छोटी बातें ही कहते हैं, लेकिन आप बड़े आदमी हैं और छोटे काम करते हैं। हम कहते हैं छोटी बातें और आप करते हैं छोटे काम। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि माननीय मोतीलाल जी इंतजार कर रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि मुख्य मंत्री जी उस पवित्र पद को क्षति न पहुंचने दें।

श्री अध्यक्ष—सदन ५ बजे के बाद भी चलता रहेगा जब तक कि यह विधेयक पारित न हो। उसके बाद आधा घंटे का विवाद भी है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय जवाब देने के लिये खड़ा न होता यदि वित्त मंत्री जी की ओर से अन्याय न किया गया होता। जब हम इस तरफ से बोल रहे थे तो वित्त मंत्री जी उपस्थित नहीं थे और अगर उपस्थित भी थे तो फाइलें उलट रहे थे। कुछ लोगों ने स्पेशल आइटम्स की ओर संकेत किया था और मैंने स्वयं १४ आइटम रखे थे और बताया कि वह खर्चा अनावश्यक था। केवल एक दो बातें ही कहीं। या तो उन्होंने सुना ही नहीं और अगर सुना भी तो जवाब नहीं देना चाहते। केवल वे आपसी जौनपुर के झगड़े में फंस कर रह गये। जब कभी वित्त मंत्री जी का भाषण होता है तो हम आशा

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

करते हैं कि वे किसी न किसी आगे आने वाली चीज पर प्रकाश डालेंगे न कि वे हम लोगों को यह कह कर जवाब दे दिया करें कि कोई बात जवाब देने योग्य है नहीं ।

मैंने स्वयं उनका ध्यान आकर्षित किया था कि ७ स्टाफ कार जो ८५,५०० रु० में ली जा रही हैं वह क्यों ? इसकी क्या आवश्यकता पड़ी ? मैंने उनसे पूछा था कि १,१७,००० रु० की कीमत पर जो स्वचालित एक्सचेंज बनाया जा रहा है, वह क्यों ? मैंने उनसे पूछा था कि २०,००० रु० जो हेलमेट बिगर बाडी प्रोटेक्टर पर खर्च किया जा रहा है, वह क्यों ? मैंने उनसे पूछा था कि इतनी लेट १,५०,००० रु० खर्च करके जो नाले की सफाई करवाई जा रही है वह क्यों ? मैंने उनसे पूछा था कि १०,००,००० रु० में जो अधिकारियों के लिये ३८ फ्लैट्स बनाये जा रहे हैं, वे क्यों ? मैंने उनसे पूछा था कि न्यायाधीशों के लिये जो सील भवन १,२०,००० रु० में बनवाये जा रहे हैं वे क्यों ? मैंने उनसे पूछा था कि १०,००,००० रु० जो सरकार ऋण देने जा रही है दुग्धशालाओं को वह क्यों ? मैंने उनसे पूछा था कि ९,५३,००० रु० जो ९७ मील नयी सड़कों व १२७ मील सड़कों के सुधार पर खर्च किया जा रहा है, वह क्यों ?

श्री अध्यक्ष---आप समझते हैं कि आपको इतने 'क्यों' का जवाब वे दे देंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैंने तो जवाब देने के लिये उनके सामने प्रश्न रख दिये जवाब देना और न देना उनके ऊपर है । लेकिन इतना मैं कह देना चाहता हूं कि इन प्रश्नों का जवाब उन्हें देना पड़ेगा, अगर वे मुझे जवाब नहीं देंगे तो इसका जवाब उन्हें जनता को देना पड़ेगा । इस हाउस में बहुमत के बल पर वे भले ही हाथ उठवा कर इसे पास करवा लें, लेकिन जनता एक-एक पाई का हिसाब उनसे लेगी और पूछेगी कि आपने क्या क्या किया । यहां इस तरह से सर हिलाने से काम नहीं चल सकता है । जौनपुर का झगड़ा हाउस के सामने न लाइये, उससे कोई लाभ नहीं होगा, उसे तो आप हाउस के बाहर जाकर ही तय कीजिये ।

श्री हरगोविन्दसिंह---श्रीमन, अवस्थी जी के प्रश्नों का जवाब तो एक ही था और वह उत्तर दे भी दिया गया कि ये जितने 'क्यों' वे पूछे, वे सब आवश्यक थे । अब वह पूछना कि वे सब क्यों आवश्यक थे उसकी एक पुस्तिका छपी हुई है और उनके प्रश्नों से मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि उन्होंने इस बात की जहमत नहीं फरमायी कि उस पुस्तिका को देख लेते । मैंने यह समझा कि इस प्रकार के सवाल उठा कर जितना उन्होंने सदन का समय लिया है उसमें काहे को मैं भी अपने को दोषी ठहराऊं और क्यों उन्हीं के साथ सम्मिलित होकर और सदन का समय लूं ।

श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख है कि मुझे थोड़ा नीचे स्तर पर आना पड़ रहा है । इसलिये कि मैं तो श्रीमन्, अभी तक यही समझता था कि इस प्रान्त का एक ही दुर्भाग्य है और वह शायद मेरा मंत्री होना, लेकिन आज मुझे यह मालूम हुआ कि हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है तथा इस प्रान्त का भी दुर्भाग्य है कि ऐसे सदस्य भी यहां आ गये हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता । मैं समझता हूं कि यह अनुचित है ।

(श्री गोविन्दसिंह विष्ट के खड़े होने पर तथा बोलने की कोशिश करने पर)

आप अनुशासन का पालन नहीं करना चाहते हैं । मैं खुद उनको रोक रहा हूं, आप क्यों उठते हैं ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---हम प्रेमलता कांड को भूले नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठें । आप आक्षेप न करें ।

श्री हरगोविन्दसिंह--श्रीमन् उन्होंने प्वाइंटेडली कहा था कि इस प्रान्त का यह दुर्भाग्य है कि हमारे वित्त मंत्री ऐसे हैं इसलिये मैंने भी कहा कि इस प्रान्त का यह दुर्भाग्य है कि ऐसे सदस्य यहां आये....

श्री अध्यक्ष--"ऐसे मंत्री" कहना, यह उसके बराबर नहीं है जैसा कि "ऐसे सदस्य" कहना, क्योंकि वे सदस्य जो हैं वे चुन कर आये हैं। मंत्री के ऊपर कुछ जिम्मेवारी होती है, तो लोग मंत्री पर आक्षेप करते रहते हैं कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा मंत्रिमंडल है, लेकिन इसका जवाब नहीं हो सकता कि मन्त्री कहें कि हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे सदस्य हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह--श्रीमन्, आप फिर उसको पढ़ लें, उन्होंने प्वाइंटेडली मेरे लिये ही कहा कि प्रान्त का ऐसा दुर्भाग्य है कि ऐसे वित्त मंत्री हैं, तो मैं समझता हूं कि मेरा भी अधिकार है यह कहने का....

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, इसलिये कि मैंने नहीं सुना यह कहते हुए।

श्री ईश्वरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--श्रीमन्, आपकी व्यवस्था के बाद फिर ये अपनी बात पर क्यों आरूढ़ हैं ?

श्री अध्यक्ष--जो उन्होंने कहा, उसका उत्तर दीजिये।

श्री हरगोविन्दसिंह--मैं समझता हूं कि एक ही दुर्भाग्य नहीं है और भी दुर्भाग्य है, ऐसा तो कह ही सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष--ठीक है।

श्री हरगोविन्दसिंह--और भी बड़े दुर्भाग्य हैं, यह सदन के सदस्य भी जानते हैं और श्रीमन् भी जानते होंगे। मिश्र जी ने इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं, इसलिये मैं समझता हूं कि उसका उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि सदन इस विधेयक को पारित करेगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड १, २, ३, अनुसूची, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६१

३१ मार्च, १९६२ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये,

विधेयक

यह इष्टकर है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९६१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय ;

अतएव, भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ का प्रथम पूरक) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९६१-६२ के लिये २,४३,९९,५०० रु० का दिया जाना।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो ३१ मार्च, १९६२ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग २,४३,९९,५०० रु० (दो करोड़, तैंतालीस लाख, निन्यानबे हजार और पांच सौ रुपया) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६२ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसची में दिये हुए हैं।

अनुसूची

१	२	३		४
अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
		रु०	रु०	रु०
२	भू-राजस्व (मालगुजारी)	५,६५,२००	..	५,६५,२००
५	वन	३,८३,०००	१,०००	३,८४,०००
१३	सामान्य प्रशासन ..	१,२८,१००	..	१,२८,१००
१५	गांव सभायें और पंचायतें	..	१००	१००
१७	कारागार (जेल) ..	१००	..	१००
१८	पुलिस	५,२६,८००	..	५,२६,८००
१९	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य कलाप	५४,६००	..	५४,६००
२०	शिक्षा ..	९,७१,७००	..	९,७१,७००
२१	चिकित्सा ..	१०,९४,४००	३,३००	१०,९७,७००
२२	जन-स्वास्थ्य ..	१,५०,१००	..	१,५०,१००
२३	कृषि संबंधी विकास ..	३१,२००	..	३१,२००
२५	उपनिवेशन ..	८,१४,५००	..	८,१४,५००
२५	पशुपालन ..	२००	२४,३००	२४,५००
२७	सहकारिता ..	६,३६,०००	..	६,३६,०००
२८	उद्योग ..	१००	..	१००
२९	श्रम तथा सेवायोजन	१००	..	१००

१	२	३		४
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
३१	सूचना निदेशालय ..	८,००,०००	..	८,००,०००
३३	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	४,६२,१००	२५०००	४,८७,१००
३४	संचार साधनों का सुधार	५००	..	५००
३५	सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान ..	७,७१,६००	..	७,७१,६००
३८	राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते	१,००,०००	..	१,००,०००
४०	लेखन-सामग्री और मुद्रण	१००	..	१००
४१	प्रकीर्ण व्यय ..	१,६८,५००	..	१,६८,५००
४२	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां ..	३४,२७,१००	..	३४,२७,१००
४४	नियोजन और एकीकरण	२००	..	२००
४५	वनों पर पूंजीगत लागत	१६,१७,०००	..	१६,१७,०००
४६	सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी गत लागत ..	६००	..	६००
४८	औद्योगिक विकास पर पूंजी-गत लागत ..	८१,३८,०००	..	८१,३८,०००
४९	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत ..	३,०००	६५,७००	६८,७००
५१	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत	१००	..	१००
५३	राज्य व्यापार की योजनायें	१००	..	१००
५४	व्याज वाले ऋण और अग्रिम ..	३४,३५,१००	..	३४,३५,१००
	योग ..	२,४२,८०,१००	१,१९,४००	२,४३,९९,५००

श्री अध्यक्ष —प्रश्न यह है कि खंड १, २, ३, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हरगोविन्दसिंह---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६१ पारित किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६१ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कांग्रेस की नेशनल इंटिग्रेशन कमेटी की रिपोर्ट से सम्बन्धित ९ अगस्त, १९६१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ७ के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद

श्री अध्यक्ष---अब श्री टम्बेश्वर प्रसाद ने जो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछे थे उनके संबंध में जो प्रश्न उठाये गये हैं उस पर आधा घंटे का विवाद होगा। पहले ५-७ मिनट श्री टम्बरेश्वर प्रसाद बोल लें फिर मंत्री जी का जवाब हो जाय और उसके बाद कुछ प्रश्न हो जायंगे।

*श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, देश-भक्ति की भावना हर व्यक्ति में जन्मजात होती है और उसको किन्हीं सरकम्स्टैन्सेज द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता, वह तो स्वतः हृदय से ही होती है। आज से कुछ वर्षों पूर्व जनसंघ का निर्माण हुआ था और मैं आपके सामने वह विचार वैसे ही पढ़े देता हूं जैसे कि इस इंटिग्रेशन कमेटी रिपोर्ट में उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष ने व्यक्त किये थे। उसमें लिखा था कि "हाल के वर्षों में विभक्तावादी और पृथकवादी प्रवृत्तियों को पुनः उभरता हुआ देख कर, जो आजादी की लड़ाई के दौरान राष्ट्र-प्रेम की लहर में डूब गई प्रतीत होती थीं, अनेक विचारवान् व्यक्ति बहुत चिन्तित हैं।" अध्यक्ष महोदय जनसंघ का प्रत्येक सदस्य प्रथम दिन से ही यह जानता है कि विभक्तावादी प्रवृत्तियों को कांग्रेस दल ने ही प्रश्रय दिया है और देश के उन देश भक्तों के लिये कोई दूसरा आधार नहीं था सिवाय इसके कि वर्षों इन्तजार करने के बाद एक राष्ट्रीय दल बनावें और इस स्थिति में जनसंघ का निर्माण डाक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के नेतृत्व में हुआ। आज यह प्रश्न विशेष रूप से खड़ा किया गया है और माननीय मंत्री ने इस सदन में घोषणा की है कि वह जनसंघ को कुचल देना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विचार उन्होंने व्यक्त किये हैं। उन्होंने उस बीच में यह माना है कि हमको यह धोखा हुआ था कि प्रवृत्तियां दब गयी हैं, लेकिन सचमुच वह दबी नहीं थीं और आज यह प्रश्न समय का है कि इसको दबाने का काम इस देश में कौन करेगा? वह दल करेगा जिसने अपनी गद्दियों के लिये इस देश का बटवारा किया, वह दल करेगा जिसने एक प्रान्त की गद्दी को अपने हाथ में लेने के लिये मुस्लिम लीग से केरल में समझौता किया, वह दल करेगा जो चुनाव के निकट आने पर उर्दू को माइनारिटी लैंग्वेज के रूप में पुनः प्रश्रय देना चाहता है, वह दल करेगा कि जो अपने विचारों में इन विचारों का समावेश करते हैं और जो कि उनकी भूमिका के रूप में आपके सामने आता रहता है। कांग्रेस के लिये विभिन्न भाषा, जातियां, धर्म तो एकता में अनेकता का चित्र बिखेरते हैं। कांग्रेस ने एकता और अनेकता दोनों को सम्पूर्ण महत्व दिया है, लेकिन जनसंघ एकता को अनेकता से कई गुना अधिक समझती है और यही कारण है जिससे कांग्रेस और जनसंघ में मौलिक संघर्ष है और यही कारण है कि जो कांग्रेस को उभाड़ रही है कि वह इस राष्ट्रीय दल को कुचल दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विचार उस कमेटी की भूमिका से मैं पढ़ रहा हूं। "आज इस देश में अल्पमत और बहुमत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन सब आधारों को सामने लाने वाला कौन है। अगर आप देखेंगे तो इसका एक इतिहास है और वह सारा इतिहास आज इसी दल का है। हम लोग, इस देश के देशभक्त यह समझते थे कि देश का विभाजन हो रहा है यह शायद हमको अन्तिम त्याग करना पड़ रहा है इस मनोवृत्ति की समाप्ति के दंड के रूप में जो इस देश के कुछ लोगों ने रखी थी और उस मनोवृत्ति की समाप्ति के लिये दंडस्वरूप शायद वह अन्तिम मनोवृत्ति हो, लेकिन यह यहां से समाप्त नहीं हुई। मैं आपके सामने अन्य विचारधालों के विचार रखता हूं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---प्वाइंट आफ आर्डर है श्रीमन्, आप स्पष्ट कर दें कि किस विषय पर विवाद हो रहा है? जनसंघ किन परिस्थितियों में पैदा हुआ क्या विवाद का विषय यह है?

श्री अध्यक्ष---उसमें विषय यह था कि उनका कहना यह है कि जनसंघ पर यह आरोप लगाया गया है कि वह साम्प्रदायिक है और मुख्य मन्त्री ने यह कहा है कि साम्प्रदायिक होने के नाते हम उसको कुचल देंगे। कुचल देने के साथ, जहां तक मैंने उस भाषण को देखा है, उन्होंने कहा कि वे लोगों को समझाबुझा कर, शिक्षा दे कर जनसंघ को हटाने की कोशिश करेंगे। इसी को उन्होंने कुचलने का साधन बताया है। इसी को सामने रखते हुए जो कि इसमें यहां है, उसको लेकर ही आप चलेंगे।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---मैं कोई दूसरी बात कह भी नहीं रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---वह जानना चाहते थे, मैंने इसलिये उनको उसको बता दिया।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---अध्यक्ष महोदय, इस सारी पुस्तक में, जिस पर विचार करने के लिये वह प्रश्न इस सदन के सामने प्रस्तुत हुआ था, सिवाय अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के विचार के अलावा और इस बात के अलावा कि उनको अगर अच्छे पदों पर स्थान दे दिया जायगा और अधिक महत्वपूर्ण जगहें देकर खुश रखा जायगा तो शायद उनमें विभक्ततावादी प्रवृत्ति कम हो जाय---इसीलिये इस सारी रिपोर्ट पर मुख्य मन्त्री जी ने उस समय यह कहा था कि यह रिपोर्ट कांग्रेस सत्ता द्वारा भेजी गई है और वह इस पर विचार कर रहे हैं कि कौन-कौन सी बातों को लागू किया जाय। यह प्रश्न सामने था। इस सारी पुस्तक में कहीं भी एक शब्द भी इस बात का द्योतक नहीं है कि जन संघ को कुचलने की बात इस कमेटी ने रिकमेंड की हो।

अब यह प्रश्न पैदा हुआ, अध्यक्ष महोदय, कि आखिर मुख्य मन्त्री जी को क्यों यह विचार आया कि जनसंघ को कुचल दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जैन साहब ने अपने भाषण में भी स्वीकार किया है कि इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री को, क्योंकि जनसंघ यहां का दूसरा प्रभावी दल है, इसलिये उसको कुचलने की आवश्यकता है। मैं इस सम्बन्ध में डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी के एक लेख से कुछ पढ़ देना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि ५ मिनट हो चुके हैं।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---बीच में लोगों ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। इसमें लिखा है :---

"Better late than never. Let us hope some solution will be hammered out. But I must utter a word of warning. The problem must be fully stated before it can be solved. Does the Muslim feel that India is his motherland, the land of his ancestors ? If not, how can there be full emotional integration between him and his Hindu compatriots ?"

[श्री टम्बरेश्वर प्रसाद]

आज यह प्रश्न आपके सामने आता है, अध्यक्ष महोदय, तो मैं उसके उत्तर में आपके सामने इसी जनसंघ के पार्लियामेंट के सदस्य द्वारा कहे गये विचार रखना चाहता हूं जिनके बारे में एक प्रमुख पत्र का यह विचार है :—

"The Government could not do better than accept the definition of communalism made in the Lok Sabha by Prof. Balaraj Madhok."

यानी हिन्दुस्तान टाइम्स ने यह विचार प्रकट किये कि शायद इससे अच्छी कम्यूनलिज्म की परिभाषा और नहीं दी गई। उन्होंने कहा :—

"What is nationalism ? What is secularism ? Secularism does not mean whether you believe in God or not. It means only this, that you do not make a distinction between one citizen and another of India on the basis of caste and creed".

और आज जनसंघ इस बात को सामनें रखकर चल रहा है और वह इस विचार को आज इस देश से मिटा देना चाहता है कि यहा पर विचार होगा सीटें बांटते वक्त, यहां पर विचार होगा नियुक्ति करते वक्त कि यह अमुक जाति का है, अमुक सम्प्रदाय का है। बल्कि सामने एकमात्र विचार यह होगा कि यह भारतवर्ष का निवासी है। इसी विचार-धारा को जनसंघ सामने रखता है और अगर यह विचारधारा कुचले जाने योग्य है तो मैं और मेरे तमाम साथी कुचलकर अपने विचारों के अनुसार फिर इस भारत में जन्म लेंगे, फिर यही विचार सामने रखेंगे जब तक यह विचार पूर्ण रूप से इस देश के विचार नहीं हो जाते और जब तक इतने प्रभावी नहीं हो जाते कि माननीय मुख्य मन्त्री उधर के बजाय हमारे पीछे बैठने लगें।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरे उस भाषण की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया जिसमें किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते समय मैंने जनसंघ के विषय में अपने विचार व्यक्त किये थे। जो बात मैंने कही थी यदि उसको मैं फिर से पढ़ दूं तो कदाचित् यह सदन उन बातों को सही तौर पर समझ सकेगा। श्री गोविन्द सिंह विष्ट जी ने प्रश्न किया कि "क्या मुख्य मन्त्री महोदय, जैसा कि उन्होंने गौरीशंकर राय जी को उत्तर दिया है, उसके सम्बन्ध में बतलाने की कृपा करेंगे कि इसके पूर्व कम्युनलिज्म के बारे में कोई राय दी ? अगर हां, तो सरकार ने कोई कम्युनलिज्म की आज तक परिभाषा की है और की है तो साम्प्रदायिकता किसे कहते हैं ?" मेरा उत्तर था।

"एक परिभाषा तो यही है कि जनसंघ एक कम्युनल संस्था है और उसकी नीतियों और उद्देश्यों को कुचलने का भरसक प्रयास शिक्षा द्वारा तथा लोगों को अपना साथी बनाकर और सहयोगी बना कर किया जाय और प्रत्येक दल इस कार्य में हमारा सहयोगी बने। यह तो एक उत्तर था।"

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—रिपोर्टिंग गलत हुई है। बाद को कहा गया था, पहले नहीं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दूसरा फिर बाद में यह सवाल किसी ने किया था, ठाकुर साहब शायद बोले थे, उसके बाद मैंने जवाब दिया था, ठाकुर साहब ने कुछ बीच में जवाब दिया था और उसके बाद मैंने फिर कहा था "यह सरकार बंदूक आदि से कुचलने की चेष्टा नहीं करती। यह सरकार शिक्षा द्वारा, उन विचारों के द्वारा, जिनका प्रचार वह सदैव करती रही है, कुचलना चाहती है। यह सरकार उन विचारों का सदैव विरोध करेगी जो देश की एकता को छिन्न-भिन्न करने वाले हों। और जनसंघ को वह ऐसा मानती है उसके विचार और उद्देश्य आज के जनतंत्रीय शासन के विरोधी हैं और वे विचार हमें टुकड़ों में बांटने वाले हैं।" यह बाद में मैंने कहा। पहले वह कहा था जो मैंने पहले बताया।

तो मैं कहना चाहता हूं, मैंने अवश्य यह कहा था, और मैंने जो बात कही थी और जिस कंटेक्स्ट में कही थी वह कंटेक्स्ट आज भी मेरी नजरों के सामने है। यह सरकार ऐसा मानती है कि जनसंघ जिन विचारों का प्रतिपादन करता है, जिन विश्वासों और धारणाओं को देश की जनता के बीच में फैलाना चाहता है, वे विश्वास और धारणायें अवश्य ऐसी हैं जो आज की - जनतन्त्रीय प्रणाली के अन्तर्गत न तो खप पाती हैं और न आज के वातावरण में वे चल सकती हैं। कहीं भाषा का सवाल उठता है, कहीं जाति और बिरादरी का सवाल उठता है तो यह सारे प्रश्न ऐसे हैं.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जब वह बोलते हैं तो हम नहीं बोलते और चुपचाप उनकी बातें सुनते हैं। इसी प्रकार जब मैं बोल रहा हूं तो उनको भी मेरी बातों को चुपचाप सुनना चाहिये, सुनने की उनमें क्षमता होनी चाहिये। और अगर वे ऐसी परम्परा चलायेंगे तो इधर के लोग भी ऐसा कर सकते हैं, शोर मचा सकते हैं। इस तरह तो सदन का काम ही नहीं चलेगा।

एक सदस्य—यहां कोई दबने वाला नहीं है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तो यहां भी कोई दबने वाला नहीं है। आप इस तरह की बात करते हैं ?

मैं यह कह रहा था कि हमारी नीति है, यह घोषणा है, हम ऐसा महसूस करते हैं कि आज के वातावरण में यदि धर्म के नाम पर तमाम बातें कही जायं, धर्म के नाम पर लोगों को प्रेरित किया जाय, भाषा के नाम पर यदि लोगों को बांटा जाय, प्रान्तीयता के नाम पर, जाति-बिरादरी के नाम पर लोगों को बांटा जाय, तो यह ऐसी बातें हैं जिनसे देश की स्थिरता नहीं रह सकती। कांग्रेस और यह सरकार ऐसा समझती है कि यह विचार आज के जनतन्त्रीय वातावरण में खप नहीं सकते हैं। आखिर को जब हमने जनतन्त्र और जनतन्त्रीय पद्धति को अपनाया है तो उसमें प्रत्येक नागरिक को उसे अपने अधिकार बरतने का अधिकार दिया है। वह नागरिक चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिन्दू हो, और चाहे पारसी हो हर एक को हमने विधान के अन्तर्गत उसके डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स के अन्तर्गत कुछ अधिकार दिये हैं। यह सरकार ऐसा समझती है और मानती है कि उन डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स के अन्तर्गत प्रत्येक को, जिस भाषा में वह अपनी शिक्षा प्रारम्भ करे, अपनी भाषा के अपनाने का अधिकार है। इस देश में जो हमने विधान बनाया है उसमें हमने १४ भाषाओं को एक स्थान दिया है और प्रत्येक नागरिक को जिस भाषा में वह बोलना चाहे, लिखना चाहे या जिस भाषा में वह प्रारम्भ में अध्ययन करना चाहे उसे अध्ययन करने का अधिकार दिया है। जगह जगह पर जब उर्दू का प्रश्न आता है तो वह प्रश्न इस्लाम से जोड़ दिया जाता है, मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। सरकार ऐसा मानती है कि उर्दू न तो मुसलमानों की अकेली भाषा है न इस्लाम की भाषा है। यदि वह मुसलमानों की भाषा होती तो आज ईस्ट पाकिस्तान में जो बंगाली वहां की राष्ट्र भाषा है वह कभी न होती। इसी प्रकार से हिन्दी भी, आज यह माना जाय कि वह हिन्दुओं की ही भाषा है और वह हिन्दू धर्म की ही भाषा है, उसके द्वारा ही हिन्दू धर्म व्यक्त किया जा सकता है तो सरकार ऐसा मानती है कि यह बात सही नहीं है क्योंकि आज दक्षिण में जो तामिल, तेलगू, महाराष्ट्री, गुजराती और कन्नड़ भाषायें बोलते हैं वे भी तो हिन्दू धर्म के पोषक हैं, हिन्दू धर्म के मानने वाले हैं। इसलिये यह सरकार ऐसा समझती है और यह कांग्रेस का संगठन ऐसा समझता है कि भाषा महज विचारों को व्यक्त करने की चीज है। यदि कोई मुसल मान यह कहता है और समझता है कि उर्दू उसके धर्म की भाषा है तो वह गलती करता है, भूल करता है और सरकार उस मुसलमान की इस भूल को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है। और यदि कोई हिन्दू यह कहता है कि हिन्दी के ही द्वारा उसका धर्म व्यक्त किया

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

जा सकता है तो यह भी उस हिन्दू के लिये एक गलत रास्ता अपनाने की बात हो जाती है। तो जहां तक भाषाओं का संबंध है, सरकार की स्पष्ट नीति है। हमने एक विधान बनाया है। उसके अन्तर्गत १४ भाषाओं को स्थान दिया है.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि भाषा के ऊपर आप आज अधिक न कहें क्योंकि कल वह प्रश्न विवाद में आने वाला है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैं बता दूं। बात तो वही आती है। जनसंघ, जब कभी उर्दू का प्रश्न आता है, हिन्दू मुसलमान का सवाल आता है तो हमेशा एक साम्प्रदायिक ढंग से बात करता है। मैं पूरी एक व्याख्या बना कर लाया था, लोगों के साल, डेढ़ साल के भाषणों की प्रतिलिपियां लाया था और उनको आपके समक्ष रख कर बताना चाहता था कि क्यों हम जनसंघ को एक साम्प्रदायिक संस्था समझते हैं। और हम ही क्यों, अदालत ने भी तो उसे साम्प्रदायिक संस्था घोषित किया है। मुझे जहां तक याद है, आगरे में एक इलेक्शन पेटीशन हुई थी और शायद पिछले साल ही उसका जजमेंट छपा था और वह लक्ष्मी-नारायण बंसल के खिलाफ इलेक्शन पेटीशन लड़ा था और उसमें जो ट्रिब्यूनल था उसने इस बात का निर्णय दे दिया कि जनसंघ एक कम्यूनल संस्था है। तो इस तरह के विचार आज सिर्फ हमारे ही नहीं हैं, अदालतों के भी हैं, और लोगों के भी हैं। इसलिये यदि हम कहते हैं और हम ही क्यों, आज तो सदन में और भी दल यहां बैठे हुये हैं, क्या वह जनसंघ को एक साम्प्रदायिक संस्था नहीं मानते हैं? जब आप साम्प्रदायिक नारे बुलन्द करते हैं, कहीं आप गाय का प्रश्न उठाते हैं, कहीं भाषा का प्रश्न उठाते हैं, कहीं प्रान्तों के विभाजन का प्रश्न उठाते हैं और सारी चीजों को उस नुक्ते नजर से देखते हैं फिर यह आक्षेप अगर आपके ऊपर लगे तो उसमें आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिये? आपको तो इसमें गर्व होता है कि आप हिन्दू धर्म के पोषक हैं। आप तो इस देश में हिन्दू धर्म का राज्य स्थापित करना चाहते हैं। यदि आज ऐसी बात नहीं है तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या जनसंघ का जो संगठन है उसमें बड़े-बड़े ओहदों पर कितने मुसलमान हैं, कितने इसाइ हैं, कितने पारसी हैं? यदि उस संगठन में मुसलमान नहीं, इसाइ नहीं, पारसी नहीं तो वह राष्ट्रीय दल कैसे है? मैं सदन के समक्ष यह निवेदन करता हूं कि जनसंघ उन कारणों से जिनका वर्णन मैंने आपके समक्ष किया एक साम्प्रदायिक संस्था है और मैं ऐसा मानता हूं, अन्य प्रगतिशील संस्थायें ऐसा मानती हैं और देश के सारे दल ऐसा मानते हैं।

श्री गौरीशंकर राय---आज इस सदन में एक विचित्र प्रश्न उठा कि देशभक्त कौन है। अभी तक तो हम यही जानते थे कि देशभक्त वह है कि जब देश की सीमाओं पर, देश की आजादी पर खतरा था, मुल्क गुलाम थो और सही माने में अंग्रेजों के जमाने में जो उनके जुल्म को बरदाश्त न कर सके और देश की आजादी की लड़ाई में आये वे देशभक्त थे। लेकिन आज तो देशभक्त होना आसान है.....

श्री अध्यक्ष---आप व्याख्यान दे रहे हैं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार को ऐसा ज्ञान था कि महात्मा गांधी जी की हत्या किस प्रकार के लोगों ने की, उसके बाद शायद सरकार का और देश की जनता का ऐसा खयाल था कि इस प्रकार की प्रवृत्ति दब जायगी, लेकिन वह दूसरे रूप में विद्यमान है?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री गौरीशंकर राय---श्रीमन्, मैं जनरल और पर्टीक्यूलर सवाल कर लूं?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने जनसंघ का घोषणा-पत्र पढ़ा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने तो पढ़ा है, लेकिन माननीय सदस्य शायद अभी नये आये हैं। शायद उनको देखने का मौका न मिला होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि वह घोषणा-पत्र के कौन से वाक्य और शब्द के आधार पर जनसंघ को साम्प्रदायिक संस्था बताते हैं ?

श्री अध्यक्ष—उसके आधार पर उन्होंने नहीं कहा।

कुंवर श्रीपालसिंह—तो किस के आधार पर कहेंगे ?

(कोई जबाब नहीं दिया गया।)

श्री गोविन्दसिंहविष्ट—क्या मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि उर्दू के नाम पर और भाषा के नाम पर जिस संस्था ने के० एम० मुंशी की किताब के नाम पर दंगे कराये, उसका नाम पी० एस० पी० है ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—पी० एस० पी० तो कांग्रेस के बीच से जन्मी हुई संस्था है जिसके व्यक्ति अपने प्रगतिशील घोषित विचारों को रखते हैं और उन विचारों का अधिकांश रूप में समर्थन करते हैं जिनका कांग्रेस प्रतिपादन और समर्थन करती है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में अभी कहा था कि जनसंघ के कोई पदाधिकारी मुसलमान या ईसाई हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि बंगाल के जो जनसंघ के उपाध्यक्ष हैं वे कौन हैं ?

श्री अध्यक्ष—आप बताइये उनको नाम नहीं मालूम होगा।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि बंगाल के जनसंघ के उपाध्यक्ष हैं वे मुसलमान हैं ? और मद्रास के जो पहले अध्यक्ष थे वे ईसाई थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे इसका पता नहीं कि मद्रास और बंगाल में कौन थे, लेकिन मुझे एक स्थान का ऐसा पता है कि प्रतापगढ़ में एक पागल मुसलमान है जो जनसंघ की टोपी लगाये फिरता है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मुख्य मंत्रीजी बतायेंगे कि नेशनल इन्टीग्रेशन कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के साम्प्रदायिक तत्वों को दबाने की आवश्यकता है, तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि वे कौन-कौन सी संस्थायें हैं जिनको दबाने से उनका मतलब है ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो वे जवाब दे चुके हैं।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जिस समिति ने बुड्ढी गायों की हत्या को जायज करार दिया है उसमें जनसंघ के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं ?

श्री अध्यक्ष—इससे उसका कोई संबंध नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी क्या सब जजमेंट्स को याद रख सकते हैं ?

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि उन्हों ने जो भाषण दिया है उसमें कहा है कि "जो राष्ट्र को बांटने के लिये या भाषा के नाम पर या प्रान्त के नाम पर विष फैलाते हैं" तो क्या एक भी उदाहरण जनसंघ के बारे में ऐसा देंगे जिसमें भाषा या प्रान्तीयता के नाम पर जन संघ ने कोई आन्दोलन किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी थोड़े दिन पहले पंजाब ही से किस्से सुनने में आये थे। और जो रोजमर्रा के, जन संघ के कार्यकर्ताओं और नेताओं के भाषण आते हैं, अगर अध्यक्ष महोदय, इजाजत दें तो मैं सात सफे में तैयार करके लाया हूं, व्योरेवार, महीनेवार उनके कारनामे रख सकता हूं जिनसे सिद्ध हो सकता है कि यह संस्था किन नीतियों का प्रचार करती है और किन नीतयों को रोजमर्रा इस्तेमाल करती है, वे नीतियां जो कि देश को दो टुकड़ों में बाटने की तरफ ले जा रही हैं।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार को सूचना है कि आने वाले चुनाव के पहले भारतीय जन संघ प्रदेश में हिन्दू सम्प्रदायवाद को उभारने का प्रयास कर रहा है जिससे वह एलेक्शन में लाभ उठा सके ?

श्री अध्यक्ष—मैं इजाजत नहीं देता हूं। यह आप राय पूछते हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि १९५७ के एलेक्शन में माननीय मुख्य मंत्री के खिलाफ जो पी० एस० पी० के सदस्य खड़े थे उनको जिताने के लिये पी० एस० पी० ने मुस्लिमवाद का प्रचार किया था लखनऊ में या नहीं ?

श्री चन्द्रभानुगुप्त—यह तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन यह जरूर मालूम है कि जनसंघ ने कम्युनिस्ट और पी० एस० पी० से गुटबन्दी करके पार्लियामेंट के लिये अपना उम्मीदवार इसलिये खड़ा किया था कि कम्युनिस्ट उनकी मदद करेंगे और वे मेरा विरोध करेंगे।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि प्रदेश में पिछले वर्ष जो साम्प्रदायिक दंगे हुए, उसमें अधिकतर जनसंघ वालों का हाथ था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास यह सूचना है कि जो कई जगह दंगों और झगड़ों की शुरुआत हुई उनमें कई जनसंघ के कारकुन अगुआ थे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि नैशनल इन्टिग्रेशन कमेटी की जो पहली सिफारिश हैं कि कई अल्पसंख्यक जातियों के एक बड़े भाग में आर्थिक पिछड़ापन और आर्थिक उन्नति के अवसरों के अभाव के कारण एक गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है, तो क्या यह समस्या इस उत्तर प्रदेश में हुई है और यदि हुई है तो किस हद तक ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता। आप गोल बात कह रहे हैं।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि इस वर्ष पिछले कुछ महीनों में जो दंगे हुए हैं, वे सब व्यक्तिगत झगड़े थे, उनको जनसंघ ने और इस तरह के लोगों ने साम्प्रदायिक रूप दिया, इससे प्रदेश की बड़ी क्षति हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह बात किसी हद तक सही है।

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं। कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२८ अगस्त, १९६१।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२१५ एल० ए०—१९६१—८४५।